आज़ादी का अमृत महोत्सव

एनएसओ भारत
विकास के आंकड़े

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

www.mospi.gov.in

www.mospi.gov.in GoIStats GoIStats GoIStats

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ,
नई दिल्ली–110001
https://www.mospi.gov.in

MINISTRY OF STATISTICS

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-10
2	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी)	11
3	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय	12-61
4	सांख्यिकीय सेवाएं	62-64
5	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	65-77
6	अवसंरचना तथा परियोजना अनुवीक्षण	78-102
7	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	103-111
8	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग (राजभाषा)	112-116
9	अन्य कार्यकलाप	117-120
	अनुबंध	
Iक	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का संगठन चार्ट	121
Iख	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का संगठन चार्ट	122
Iग	प्रयुक्त संक्षिप्तियां	123-124
II	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित कार्य	125-126
III क	बजट अनुमान विवरण (एसबीई) -2021-22	127
III ख	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2020–21 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	128
III ग	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2021–22 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	129
IV	अवसंरचना क्षेत्र का निष्पादन (अप्रैल 2021 से अक्तूबर 2021)	130-131
V	वर्ष 2021–22 में पूरी की गई परियोजनाओं की मासिक आधार पर सूची	132-151
VI	एनएसओ के विभिन्न प्रभागों द्वारा किए जा रहे प्रकाशनों की सूची	152-155
VII	वर्ष 2021–22 के लिए एक्शन टेकन नोट (एटीएन) की स्थिति	156

1. प्रस्तावना

1.1 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात 15 अक्तूबर, 1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रुप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित और संगठित विकास और भारत सरकार, राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारकों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नोडल एजेंसी है। मंत्रालय के दो स्कंध हैं, सांख्यिकी स्कंध, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) कहा जाता है और कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध। कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध में दो प्रभाग हैं नामतः (**i**) अवसंरचना और परियोजना निगरानी तथा (**ii**) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो स्कंधों के अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) है, जिसे भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से बनाया गया तथा दूसरा स्वायत्त संस्थान, नामतः भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) है, जिसे संसद के एक अधिनियम ''भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम 1959 का 057" द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध– I क से I ख में दिया गया है। इस रिपोर्ट में प्रयुक्त संक्षिप्तियां अनुबंध– I ग में दी गई हैं।

1.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्व देता है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई सांख्यिकी, प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षणों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों और गैर–सरकारी स्रोतों द्वारा संचालित गणना तथा अध्ययनों पर आधारित होती है। मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण वैज्ञानिक प्रतिदर्श पद्धति पर आधारित होते हैं और इसका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किया जाता है। आंकड़े समर्पित फील्ड स्टाफ के जरिए संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें मदों की संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं और सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में नियमित रुप से प्रशिक्षित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता पर बल देते हुए, राष्ट्रीय लेखों के समेकन से संबंधित रीति विधानात्मक मुद्दों की जांच राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी की जांच, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा और मूल्य सूचकांकों संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मौजूदा मूल्य और लागत सूचकांकों की जांच की जाती है। मंत्रालय मानक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाते हुए और व्यापक जांच तथा निरीक्षण के बाद मौजूदा आंकड़ों पर आधारित डाटासेटों को संकलित करता है।

1.3 भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) का अभिदाता है और वर्तमान में मानकों को पूरा कर रहा है। मंत्रालय एसडीडीएस के अंतर्गत आने वाली आंकड़ा श्रेणियों के लिए 'अग्रिम रिलीज कैलेंडर' का अनुरक्षण करता है, जिसका प्रचार–प्रसार मंत्रालय की वेबसाइट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (डीएसबीबी) पर भी किया जाता है। मंत्रालय एसडीडीएस के वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल डाटासेटों को प्रेस नोट और अपनी वेबसाइट के माध्यम से साथ–साथ जारी करता है।

1.4 मंत्रालय को भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की सांख्यिकीय ट्रैकिंग का काम सौंपा गया है। मंत्रालय प्रणाली में डेटा–अंतराल और वर्तमान में जारी आंकड़ों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विभिन्न विषयों पर नियमित आधार पर तकनीकी बैठकें आयोजित करता है। एनएसओ स्टाफ सांख्यिकीय संकलन और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं पर अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, जैसे, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) द्वारा आयोजित बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लेता है। भारत में आधिकारिक आंकड़ों की एक मजबूत प्रणाली है और आधिकारिक आंकड़ों के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है।

मंत्रालय के अधिकारियों को विशेष रूप से राष्ट्रीय लेखा, अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़ों, बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जनगणना के संचालन, सेवा क्षेत्र के आंकड़े, गैर–अवलोकित अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र के आंकड़े, पर्यावरण सांख्यिकी और वर्गीकरण के क्षेत्रों में कार्यप्रणाली के विकास पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ जोड़ा गया है। इन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में मंत्रालय के अधिकारियों के योगदान की अत्यधिक सराहना की गई है।

1.5 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखे तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण और बचत के साथ–साथ संस्थागत क्षेत्र के लेन–देन के ब्यौरे शामिल हैं । राष्ट्रीय लेखा प्रभाग प्रतिवर्ष इन आंकड़ों के साथ, 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी' नाम से एक प्रकाशन निकालता है। राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम जारी कैलेण्डर में पूर्व–अधिसूचित अनुसूची के अनुसार समय–समय पर सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संकुचन का अनुमान 2019–20 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 7.3 प्रतिशत अनुमानित है। मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2020–21 में ₹124.53 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2019–20 में ₹132.71 लाख करोड़ था, जो 6.2 प्रतिशत का संकुचन दर्शाता है।

1.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का विरूपण, उपभोग के प्रयोजनार्थ परिवार द्वारा खरीदे गए चयनित वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य स्तर के रिटेल मूल्यों में समय के साथ हुए बदलावों को मापने के लिए किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं का वृहत्त स्तर पर, मुद्रास्फीति के वृहत–आर्थिक संकेतकों और मुद्रास्फीति को लक्षित करने तथा मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए सरकार तथा भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग, राष्ट्रीय लेखों के अपस्फीतकों के रूप में भी किया जाता है । भारतीय रिर्जव बैंक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति मापने के लिए भी करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधार वर्ष 2012=100 पर अक्तूबर 2021 (अनंतिम) माह का अखिल भारत ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः 166.3, 164.6 तथा 165.5 जारी किए, जो कि क्रमशः 4.07%, 5.04% तथा 4.48% की वार्षिक मंहगाई दर तथा सितंबर, 2021 (अंतिम) के लिए क्रमशः 4.13%, 4.57% तथा 4.35% थी। अक्तूबर, 2021 (अनंतिम) माह के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए क्रमशः 164.4, 171.3 तथा 166.9 था। अक्तूबर, 2021 माह के लिए सीएफपीआई के लिए अखिल भारतीय वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति दरें (अनंतिम), ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्र के लिए मुद्रास्फीति दरें क्रमशरू 0.31%, 1.72% तथा 0.85% थीं। सितंबर, 2021 माह के लिए ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्र के लिए तदनुरूपी मुद्रास्फीति दरें (अंतिम) क्रमशः 0.69%, 0.67% तथा 0.68% थी।

1.7 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), फैक्ट्रियों के निर्धारित पैनल से निर्धारित मदों के आंकड़ों पर आधारित ऐसी यूनिट–मुक्त संख्या है, जो विनिर्माण क्षेत्र में, अल्पावधि परिवर्तनों को दर्शाता है और यह 6 सप्ताह के समय अंतराल पर मासिक आधार पर जारी किये जाते हैं। नवम्बर, 2021 माह के लिए आईआईपी 128.5 रही, जो नवम्बर, 2021 माह के स्तर की तुलना में 1.4 प्रतिशत अधिक है।

1.8 7वीं आर्थिक जनगणना (ईसी) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019–21 की अवधि के दौरान अम्ब्रेला योजना क्षमता विकास के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र उप–योजना के रूप में आयोजित की जा रही है।आर्थिक गणना औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र के कुल गैर–कृषि उद्यमों और भूगोल के सबसे आखिरी

स्तर के क्रास सैक्शनल पैरामीटरों के साथ उसमें काम करने वाले कामगारों की संख्या दर्शाता है। दिनांक 31.03. 2021 तक देश भर में 7वीं आर्थिक गणना के अंतर्गत 40 करोड़ से भी अधिक सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं और 7.5 करोड़ से अधिक उद्यमों से सूचना कैप्चर की गई है। अनंतिम परिणाम (अब तक संग्रहित आंकड़ों पर) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे टिप्पणी प्राप्त करने के लिए साझा किए गए थे।

1.9 एमओएसपीआई ने संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला के बाद, शुरू में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) विकसित किया था जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी की सुविधा के लिए पहचाने गए डेटा स्रोतों और आवधिकता के साथ 306 राष्ट्रीय संकेतक शामिल थे। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क की आवधिक समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में और नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों सहित एक उच्च स्तरीय संचालन समिति द्वारा राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क की आवधिक समीक्षा की जाती है और उसमें सुधार किए जाते हैं। एचएलएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में एसडीजी पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया गया है। वर्तमान में, एनआईएफ संस्करण 3.1 में, पहचान किए गए डेटा स्रोतों और आवधिकता के साथ 295 राष्ट्रीय संकेतक हैं।

1.10 वर्ष 2021–22 के दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग ने निम्नलखित महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की हैं:

- सतत विकास लक्ष्य संकेतकों, डेटा संकलन और संभावित डेटा पृथक्करण की समीक्षा के लिए कई अंतर–मंत्रालयी परामर्श/बैठकें आयोजित कीं और विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समितियों, तकनीकी समूहों और समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- निचले प्रशासनिक स्तरों पर सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वयं के राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ) और जिला संकेतक ढांचे (डीआईएफ) के विकास में तकनीकी सहायता प्रदान की।

- विशेष रूप से अलग–अलग डेटा के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य पर डेटा अंतराल को पाटने के लिए केंद्रित प्रयास किए गए।

- उद्देश्यों और लक्ष्यों को और अधिक प्रचारित करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए सांख्यिकी दिवस की थीम को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) –2 (भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना) के रूप में घोषित किया।

- भारत में आर्थिक विकास के पाठ्यक्रम को तैयार करते समय (i) प्राकृतिक पूंजी लेखांकन के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए (ii) सफल कार्यान्वयन के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता

(iii) पर्यावरण की स्थिरता और संरक्षण को एकीकृत करने की दृष्टि से एसईईए के भावी उपयोग के लिए जनवरी 2021 में 14, 21 और 28 जनवरी, 2021 को आयोजित तीन सत्रों की एक श्रृंखला के रूप में एनसीएवीईएस इंडिया फोरम (एक वर्चुअल प्रारूप में) का आयोजन किया गया।

1.11 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की गतिविधियों में से एक गतिविधि यह है कि उसे सामाजिक, पर्यावरण तथा बहु–कार्यक्षेत्र संबंधी आंकड़ों पर सांख्यिकीय सूचना प्रसारित करनी होती है। वर्ष 2021 के दौरान प्रभाग द्वारा जारी की गई पत्रिकाओं की सूची निम्नानुसार हैः

(क) एसडीजी–एनआईएफ पर पहली प्रगति रिपोर्ट का प्रारंभिक संस्करण अर्थात, ''सतत विकास लक्ष्य –राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.0)'', मार्च 2021 में जारी की गई थी। बाद में, ''सतत विकास लक्ष्य–राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.1)'' शीर्षक से प्रगति रिपोर्ट का अंतिम संस्करण 29 जून, 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जारी की गई थी।

(ख) राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ), (संस्करण 3.1) पर हैंडबुक और एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.1) पर एक डेटा स्नैपशॉट भी 29 जून 2021 को जारी किए गए थे। ये रिपोर्टें तथा एसडीजी डैश बोर्ड सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट www.mospi.gov.in पर देखा जा सकता है।

(ग) 'भारत में विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) – एक सांख्यिकीय प्रोफाइलः 2021' शीर्षक वाला एक प्रकाशन मार्च 2021 में जारी किया गया था। यह प्रकाशन विकलांगता पर एनएसएस 76 वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई–दिसंबर 2018) और भारत की जनगणना 2011 पर आधारित है, जो विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगों) की वास्तविक संख्या, उनकी शैक्षिक स्थिति, रोजगार की स्थिति और वैवाहिक स्थिति आदि की जानकारी प्रदान करता है।

(घ) पर्यावरण सांख्यिकी पर वार्षिक प्रकाशन, "'एन्वीस्टैट इंडिया 2021; भाग I: पर्यावरण सांख्यिकी': पर्यावरण सांख्यिकी" मार्च 2021 में जारी किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सांख्यिकी 2013 के विकास के लिए फ्रेमवर्क (एफडीईएस 2013) पर आधारित है।

(ड़) पर्यावरण सांख्यिकी पर वार्षिक प्रकाशन, "एन्वीस्टैट इंडिया 2021; भाग II: पर्यावरण लेखाओं" सितंबर 2021 में जारी किया गया था जिसमें फसल प्रावधान सेवाएं, जल गुणवत्ता लेखा, मृदा पोषक तत्व सूचकांक और आईयूसीएन लाल सूची की प्रजातियों की समृद्धि जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया था।

(च) "भारत में महिलाएं और पुरुष, 2020" का वार्षिक प्रकाशन मार्च 2021 में जारी किया गया था। यह प्रकाशन विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर जेंडर–वार अलग–अलग डेटा प्रदान करता है और इस अंतराल को कम करने के लिए उचित हस्तक्षेप विकसित करने के लिए नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने की परिकल्पना करता है।

(छ) जेंडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, भारत के राज्यों के लिए एचडीआई, जीडीआई और जीआईआई की

गणना के लिए एक वर्किंग पेपर मार्च 2021 में जारी किया गया था। यह पद्धति प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और अन्य मापदंडों पर उप–राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को मापने और निगरानी के लिए नोडल मंत्रालयों/विभागों/राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा।

(ज) तदर्थ प्रकाशन "भारत में बुजुर्ग, 2021" जुलाई 2021 में जारी किया गया था। यह प्रकाशन बुजुर्ग आबादी के विभिन्न पहलुओं अर्थात जनसंख्या और महत्वपूर्ण सांख्यिकी, आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर डेटा प्रदान करता है।

(झ) ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन (जेएसपी) 2021 और ब्रिक्स जेएसपी–स्नैपशॉट 2021 अक्टूबर 2021 में आयोजित ब्रिक्स एनएसओ के प्रमुखों की 13वीं बैठक में जारी किए गए थे। ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन (जेएसपी) पांच देशों के मुख्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों का व्यापक सांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है।

1.12 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस), एनएसओ विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर राष्ट्र–व्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है ताकि आंकड़े तैयार किए जा सकें और सरकार के विभिन्न नियोजन और निर्णय लेने के अभ्यास के लिए आवश्यक सांख्यिकीय उत्पाद प्रदान किए जा सकें। एनएसएस, एनएसओ ने निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम और आंकड़े जारी किए हैं:

(क) वर्ष 2019–20 के लिए 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (पीएलएफएस) पर वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2021 में जारी की गई थी। जुलाई–सितंबर 2020, अक्टूबर–दिसंबर 2020 और जनवरी–मार्च 2021 की तिमाही के लिए पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन क्रमशः अगस्त, सितंबर और नवंबर 2021 में जारी किए गए थे। जुलाई 2019 – जून 2020 की अवधि के लिए पीएलएफएस के अतिरिक्त संकेतक पर वार्षिक बुलेटिन सितंबर, 2021 में जारी किया गया था। पीएलएफएस का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार के विभिन्न संकेतकों के त्रैमासिक परिवर्तनों को मापने के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रम शक्ति संकेतकों का वार्षिक अनुमान जनरेट करना है।

(ख) एनएसएस का 77वां दौर (जनवरी–दिसंबर 2019) (i) परिवारों की भूमि और पशुधन जोत और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन और (ii) ऋण और निवेश के विषयों के लिए समर्पित था। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण के आधार पर, दो रिपोर्ट अर्थात (i) रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और परिवारों की पशुधन होल्डिंग्स की स्थिति का आकलन, 2019 और (ii) रिपोर्ट संख्या 588: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण–2019 सितंबर 2021 में जारी किए गए थे।

(ग) अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई 2021–22) अप्रैल, 2021 से शुरू किया गया है जिसमें अनिगमित गैर–कृषि क्षेत्र के उद्यमों को शामिल किया गया है, जो तीन क्षेत्रों से संबंधित अथवा पूरे भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाएं (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के गांवों को छोड़कर जिन तक पहुंचना मुश्किल है) हैं। सर्वेक्षण के लिए एरिया फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान एरिया फ्रेम के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) एनएसएस (जनवरी–दिसंबर 2020) का 78वां दौर (i) घरेलू पर्यटन पर व्यय और (ii) बहुविकल्पी संकेतक सर्वेक्षण के विषयों के लिए समर्पित है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों के कारण 'डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर' पर सर्वेक्षण को 1 जुलाई 2020 से निलंबित किया गया । एनएसओ द्वारा पहली बार सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों से संबंधित अनुमान प्रदान करने के लिए बहुविकल्पी संकेतक सर्वेक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय प्रतिदर्शों के लिए डेटा का संग्रह कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है, जो एनएसओ (डीक्यूएडी) द्वारा विकसित किया गया था स डेटा को अंतिम रूप देने और टेबल जनरेशन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर भी एनएसओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। सर्वेक्षण 1 जनवरी, 2020 को शुरू किया गया था। हालांकि सर्वेक्षण दिसंबर 2020 तक पूरा होने वाला था, सर्वेक्षण महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया था और सर्वेक्षण की अवधि 15 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।

(ङ) एनएसएस का 79वां दौर (जनवरी–दिसंबर 2022) 'आयुष' पर एक सर्वेक्षण के साथ 'व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस)' के माध्यम से कई एसडीजी संकेतकों के संकलन के लिए डेटा के संग्रह के लिए निर्धारित किया गया है। उच्च आवृत्ति वाले सामाजिक–आर्थिक संकेतकों पर सूचना की उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीएएमएस की शुरुआत की गई है जो मौजूदा सर्वेक्षण, प्रशासनिक डेटा इत्यादि जैसे किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही, सीएएमएस विभिन्न एसडीजी के प्रदर्शन की निगरानी के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। यह सर्वेक्षण वार्षिक प्रकृति का होगा जिसमें संबंधित मंत्रालयों की आवश्यकताओं के आधार पर कुछ मॉड्यूलों को दोहराया, जोड़ा या हटाया जा सकता है। 79वें दौर के एनएसएस में आयुष (अर्थात् आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा–रिग्पा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी) पर पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण भी शामिल होगा।

(च) सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) का उद्देश्य न केवल अखिल भारतीय स्तर पर बल्कि राज्य/उद्योग स्तर पर भी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि इनपुट, आउटपुट, जीवीए, रोजगार, पूंजी निर्माण आदि प्रदान करना है। सर्वेक्षण में निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों को शामिल करने का प्रस्ताव है। एएसएसएसई के लिए एक सूची फ्रेम विकसित करने के लिए जीएसटीएन पंजीकरण डेटाबेस का पता लगाया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराने की क्षमता है।

(छ) आरपीसी बुलेटिन जिसे 'ग्रामीण भारत में मूल्य और मजदूरी' कहा जाता है, जो प्रत्येक तिमाही के लिए एनएसएस के डेटा गुणवत्ता और आश्वासन प्रभाग (डीक्यूएडी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो नई श्रृंखला को अंतिम रूप दिए जाने तक पच्चीस प्रमुख राज्यों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 260 वस्तुओं और मजदूरी डेटा के संबंध में केवल राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य डेटा प्रदान करता है। जनवरी–मार्च 2021 और अप्रैल–जून 2021 के लिए आरपीसी (ग्रामीण मूल्य संग्रह) बुलेटिन प्रकाशित किया गया है।

1.13 सांख्यिकी दिवसः आर्थिक नियोजन और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में (दिवंगत) प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विशेष दिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया है। इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में

(दिवंगत) प्रो. महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए लोगों विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जन जागरूकता पैदा करना है।

1.14 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस वर्ष 15वां सांख्यिकी दिवस 29 जून, 2021 को वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण वर्चुअल मोड में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मनाया। मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया था। 'सांख्यिकी दिवस 2021' का विषय सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी–2) (भूख खत्म करें,खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सिर्फ कृषि को बढ़ावा दें) था।

1.15 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और योजना मंत्रालय, राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में अवसर का मान बढ़ाया और वर्चुअल मोड के माध्यम से सहभागियों को संबोधित किया। प्रोफेसर विमल कुमार रॉय, अध्यक्ष ,राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी), डॉ जी. पी. सामंता, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने भी दर्शकों को संबोधित किया। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के प्रतिनिधि नामतरू श्रीमान पिएट्रो गेनारी, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्य सांख्यिकीविद, सुश्री रेनाटा लोक डेसालियन, संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट्स समन्वयक ने इस अवसर पर उनके संदेश को संप्रेषित किया। केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के प्रतिनिधि इत्यादि भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

1.16 कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर. बी. बर्मन को आजीवन उपलब्धियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी–2021 में प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 45 वर्ष से अधिक आयु के सेवारत आधिकारिक सांख्यिकीविद् की श्रेणी में आधिकारिक सांख्यिकी–2021 में प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार डॉ. सीताभरा सिन्हा, प्रोफेसर, गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई को प्रदान किया गया। युवा सांख्यिकीविदों के लिए सांख्यिकी में प्रो. सी.आर. राव राष्ट्रीय पुरस्कार–2021 डॉ. किरणमय दास, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को दिया गया।

1.17 मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध का अवसंरचना परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर समय और लागत वृद्धि पर ₹150 करोड़ और इससे अधिक की लागत वाली जारी केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करता है। संबंधित मंत्रालय/एजेंसियां ₹150 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए और अनुरक्षित ऑनलाइन मंच अर्थात ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पर डाटा अपलोड कर रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए डाटा की तुलना करता है और मासिक फ्लैश रिपोर्ट (एफआर) तथा तिमाही परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट (क्यूपीआईएसआर) का प्रकाशन करता है। मासिक फ्लैश रिपोर्ट के प्रकाशन की समय सीमा नवंबर 2021 से रिपोर्ट किए जाने वाले महीने के लिए 50 दिन से कम करके 15 दिन कर दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में संबंधित मंत्रालयों के साथ मंत्रालय के निरंतर प्रोत्साहन से, ओसीएमएस पर केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। अगस्त 2021 माह से, मंत्रालय के ओसीएमएस पर मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं की रिपोर्टिंग 92 प्रतिशत से अधिक रही है। 01.01.2021 तक, मंत्रालय ने लगभग ₹22,29,544.27 करोड़ की लागत वाली कुल 1679 परियोजनाओं की निगरानी की, जिसमें से 541 परियोजनाओं

में विलंब हुआ। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 439 परियोजनाओं के लिए कुल ₹4,38,049.58 करोड़ की लागत वृद्धि दर्ज की गई। 2021–22 (अप्रैल 2021–नवंबर 2021) के दौरान, ₹1,77,031.25 करोड़ की पूर्ण लागत के साथ कुल 170 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दर्ज की गई।

1.18 आईपीएमडी मासिक उत्पादन और संचयी उत्पादन लक्ष्यों के लिए मासिक आधार पर 11 मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों के निष्पादन की भी निगरानी करता है। अवसंरचना क्षेत्रों के निष्पादन पर नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर, 2021 के माह तक विद्युत उत्पादन, हवाई अड्डों पर संचालित आयात कार्गों और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्रियों की आवा–जाही भीड़ और हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनल पर यात्रियों की आवा–जाही ने अपने लक्ष्यों में बढ़ोतरी की। वे क्षेत्र जिनके लक्ष्यों में कमी आई वे हैं कोयला उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, रिफाइनरी उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन, एनएचएआई द्वारा राजमार्ग के उन्नयन, रेलवे, हवाई अड्डों के शामिल है। राज्य पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा मौजूदा कमजोर पटरी का निर्माण/विस्तारीकरण/मजबूती करना, सवारी गुणवत्ता में सुधार लाना, रेलवे में राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात और हवाई अड्डों पर संचालित निर्यात कार्गो शामिल हैं।

1.19 23 दिसंबर, 1993 को, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों (एमपी) को सक्षम बनाना है ताकि वे अपने निर्वाचन/पात्र क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर देकर विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश कर सकें। इस योजना के प्रारंभ से दिनांक 30.11.2021 तक ₹55809.75 करोड़ जारी किए गए हैं। जिलों से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.11.2021 तक इस योजना के अंतर्गत ₹54243.36 करोड़ व्यय किए गए हैं। योजना के आरंभ से दिनांक 30.11.2021 तक जारी की गई राशि में से 97.19 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.11.2021 तक 600 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

1.20 वैश्विक महामारी कोविड–19 के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभाव प्रबंधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए एमपीलैड योजना को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए, एमपीलैड योजना के अंतर्गत ₹ 3950 करोड़ का बजटीय परिव्यय योजना को वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया है। हालांकि, व्यय विभाग ने अपने दिनांक 28.5.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 469 लंबित किस्तों को जारी करने के लिए केवल ₹ 11172.50 करोड़ की धनराशि आवंटित की। इसके परिणामस्वरूप, मौजूदा वित्त वर्ष 2021–22 (30 नवंबर, 2021 तक) में पिछले वर्षों की अव्ययित राशि से ₹2041.66 करोड़ का व्यय किया गया है।

1.21 सरकार ने 2 करोड़ रुपये प्रति संसद सदस्य प्रति किस्त की दर से एमपीलैड्स निधियों को जारी करने के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए दिनांक 10.11.2022 से एमपीलैड्स योजना को बहाल कर दिया है और प्रति सांसद (एमपी) 5 करोड़ रुपये की वार्षिक पात्रता के साथ, जो मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी की जाएगी, वित्तीय वर्ष 2025–26 तक एमपीलैड्स योजना को जारी रखा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को संशोधित करने और मुख्य धारा में लाने तथा एमपीलैड्स पोर्टल में सुधार लाने का प्रस्ताव देता है।

1.22 इस संबंध में, मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को नीति आयोग, नई दिल्ली में 'एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का प्रस्तावित संशोधन और एमपीलैड्स पोर्टल का पुनरुद्धार' पर एक दिवसीय इंटरैक्टिव कार्यशाला

आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राव इंद्रजीत सिंह ने की थी । हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली राज्यों में एमपीलैड्स के कार्यों को संभालने वाले अधिकारियों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रतिभागियों

ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने बहुमूल्य इनपुट, मत, विचार और अनुभव साझा किए। कार्यशाला बहुत ही उपयोगी और लाभदायक थी। प्रतिभागियों के सुझावों और फीडबैक से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को मुख्य धारा में लाने और एमपीलैड्स पोर्टल का सुधार करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

1.23 डाटा सूचना एवं नवाचार प्रभाग (डीआईआईडी) 24x7x7 आधार पर मिनी डाटा केंद्र का संचालन और रखरखाव करता है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्पादों के डाटा प्रसार के लिए उत्तरदायी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय एकीकृत सूचना मंच (एनआईआईपी) को सरकारी सांख्यिकी प्रक्रियाओं के स्वचालन और सरकारी सांख्यिकी के राष्ट्रीय डाटा वेयरहाउस (एनडीडब्ल्यूओएस) के विकास के लिए एक मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है। एनडीडब्ल्यूओएस का उद्देश्य समरूप मेटा–डाटा के साथ सभी सरकारी सांख्यिकी को अत्याधुनिक डिजीटल भंडार गृह के रूप में विकसित करना है। एनआईआईपी परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) के आंतरिक प्रयोग के लिए सांख्यिकीय प्रणाली के समग्र क्षमता निर्माण हेतु शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) का भी विकास किया गया है। सांख्यिकी/ग्राफ/चार्ट/जीआईएस विजुअलाइजेशन के वांछित सेट के लिए विभिन्न डैशबोर्ड पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

1.24 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट (**http://www.mospi.gov.in**) प्रयोक्ताओं के लिए एकीकृत डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके तैयार की गई है। मंत्रालय की भूमिका, गतिविधियों, संपर्कों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा, वेबसाइट एक ऐसा मंच है जिसमें सभी सांख्यिकीय प्रकाशन/रिपोर्ट, डेटा और डैशबोर्ड हैं।

1.25 मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) संवर्गों के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के साथ–साथ उनके प्रशिक्षण, कैरियर, प्रोन्नति तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित कार्य करता है।

1.26 यह मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता है तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (अधिनियम 1959 का नियम 57) के उपबंधों के अनुसार इसकी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। यह सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 (अधिनियम 2009 का नियम 7) को भी संचालित करता है।

1.27 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यों का आबंटन अनुबंध–**II** पर दिया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट (**http://www.mospi.gov.in**) अभिकल्पित और तैयार की गई है तथा इसका रख–रखाव मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के डेटा सूचना तथा नवाचार प्रभाग के अंतर्गत संगणक केंद्र द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न हितधारकों की पहुंच/उपयोग के लिए मंत्रालय की रिपोर्टें बड़ी संख्या में वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रिपोर्टों को डाउनलोड करने/देखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की गई है।

1.28 मंत्रालय का कुल बजट आवंटन बी.ई. स्तर पर वर्ष 2021–22 के लिए ₹1409.13 करोड़ (योजना और गैर–योजना) है, जिसमें से ₹646.98 करोड़ योजना के लिए है और ₹762.15 करोड़ गैर–योजना के लिए है। इस मंत्रालय द्वारा संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए बजटीय आबंटन करते समय उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया था।

1.29 वर्ष 2019–2020 के लिए लंबित देनदारियों को पूरा करने हेतु एमपीलैड्स के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु अनुपूरक अनुदान मांग के पहले बैच के अंतर्गत ₹1172.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी)

2.1 भारत सरकार ने 1 जून, 2005 को एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की स्थापना करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना वर्ष 2001 में रंगराजन आयोग द्वारा भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने तथा मंत्रिमंडल द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार करने के उपरांत की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन 12 जुलाई, 2006 को किया गया था और यह तब से कार्य कर रहा है। एनएससी में एक अंशकालिक अध्यक्ष और चार अंशकालिक सदस्य हैं, विशिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले तथा अनुभवी व्यक्ति हैं। इसके अलावा, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएससी के पदेन सदस्य हैं। अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सचिव हैं। वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव भी हैं।

2.2 15 जुलाई, 2019 से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	**नाम और पदनाम**	**तक कार्यकाल**
1	प्रो. बिमल कुमार रॉय, अध्यक्ष	14th जुलाई, 2022
2	डॉ. किरण पाण्ड्या, सदस्य	14th जुलाई, 2022
3	श्री पुलक घोष, सदस्य	14thजुलाई, 2022
4	डॉ. गुरुचरण मन्ना, सदस्य	14thजुलाई, 2022
5	रिक्त	——

2.3 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) के कार्यों को भारत सरकार के संकल्प दिनांक 5 नवंबर, 2019 में निर्धारित किया गया है। संकल्प में आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसके कार्यकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में, यथास्थिति, रखे जाने का प्रावधान करता है।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानकों का विकास करता है। इसकी गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ–साथ, जेंडर सांख्यिकी और आर्थिक गणना तथा सरकारी सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने सहित राष्ट्रीय लेखों का संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/ संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास सांख्यिकी शामिल है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गतिविधियां मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय नामतः क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) के माध्यम से संचालित की जाती हैं । एनएसओ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास में सहायता करता है तथा ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार करता है और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण तैयार करता है।

राष्ट्रीय लेखा

3.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थागत क्षेत्रों के लेन–देन के विस्तृत ब्योरों के साथ बचत के अनुमान शामिल हैं। एनएडी इन आंकड़ों को शामिल कर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है। एनएडी समय–समय पर आपूर्ति–उपयोग तालिकाएं (एसयूटी) तथा इनपुट–आउटपुट लेन–देन तालिकाएं (आईओटीटी) तैयार करने तथा जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। एनएडी राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मामलों पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखता है।

3.2 एनएडी राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमानों सहित राज्य की आय और संबंधित समुच्चयों के अनुमानों के समेकन पर राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा बड़े–क्षेत्रीय सेक्टरों अर्थात रेलवे, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और केंद्रीय सरकार प्रशासन के संबंध में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) और सकल नियत पूंजी सृजन (जीएफसीएफ) के राज्य स्तरीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं ।

3.3 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमानों में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनएडी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के परामर्श से आर्थिक क्रियाकलाप और प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों द्वारा सकल और निवल राज्य परिवार उत्पाद (जीएसडीपी/एनएसडीपी) के तुलनात्मक अनुमानों का संकलन करता है।

3.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रचार–प्रसार मानकों के अनुपालनार्थ तथा इसकी अपनी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में दी गई पूर्व निर्दिष्ट सूची के अनुसार समय–समय पर जीडीपी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। वर्ष 2022 में एनएडी द्वारा विभिन्न अनुमानों को जारी करने की अनुसूची नीचे दी गई है:

<u>जीडीपी के तिमाही अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1) वर्ष 2021–22 की तीसरी तिमाही : 28 फरवरी 2022

(2) वर्ष 2021–22 की चौथी तिमाही : 31 मई 2022

(3) वर्ष 2022–23 की प्रथम तिमाही : 31 अगस्त 2022

(4) वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही : 30 नवंबर 2022

प्रथम तिमाहीः अप्रैल–जून, दूसरी तिमाहीः जुलाई–सितम्बर, तीसरी तिमाहीः अक्तूबर–दिसम्बर, चौथी तिमाहीः जनवरी–मार्च

<u>जीडीपी के वार्षिक अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1) वर्ष 2021–22 के प्रथम अग्रिम अनुमान : 07 जनवरी 2022

(2) वर्ष 2020–21 के प्रथम संशोधित अनुमान : 31 जनवरी 2022

(3) वर्ष 2021–22 के दूसरे अग्रिम अनुमान : 28 फरवरी 2022

(4) वर्ष 2021–22 के अनंतिम अनुमान : 31 मई 2022

3.5 31 मई, 2021 को जारी किये गए अनंतिम अनुमानों (पीई) 2020–21 के अनुसार व्यय अनुमानों के साथ वर्तमान और स्थिर मूल्यों दोनों पर जीवीए के औद्योगिक वार अनुमानों को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण 1: सकल घरेलू उत्पाद 2020–21 पर राष्ट्रीय आय और व्यय के अनंतिम अनुमान (2011–12 मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	2018-19	2019-20	2020-21	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
		(दूसरी आरई)	(प्रथम आरई)	(पीई)	2019-20	2020-21
	घरेलू उत्पाद					
1	बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	1,27,44,203	1,32,71,471	1,24,53,430	4.1	-6.2
2	उत्पादों पर निवल कर	12,59,114	12,97,797	10,59,310	3.1	-18.4
3	जीडीपी (1+2)	1,40,03,316	1,45,69,268	1,35,12,740	4.0	-7.3
4	एनडीपी	1,23,92,839	1,28,22,882	1,18,74,000	3.5	-7.4
	अंतिम रूप से व्यय					
5	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	78,84,423	83,21,701	75,60,985		
6	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	14,29,055	15,41,742	15,86,745		

7	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीई)	44,86,205	47,30,416	42,20,508		
8	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	2,62,639	1,58,385	1,54,276		
9	बहुमूल्य वस्तुएं	1,91,704	1,64,527	1,67,784		
10	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	29,23,273	28,26,639	26,94,386		
11	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	33,43,220	33,17,165	28,65,827		
12	विसंगतियां	1,69,236	1,43,023	-6,117		
13	जीडीपी	1,40,03,316	1,45,69,268	1,35,12,740		
	जीडीपी की दरें					
14	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	56.3	57.1	56.0		
15	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	10.2	10.6	11.7		
16	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)	32.0	32.5	31.2		
17	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	1.9	1.1	1.1		
18	बहुमूल्य वस्तुएं	1.4	1.1	1.2		
19	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	20.9	19.4	19.9		
20	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	23.9	22.8	21.2		
21	विसंगतियां	1.2	1.0	-0.05		
22	जीडीपी	100.0	100.0	100.0		
	राष्ट्रीय उत्पाद					
23	जीएनआई	1,38,50,857	1,44,27,632	1,33,84,612	4.2	-7.2
24	एनएनआई	1,22,40,380	1,26,81,246	1,17,45,872	3.6	-7.4
	प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद और अंतिम रूप से खपत					
25	जनसंख्या* (लाखों में)	1327	1341	1355		
26	प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹)	1,05,526	1,08,645	99,694	3.0	-8.2
27	प्रति व्यक्ति जीएनआई (₹)	1,04,377	1,07,589	98,749	3.1	-8.2
28	प्रति व्यक्ति एनएनआई (₹)	92,241	94,566	86,659	2.5	-8.4
29	प्रति व्यक्ति पीएफसीई (₹)	59,415	62,056	55,783	4.4	-10.1

* मध्य वित्तीय वर्ष से संबंधित

आरईः संशोधित अनुमान पीईः अनंतिम अनुमान

विवरण 2: सकल घरेलू उत्पाद 2020–21 पर राष्ट्रीय आय और व्यय के अनंतिम अनुमान (वर्तमान मूल्यों पर) (मौजूदा कीमतों पर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	2018-19	2019-20	2020-21	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
		(दूसरी आरई)	(प्रथम आरई)	(पीई)	2019-20	2020-21
	घरेलू उत्पाद					
1	बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	1,71,61,213	1,84,61,343	1,79,15,167	7.6	-3.0
2	उत्पादों पर निवल कर	17,25,744	18,89,670	18,30,503	9.5	-3.1
3	जीडीपी (1+2)	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670	7.8	-3.0
4	एनडीपी	1,69,06,970	1,81,87,414	1,76,46,082	7.6	-3.0
	अंतिम रूप से व्यय					
5	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	1,12,22,072	1,23,09,019	1,15,68,231		
6	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	20,37,627	22,85,016	24,67,415		
7	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)	55,12,930	58,51,313	53,49,875		
8	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	3,18,013	1,94,441	1,95,411		
9	बहुमूल्य वस्तुएं	2,26,095	1,94,700	2,35,782		
10	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	37,66,294	37,50,567	36,85,170		
11	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	44,68,166	42,65,040	37,92,712		
12	विसंगतियां	2,72,092	30,997	36,499		
13	जीडीपी	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670		
	जीडीपी की दरें					
14	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	59.4	60.5	58.6		
15	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	10.8	11.2	12.5		
16	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)	29.2	28.8	27.1		
17	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	1.7	1.0	1.0		
18	बहुमूल्य वस्तुएं	1.2	1.0	1.2		
19	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	19.9	18.4	18.7		

20	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	23.7	21.0	19.2		
21	विसंगतियां	1.4	0.2	0.2		
22	जीडीपी	100.0	100.0	100.0		
	राष्ट्रीय उत्पाद					
23	जीएनआई	1,86,84,632	2,01,57,899	1,95,61,348	7.9	-3.0
24	एनएनआई	1,67,04,645	1,79,94,301	1,74,61,759	7.7	-3.0
25	जीएनडीआई	1,91,78,372	2,06,98,263	2,01,28,484	7.9	-2.8
26	एनएनडीआई	1,71,98,385	1,85,34,665	1,80,28,896	7.8	-2.7
	प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद और अंतिम रूप से खपत					
27	प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹)	1,42,328	1,51,760	1,45,680	6.6	-4.0
28	प्रति व्यक्ति जीएनआई (₹)	1,40,804	1,50,320	1,44,320	6.8	-4.0
29	प्रति व्यक्ति एनएनआई (₹)	1,25,883	1,34,186	1,28,829	6.6	-4.0
30	प्रति व्यक्ति जीएनडीआई (₹)	1,44,524	1,54,349	1,48,504	6.8	-3.8
31	प्रति व्यक्ति पीएफसीई (₹)	84,567	91,790	85,348	8.5	-7.0

आरईः संशोधित अनुमान पीईः अनंतिम अनुमान

विवरण 3: आर्थिक गतिविधियों द्वारा बुनियादी मूल्यों पर जीवीए का अनंतिम अनुमान (2011–12 मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग	2018-19	2019-20	2020-21	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
		(दूसरी आरई)	(प्रथम आरई)	(पीई)	2019-20	2020-21
1.	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	18,87,145	19,68,571	20,40,079	4.3	3.6
2.	खनन एवं उत्खनन	3,30,521	3,22,116	2,94,644	-2.5	-8.5
3.	विनिर्माण	23,26,067	22,69,424	21,07,068	-2.4	-7.2
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2,94,488	3,00,532	3,06,254	2.1	1.9
5.	निर्माण	10,25,446	10,35,534	9,46,396	1.0	-8.6
6.	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	25,37,419	26,99,797	22,08,388	6.4	-18.2
7.	वित्तीय, रिएल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	27,18,784	29,16,509	28,72,815	7.3	-1.5

8.	लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	16,24,331	17,58,987	16,77,786	8.3	-4.6
	बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	**1,27,44,203**	**1,32,71,471**	**1,24,53,430**	**4.1**	**-6.2**

आरईः संशोधित अनुमान पीईः अनंतिम अनुमान

विवरण 4: आर्थिक गतिविधियों द्वारा बुनियादी मूल्यों पर जीवीए का प्रथम अग्रिम अनुमान (वर्तमान मूल्यों पर) (मौजूदा कीमतों पर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग	2018-19	2019-20	2020-21	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
		(दूसरी आरई)	(प्रथम आरई)	(पीई)	2019-20	2020-21
1.	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	30,16,277	33,94,033	36,16,523	12.5	6.6
2.	खनन एवं उत्खनन	3,77,171	3,55,833	2,92,120	-5.7	-17.9
3.	विनिर्माण	28,05,330	27,12,269	25,85,740	-3.3	-4.7
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	4,50,631	4,83,644	4,84,477	7.3	0.2
5.	निर्माण	13,49,795	13,68,638	12,82,048	1.4	-6.3
6.	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	32,00,285	34,80,240	29,41,477	8.7	-15.5
7.	वित्तीय, रिएल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	35,42,458	39,15,848	39,50,786	10.5	0.9
8.	लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	24,19,266	27,50,837	27,61,996	13.7	0.4
	बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	**1,71,61,213**	**1,84,61,343**	**1,79,15,167**	**7.6**	**-3.0**

आरईः संशोधित अनुमान पीईः अनंतिम अनुमान

3.6 वर्ष 2021–22 (30 नवंबर, 2021 तक) के लिए एनएडी द्वारा जारी किए गए प्रकाशन, आंकड़ों और रिपोर्टें, जो सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	प्रकाशन/डेटा रिलीज/रिपोर्ट का विवरण	जारी करने की तिथि	जारी करने का तरीका
1.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी – 2021	मार्च 2021	ई–प्रकाशन
2.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य'– फरवरी, 2021	23rd अप्रैल, 2021	प्रेस नोट
3.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य*–मार्च, 2021	25th मई, 2021	प्रेस नोट

4.	वार्षिक राष्ट्रीय आय 2020–21 के अनंतिम अनुमान तथा वर्ष 2020–21 की चौथी तिमाही (क्यू 4) के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान	31st मई, 2021	प्रेस नोट
5.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य*–अप्रैल, 2021	25th जून, 2021	प्रेस नोट
6.	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से उत्पादन का राज्य–वार और वस्तु–वार मूल्य (2011–12 से 2018–19)	जुलाई 2021	ई–प्रकाशन
7.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य*–मई, 2021	23rd जुलाई, 2021	प्रेस नोट
8.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य*–जून, 2021	25th अगस्त, 2021	प्रेस नोट
9.	वर्ष 2021–22 की प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून) के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान	31st अगस्त, 2021	प्रेस नोट
10.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य*–जुलाई, 2021	24th सितंबर, 2021	प्रेस नोट
11.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य*–अगस्त, 2021	25th अक्तूबर, 2021	प्रेस नोट
12.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः रोजगार परिपेक्ष्य*–सितंबर, 2021	25th नवंबर, 2021	प्रेस नोट
13.	वर्ष 2021–22 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान	30th नवंबर 2021	प्रेस नोट

***प्रत्येक माह की 25वीं तारीख को जारी और यदि 25वीं तारीख को अवकाश है तो उससे पहले कार्य दिवस को जारी**

3.7 वर्ष 2021–22 (30 नवंबर, 2021 तक) के दौरान आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- वर्ष 2018 –19 तथा 2019 –20 के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों पर डीईएस के प्रतिनिधियों के साथ मई–जून, 2021 के दौरान वार्षिक विचार–विमर्श इलक्ट्रोनिक मोड में आयोजित किए गए ।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सांख्यिकी कार्मिकों के लिए राज्य घरेलू उत्पाद तथा अन्य संबंधित समुच्च्यों के संकलन पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वेबीनार के लिए 27 सितंबर से 01 अक्तूबर 2021 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित किए गए।

मूल्य सांख्यिकी

3.8 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सा.का.कार्या.म.), ने जनवरी 2011 से अखिल भारत तथा सभी राज्यों/संघ–राज्य क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष (2010=100) के साथ मासिक आधार पर ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्र हेतु पृथक रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करना आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के सामंजस्य से कार्यप्रणाली में बहुत से सुधारों को समाहित करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2010=100 से 2012=100 में संशोधित किया है। संशोधित श्रृंखला के लिए मदों तथा अधिमान रेखाचित्रों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 68वें दौर के उपभोक्ता व्यय

सर्वेक्षण (सीईएस) 2011–12 के मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया गया है। इसके अलावा, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) दस उप–समूहों नामतः 'अनाज तथा उत्पादय 'मांस तथा मछली'; 'अंडा'; 'दूध तथा उत्पाद'; 'तेल एवं वसा'; 'फल'; 'वनस्पति'; 'दलहन तथा उत्पाद'; 'चीनी एवं मिष्ठान' तथा 'मसाले' के अधिमान औसत सूचकांकों के रूप में भी जारी किए जा रहे हैं। सीएफपीआई में 'गैर–एल्कोहलिक पेय' तथा 'तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाइयां आदि' शामिल नहीं हैं।

सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति में रूझान

3.9 तालिका 1 में दिए गए अनुसार, संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारत वर्ष पर मुद्रास्फीति की दरें (पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह की तुलना में वर्तमान माह की सीपीआई के प्रतिशत बदलाव) अक्तूबर, 2020 से अक्तूबर, 2021 की अवधि के दौरान 4.00% से ऊपर थी। अक्तूबर, 2020 में दर सबसे अधिक 7.61% थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान जनवरी 2021 में न्यूनतम दर 4.06% दर्ज की गई थी।

सारणी 1: सीपीआई के आधार पर अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें(%)

माह और वर्ष	मुद्रास्फीति दरें
अक्टू.-20	7.61
नव.-20	6.93
दिस.-20	4.59
जन.-21	4.06
फर.-21	5.03
मार्च-21	5.52
अप्रैल-21	4.23
मई-21	6.3
जून-21	6.26
जुला.-21	5.59
अग.-21	5.3
सित.-21	4.35
अक्टू.-21#	4.48

#: अनंतिम

चित्र 1: सीपीआई (सामान्य) के आधार पर अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (:)

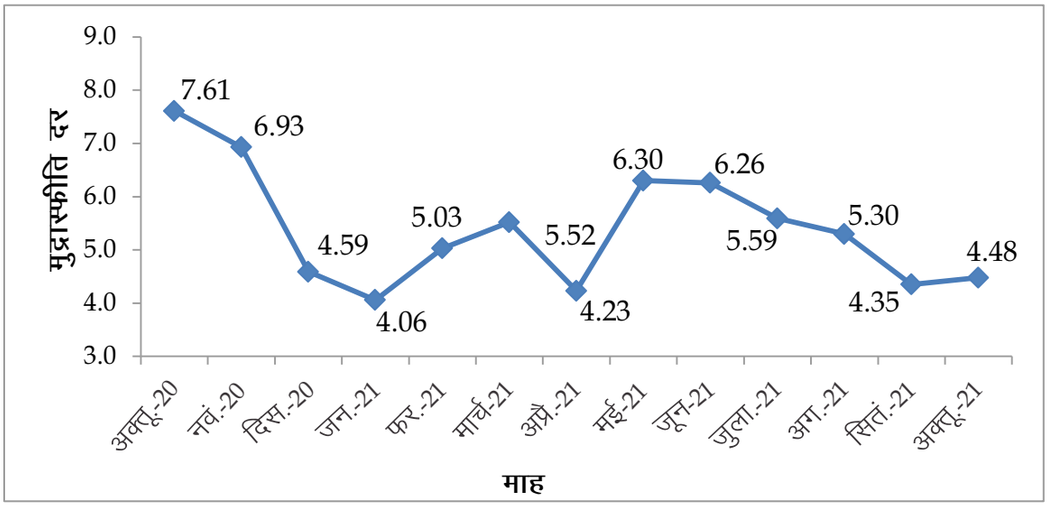

3.10 तालिका– 2 में दिए गए अनुसार, संयुक्त क्षेत्र के लिए सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारत वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%) दर्शाती हैं कि अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 (अनंतिम) के दौरान खाद्य मदों की औसत मुद्रास्फीति दर 4.26 % थी। सीएफपीआई मुद्रास्फीति ने अक्टूबर 2020 में 11.00 % के उच्चतम स्तर को और सितंबर 2021 में 0.68 % के न्यूनतम स्तर को छुआ है ।

तालिका 2 : सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारत वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

माह और वर्ष	मुद्रास्फीति दरें
अक्टू.-20	11.00
नव.-20	9.50
दिस.-20	3.41
जन.-21	1.96
फर.-21	3.87
मार्च-21	4.87
अप्रैल-21	1.96
मई-21	5.01
जून-21	5.15
जुला.-21	3.96
अग.-21	3.11
सित.-21	0.68
अक्टू.-21#	0.85

#: अनंतिम

चित्र 2: सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारत वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

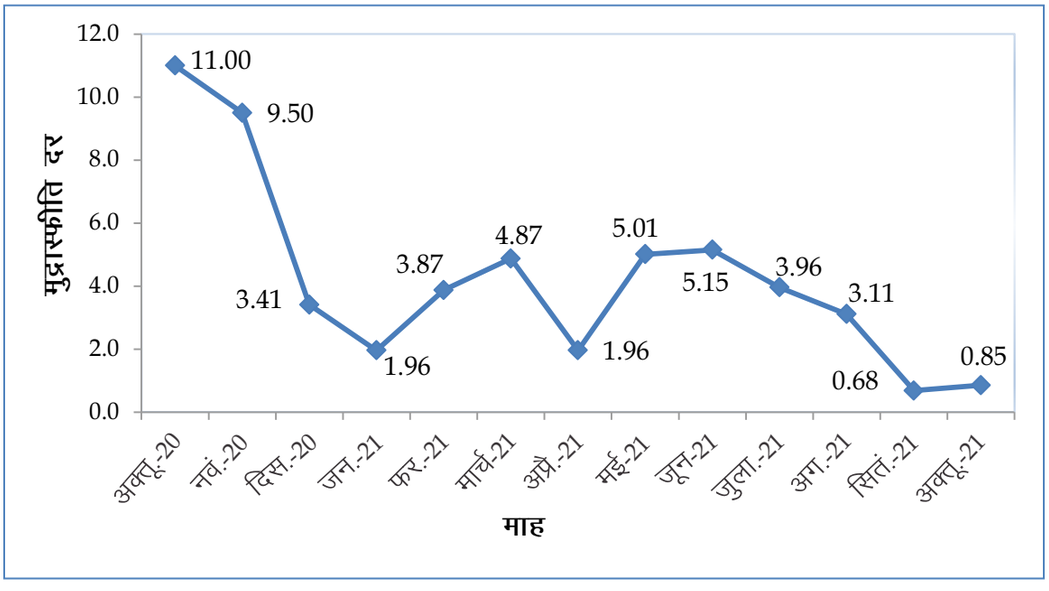

3.11 एनएसओ समूह और उप–समूह स्तरों पर भी ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है । उल्लेखनीय है कि यह परिपूर्ण रूप में 'खाद्य और पेय पदार्थ' का 45.86% शेयर है जिसमें संयुक्त क्षेत्र के सीपीआई बॉस्केट में सीएफपीआई का 39.06% शेयर शामिल है। अतः, आमतौर पर खाद्य मदें सीपीआई आधारित समग्र मुद्रास्फीति दर की प्रमुख संचालक होती हैं। उप–समूह/समूहवार मुद्रास्फीति दर और उनके संबंधित शेयर (अधिभार के संबंध में) को अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 (अनंतिम) के दौरान प्रत्येक माह समग्र मुद्रास्फीति दर में उनका योगदान जानने के लिए एक साथ जोड़ा गया है। ये योगदान सारणी 3 में दिए गए हैं ।

सारणी–3

संयुक्त क्षेत्रों के लिए सीपीआई पर आधारित समूह/उप–समूह–वार मुद्रास्फीति दरों में समग्र मुद्रास्फीति का ब्योरा

क्रम सं.	समूह/उप समूह का नाम	भार	अक्तू-20	नवं -20	दिसं-20	जन-21	फर -21	मार्च -21	अप्रैल-21	मई -21	जून-21	जूलाई-21	Aug-21	सितं-21	अक्तू-21
1	अनाज और उत्पाद	9.67	0.33	0.23	0.09	0.01	-0.03	-0.07	-0.28	-0.14	-0.18	-0.16	-0.13	-0.06	0.04
2	मांस व मछली	3.61	0.74	0.67	0.60	0.50	0.47	0.62	0.68	0.40	0.22	0.37	0.40	0.35	0.31
3	अंडा	0.43	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.07	0.03	-0.01
4	दूध और उत्पाद	6.61	0.34	0.33	0.26	0.18	0.17	0.15	-0.01	0.04	0.13	0.18	0.19	0.20	0.20
5	तेल और वसा	3.56	0.46	0.53	0.60	0.60	0.66	0.79	0.83	1.00	1.11	1.02	1.05	1.09	1.06
6	फल	2.89	0.01	0.01	0.08	0.14	0.17	0.22	0.28	0.34	0.33	0.25	0.19	0.10	0.13
7	सब्जियां	6.04	1.72	1.24	-0.92	-1.24	-0.44	-0.32	-0.98	-0.12	-0.04	-0.54	-0.86	-1.82	-1.68
8	दालें और उत्पाद	2.38	0.40	0.39	0.35	0.29	0.29	0.30	0.18	0.23	0.24	0.21	0.20	0.20	0.13
9	चीनी और मिष्टान	1.36	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.07	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.05
10	मसाले	2.5	0.28	0.27	0.25	0.22	0.21	0.17	0.11	0.18	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12
11	गैर–अल्कोहलिक पेय पदार्थ	1.26	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13
12	तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाईयां आदि	5.55	0.25	0.27	0.28	0.30	0.31	0.32	0.24	0.31	0.39	0.35	0.36	0.38	0.38
13	खाद्य और पेय पदार्थ	45.86	4.74	4.13	1.80	1.20	2.00	2.39	1.19	2.47	2.59	2.06	1.77	0.80	0.85
14	पान, तंबाकू, और मादक पदार्थ	2.38	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.27	0.25	0.28	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12
15	कपड़े	5.58	0.19	0.19	0.19	0.21	0.24	0.25	0.20	0.31	0.36	0.35	0.38	0.39	0.40
16	जूते–चप्पल	0.95	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07
17	कपड़े और जूते–चप्पल	6.53	0.21	0.22	0.22	0.25	0.28	0.29	0.23	0.36	0.40	0.41	0.44	0.46	0.46
18	हाउसिंग	10.07	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.37	0.39	0.40	0.38	0.39	0.40	0.36	0.35

19	ईंधन और प्रकाश	6.84	0.14	0.10	0.19	0.25	0.24	0.31	0.52	0.77	0.80	0.78	0.82	0.86	0.88
20	परिवार वस्तुएं और सेवाएं	3.8	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.07	0.14	0.21	0.18	0.20	0.22	0.22
21	स्वास्थ्य	5.89	0.31	0.33	0.35	0.36	0.38	0.37	0.45	0.51	0.46	0.45	0.46	0.46	0.44
22	परिवहन और संचार	8.59	0.83	0.81	0.69	0.70	0.86	0.95	0.82	0.94	0.89	0.81	0.80	0.74	0.82
23	मनोरंजन और मनोविनोद	1.68	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.07	0.10	0.07	0.10	0.10	0.12	0.11
24	शिक्षा	4.46	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.03	0.05	0.16	0.13	0.17	0.15	0.15
25	व्यक्तिगत देखभाल और सामान	3.89	0.45	0.43	0.42	0.39	0.33	0.23	0.20	0.28	0.18	0.14	0.04	0.07	0.09
26	विविध	28.32	1.88	1.87	1.76	1.73	1.87	1.89	1.65	2.02	1.97	1.82	1.77	1.76	1.82
27	सभी समूह	100	7.61	6.93	4.59	4.06	5.03	5.52	4.23	6.30	6.26	5.59	5.30	4.35	4.48

***अक्टूबर 2021 के आंकड़े अनंतिम हैं.**

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

3.12 एनएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों या उनके संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त माध्यमिक डेटा का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन करता है।

3.13 आईएमएफ का विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) मानदंडों के अनुसार 6 सप्ताह के समय–अंतराल के साथ हर महीने त्वरित अनुमान के रूप में आईआईपी जारी करता है। खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए सूचकांक के ब्रेक–अप के अतिरिक्त, उपयोग–आधारित वर्गीकरण अर्थात, प्राथमिक सामान, पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती सामान, अवसंरचना/निर्माण सामग्री, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर– टिकाऊ के अनुसार अनुमान एक ही समय जारी किए जा रहे हैं। 14 स्रोत एजेंसियों से अद्यतन किया हुआ उत्पादन डेटा प्राप्त होने पर इन अनुमानों का संशोधन किया गया है। तथापि, आईआईपी के लिए डेटा का प्रमुख स्रोत, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग (डीपीआईआईटी) है, जो समग्र आईआईपी में 47.54% के वजन के 407 आइटम समूहों में से 322 के लिए डेटा की आपूर्ति करता है।

3.14 प्रेस विज्ञप्ति, डेटा (क्षेत्रीय और उपयोग आधारित श्रेणी) मेटाडेटा, और आधार वर्ष 2011–12 के साथ अखिल भारतीय आईआईपी की कार्यप्रणाली का विवरण सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in/iip-2011-12-series) में उपलब्ध कराया गया है।

3.15 औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रवार वार्षिक सूचकांक और इसकी वृद्धि दर 2012–13 से 2020–21 तक, जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक मासिक सूचकांक और विकास दर तथा 2012–13 से 2021–22 तक संचयी सूचकांक और विकास दर (नवम्बर 2021 तक) नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वार्षिक): 2012–13 से 2020–21 क्षेत्र वार
चित्र 3

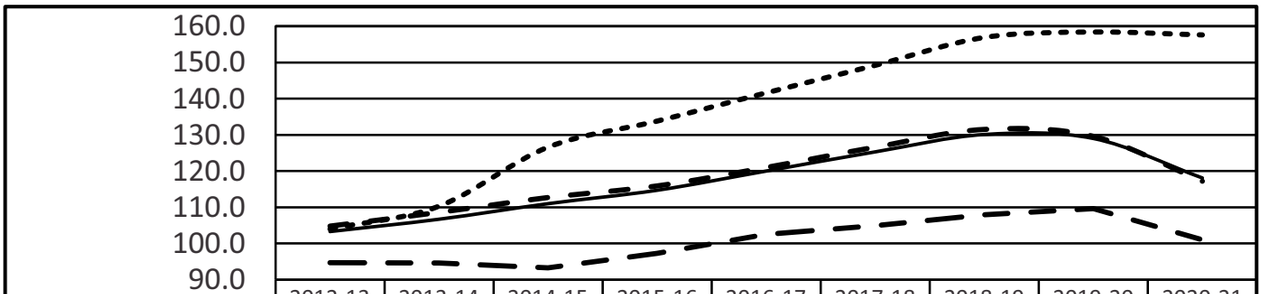

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
खनन	94.7	94.6	93.3	97.3	102.5	104.9	107.9	109.6	101.0
विनिर्माण	104.8	108.6	112.7	115.9	121.0	126.6	131.5	129.6	117.2
विद्युत	104.0	110.3	126.6	133.8	141.6	149.2	156.9	158.4	157.6
सामान्य अनुसूची	103.3	106.7	111.0	114.7	120.0	125.3	130.1	129.0	118.1

आईआईपी की क्षेत्र–वार वार्षिक दरों (विगत वर्ष के संबंध में) की तुलनाः 2012–13 से 2020–21

चित्र 4

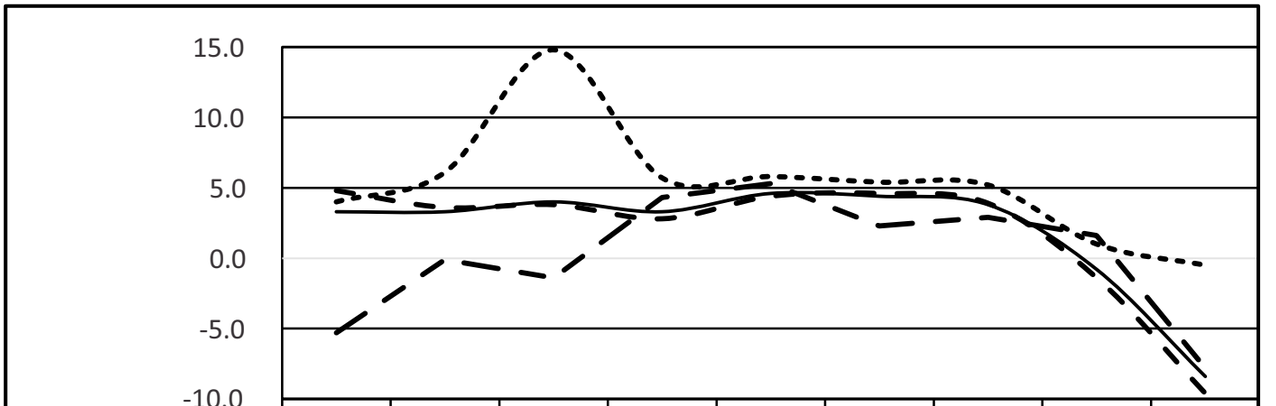

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
खनन	-5.3	-0.1	-1.4	4.3	5.3	2.3	2.9	1.6	-7.8
विनिर्माण	4.8	3.6	3.8	2.8	4.4	4.6	3.9	-1.4	-9.6
विद्युत	4.0	6.1	14.8	5.7	5.8	5.4	5.2	1.0	-0.5
सामान्य अनुसूची	3.3	3.3	4.0	3.3	4.6	4.4	3.8	-0.8	-8.4

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (मासिक): जनवरी 2021 से नवंबर 2021– क्षेत्रीय सूचकांक

चित्र 5

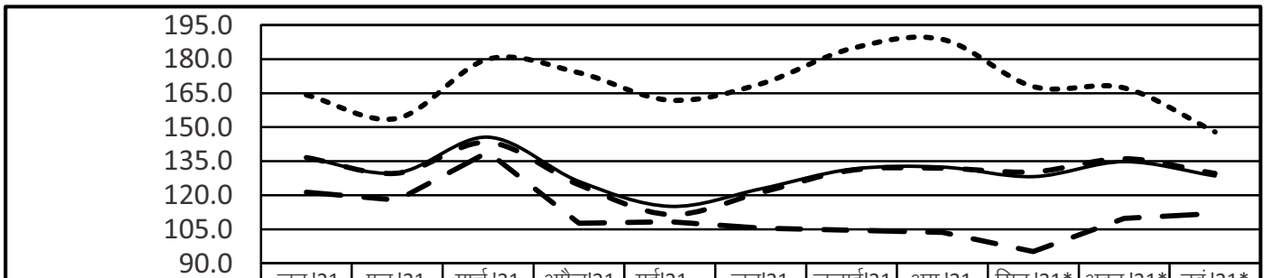

	जन.'21	फर.'21	मार्च.'21	अप्रैल'21	मई'21	जून'21	जुलाई'21	अग.'21	सित.'21*	अक्तू.'21*	नवं.'21*
खनन	121.3	117.9	139.0	107.6	108.3	105.5	104.6	103.6	95.1	109.8	111.9
विनिर्माण	136.6	129.7	143.3	124.6	111.5	121.2	131.0	131.9	130.3	136.1	129.6
विद्युत	164.2	153.9	180.0	174.0	161.9	169.1	184.7	188.7	167.9	167.3	147.9
सामान्य अनुसूची	136.6	129.9	145.6	126.1	115.1	122.8	131.5	132.4	128.2	134.8	128.5

*अनंतिम क्षेत्र–वार आईआईपी वृद्धि दर (पिछले वर्ष के संबंध में)

जनवरी 2021 से नवंबर 2021
चित्र 6

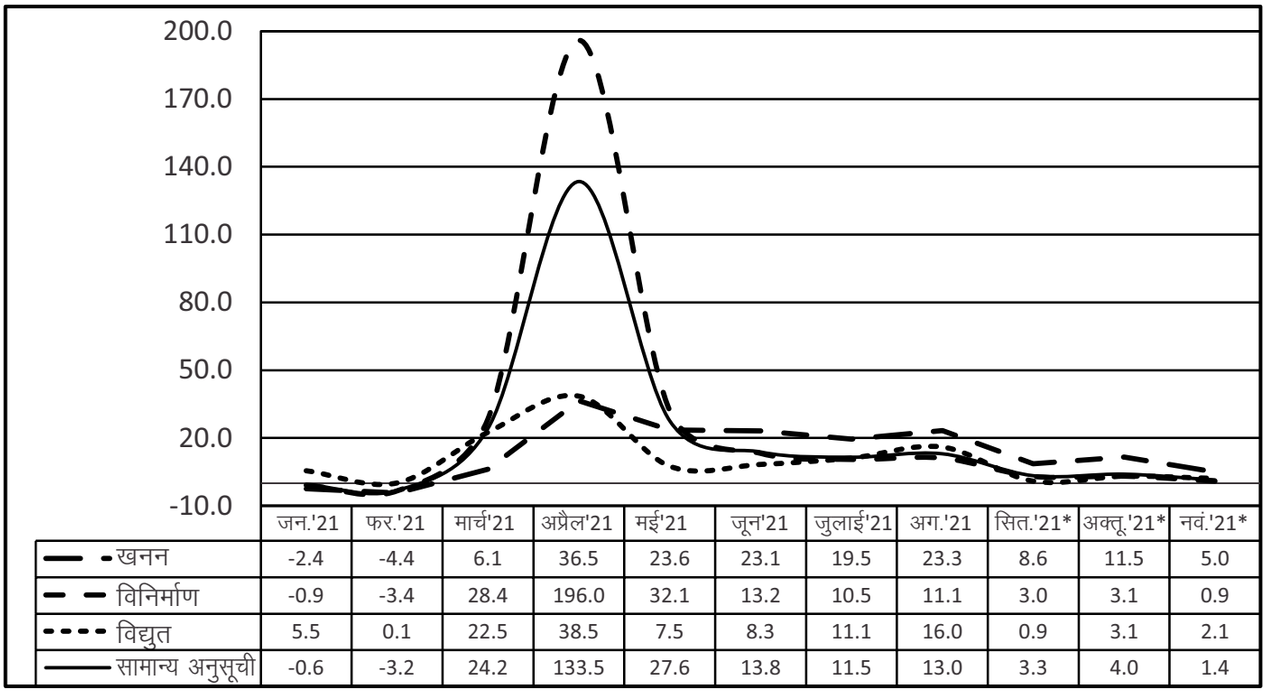

	जन.'21	फर.'21	मार्च'21	अप्रैल'21	मई'21	जून'21	जुलाई'21	अग.'21	सित.'21*	अक्तू.'21*	नवं.'21*
खनन	-2.4	-4.4	6.1	36.5	23.6	23.1	19.5	23.3	8.6	11.5	5.0
विनिर्माण	-0.9	-3.4	28.4	196.0	32.1	13.2	10.5	11.1	3.0	3.1	0.9
विद्युत	5.5	0.1	22.5	38.5	7.5	8.3	11.1	16.0	0.9	3.1	2.1
सामान्य अनुसूची	-0.6	-3.2	24.2	133.5	27.6	13.8	11.5	13.0	3.3	4.0	1.4

*अनंतिम

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (अप्रैल–नवंबर के लिए संचयी–क्षेत्र–वार)
2012–13 से 2020–21 क्षेत्र वार
चित्र 7

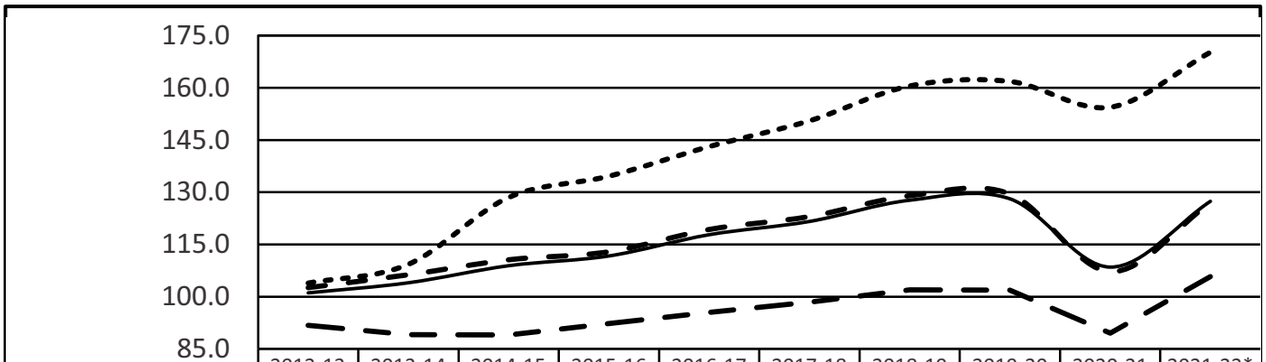

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
खनन	91.8	89.1	89.0	92.3	95.5	98.4	102.0	101.9	89.5	105.8
विनिर्माण	102.6	106.3	110.6	112.9	119.3	123.0	129.0	129.5	107.2	127.0
विद्युत	103.9	109.3	128.5	134.6	143.1	150.5	160.5	161.8	154.4	170.2
सामान्य अनुसूची	101.1	104.0	108.9	111.7	117.8	121.6	127.7	128.1	108.5	127.4

*अनंतिम

वर्ष 2012–13 से 2021–22 के दौरान अप्रैल से नवंबर की अवधि के लिए क्षेत्रवार आईआईपी संचयी वृद्धि दर (विगत वर्ष के संबंध में)

चित्र 8

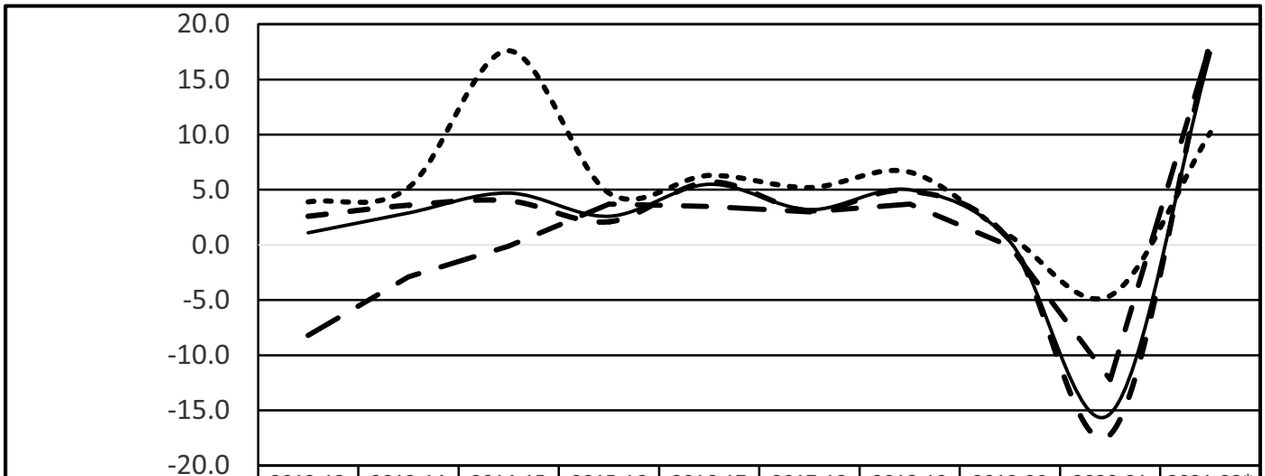

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
खनन	-8.2	-2.9	-0.1	3.7	3.5	3.0	3.7	-0.1	-12.2	18.2
विनिर्माण	2.6	3.6	4.0	2.1	5.7	3.1	4.9	0.4	-17.2	18.5
विद्युत	3.9	5.2	17.6	4.7	6.3	5.2	6.6	0.8	-4.6	10.2
सामान्य अनुसूची	1.1	2.9	4.7	2.6	5.5	3.2	5.0	0.3	-15.3	17.4

*अनंतिम

ऊर्जा सांख्यिकी

3.16 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी) ऊर्जा सांख्यिकी नाम से प्रत्येक वर्ष प्रकाशन निकालता है तथा "ऊर्जा सांख्यिकी–2021" (28वां संस्करण) इस श्रृंखला में नवीनतम प्रकाशन है । यह वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न स्रोतों यथा कोयला, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत के आरक्षित भंडार, संस्थापित क्षमता, उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात तथा थोक कीमतों का समन्वित तथा अद्यतित डेटाबेस है। उर्जा संतुलन तथा सेंकी आरेख (ऊर्जा प्रवाह डायग्राम) इसकी उपयोगिता को और बढ़ाने पर केंद्रित है। यह प्रकाशन योजनाकारों, नीति–निर्माताओं तथा अनुसंधानकर्ताओं को एक ही जगह पर ऊर्जा संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाकर, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

सातवीं आर्थिक गणना

3.17 7वीं आर्थिक गणना (ईसी) 2019–21 की अवधि के दौरान एकछत्र योजना क्षमता विकास के तहत केंद्रीय क्षेत्र उप योजना के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। आर्थिक गणना औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में गैर–कृषि प्रतिष्ठानों की कुल संख्या और भूगोल के निम्नतम स्तर पर अन्य क्रॉस–सेक्शनल मापदंडों के साथ काम करने वाले श्रमिकों की संख्या प्रदान करता है।

3.18 सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एसपीवी) को डेटा संग्रह/पर्यवेक्षण, आईटी प्लेटफॉर्म के विकास आदि के लिए प्रगणकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य सौंपा गया है। 7वीं आर्थिक गणना का क्षेत्रीय कार्य

वर्ष 2019 के दौरान चरणबद्ध तरीके से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था और 31 मार्च, 2021 को (पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों को छोड़कर) पूरा किया गया था।

3.19 आर्थिक गणना में शुरू से अंत तक आईटी कार्यान्वयन ने वास्तविक समय फील्डवर्क, निगरानी, पर्यवेक्षण, वास्तविक आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्ट निर्माण/प्रसार के लिए सुविधा प्रदान की है। भविष्य के सर्वेक्षणों, प्रतिष्ठानों की निर्देशिका, आदि के लिए नमूना फ्रेम, 7वीं आर्थिक गणना परिणामों से नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों आदि को उनके साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में लाभ होने की आशा है।

सामाजिक सांख्यिकी

3.20 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग सामाजिक, पर्यावरण तथा बहु–डोमेन सांख्यिकी के विकास के समन्वय के लिए उत्तरदायी है । सामाजिक सांख्यिकी के दायरे में जनसंख्या, मानव विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय आता है जबकि बहु–डोमेन सांख्यिकी में गरीबी, जेंडर, दिव्यांगजन, और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संबंधी संकेतक आते हैं।

3.21 प्रभाग पर्यावरण और ऊपर उल्लिखित मल्टी–डोमेन सांख्यिकी के संबंध में वार्षिक और तदर्थ प्रकाशन जारी करता है। इन प्रकाशनों के लिए प्रत्येक विषय के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रसंगों के अत्याधिक विस्तृत होने के कारण, प्रभाग राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, गणनाओं, प्रशासनिक आंकड़ों, आर्थिक आंकड़ों, सांख्यिकी रिमोट सेंसिंग एजेंसी, पर्यावरणीय अनुवीक्षण प्रणाली से प्राप्त सूचनाओं की तुलना करते हुए उन्हें समेकित करता है। इन डेटासेटों को तब इन आंकड़ों के लिए विहित मानक ढांचे में सम्मिलित कर दिया जाता है और इस प्रकार समय और स्थान में तुलनीय समय–श्रृंखलाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

3.22 यह प्रभाग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बनी समितियों और विभिन्न विशेषज्ञ/तकनीकी समूहों में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता है और देश में विभिन्न सांख्यिकी एजेंसियों में समन्वय सुनिश्चित करने में ना केवल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बल्कि सभी स्तरों पर सांख्यिकीय प्रणालियों की अनुरूपता और कुशलता बढ़ाने के लिए मानकीकृत धारणाओं, वर्गीकरणों और प्रणालियों के उपयोग पर भी जोर देता है।

3.23 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग ब्रिक्स संबंधित गतिविधियों के संबंध में भारत के लिए सांख्यिकीय समन्वय हेतु उत्तरदायी है और इन देशों के बारे में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक आंकड़ा सांख्यिकी का प्रचार–प्रसार करने में सहायता करता है।

3.24 वर्ष 2020–21 के दौरान प्रभाग द्वारा की गई विशेष गतिविधियां निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शायी गई है।

<u>सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति की निगरानी को सुलभ बनाना</u>

3.25 संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर, 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अवाश्यक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने हेतु 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 संबद्ध लक्ष्यों को अंगीकार किया स एसडीजी के प्रमुख

पांच पहलू हैं– व्यक्ति, समृद्धि, ग्रह, साझेदारी और शांति, इनमें से प्रत्येक को सतत विकास के तीन पहलूओं अर्थात आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर लागू सतत विकास लक्ष्यों और ध्येयों का उपयोग करके एजेण्डे में चर्चा की गई। वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्तमान में 247 संकेतकों (231 विशिष्ट संकेतकों) को शामिल करते हुए एक वैश्विक संकेतक रूपरेखा को अंगीकृत किया गया।

3.26 भारत सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास" सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें "कोई पीछे न छूट जाए" एसडीजी लक्ष्य के अनुरूप है। इस प्रयास में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को जीआईएफ के साथ, एसडीजी के लिए राष्ट्रीय सकेतक ढांचा के विकास को जिम्मेदारी के साथ सौंप दिया गया, जिसका देश में एसडीजी की प्रगति के अनुवीक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस अनुपालन में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आरंभ में राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, डेटा स्रोत और अवधिकता के साथ 306 संकेतकों को शामिल करते हुए, राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) का विकास किया है। राष्ट्रीय संकेतक ढांचा सरकारी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए,एनआईएफ की आवधिक समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने के लिए भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) और सचिव, नीति आयोग के सदस्यों के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एमओएसपीआई द्वारा एसडीजी पर एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया गया। एचएलएससी के क्षेत्र के अंतर्गत, मुख्य रूप से एचएलएससी को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए महानिदेशक (सांख्यिकी), एनएसओ, एमओएसपीआई की अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 2020 में एमओएसपीआई द्वारा एसडीजी पर तकनीकी सहायता समिति (टीएसी) का गठन किया गया। एनआईएफ में प्रस्तावित किसी संशोधन या एसडीजी से संबंधित किसी नए प्रस्ताव की टीएसी में जांच–पड़ताल की जाती है और टीएसी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एचएलएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एचएलएससी समय–समय पर एनआईएफ में सुधार करता रहा। वर्तमान में, एसडीजी–एनआईएफ वर्जन 3.1 में, एसडीजी की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए चिन्हित डेटा स्रोत और आवधिकता (29 जून, 2021 के अनुसार) के साथ 295 राष्ट्रीय संकेतक हैं।

3.27 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 2021 (29 जून, 2021 को मनाया गया) के अवसर पर एसडीजी–एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट, 2021 (संस्करण 3.1) जारी की गयी जिसे मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय संकेतक ढांचे पर इंडिया एसडीजी डैश बोर्ड को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतित और होस्ट किया गया था।

3.28 एसडीजी के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए ध्येयों और लक्ष्यों के संबंध में देश द्वारा की गई प्रगति के सांख्यिकीय अनुवीक्षण के लिए अभिरक्षक एजेंसियों, केंद्र में नोडल मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों और जनता सहित सभी हितधारकों का सक्रिय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी) द्वारा कई प्रयास किए गए, जो निम्नलिखित हैं:

i. भारत में सतत विकास लक्ष्यों के अनुवीक्षण के लिए डेटा, संकेतकों और आंकड़ों हेतु सहायता के

संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई, 2020 नई दिल्ली में यूएनआरसीओ के प्रतिनिधित्व में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन की सीमा के अंतर्गत, वर्ष के दौरान विकास समन्वय फोरम के लिए डेटा तैयार किया गया है।

ii. मुख्य रूप से भारतीय संदर्भ में एसडीजी संकेतकों की वैश्विक कार्यप्रणालियों को अपनाने/अनुकूलन पर काम करने के लिए और एसडीजी–एनआईएफ की निगरानी में डेटा अंतराल का पता लगाने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अभिरक्षक एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों के सदस्यों के साथ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित छह क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों का संबंधित मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ पालन किया जा रहा है।

iii. वर्ष 2021 के दौरान एसडीजी संकेतकों, डाटा संकलन तथा संभावित डेटा संकलन की समीक्षा के लिए प्रभाग ने कई अंतरमंत्रालयी परामर्शों/बैठकों का आयोजन किया। इसके अलावा, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों और तकनीकी समूहों में प्रभाग की सक्रिय भागीदारी भी रही है।

iv. प्रभाग, व्यापक और समावेशी एसडीजी अनुवीक्षण ढांचा विकास में राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। प्रभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य संकेतक ढांचा (एसआईएफ) के विकास संबंधी दिशानिर्देशों को विकसित और परिचालित किया। प्रभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य और उप–राज्य स्तर पर एसडीजी की निगरानी के लिए अपना एसडीजी एसआईएफ तैयार किया है।

v. कई निर्दिष्ट लक्ष्यों के लिए सामान्य जन की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है, जिसके लिए जागरूकता निर्माण आवश्यक है। प्रभाग इस पहलू का एसडीजी पर शार्ट डाक्यूमेंट्री के रिलीज के माध्यम से तथा मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से भी समाधान कर रहा है। ध्येयों और लक्ष्यों को प्रचारित करने के लिए, सां. और कार्य.कार्या.मंत्रा. ने वर्ष 2021 के लिए सांख्यिकी दिवस का थीम 'सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–2 (भूख समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें) घोषित किया है।

vi. सभी स्तरों पर एसडीजी की प्रगति के अनुवीक्षण में डेटा के महत्त्व पर विचार करते हुए एसडीजी पर डेटा अंतराल को पूरा करने हेतु सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सा. और कार्य. कार्या. मंत्रा. के कुछ मौजूदा सर्वेक्षणों को एसडीजी डेटा की आवश्यकतानुसार संरेखित किया जा रहा है। सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. ने जनवरी, 2020 से अगस्त ,2021 तक (एनएसएस के 78वें दौर के भाग के रूप में) बहु–संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) लांच किया है, जिसमें एसडीजी संकेतकों की संख्या के लिए डेटा उसी सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहित किए जा रहे हैं ।

vii. वर्ष 2019 की सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 8 के आधार पर 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी' पर लोक लेखा समिति (2020–2021) की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं

लोकसभा) में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों के अनुपालन में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसडीजी लक्ष्यों की प्रभावी निगरानी के लिए एसडीजी राष्ट्रीय संकेतकों के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की है।

viii. वर्ष 2021 के दौरान, भारत समूह में मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण–पूर्वी एशिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्ष 2021–2023 की अवधि के लिए एसडीजी संकेतकों (आईएईजी–एसडीजी) पर अंतर–एजेंसी विशेषज्ञ समूह का सदस्य बन गया है। आईएईजी–एसडीजी एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर एसडीजी संकेतकों को विकसित, समीक्षा और परिष्कृत करने के लिए उत्तरदायी है।

पर्यावरण का अनुवीक्षण

3.29 भारत में पर्यावरण संबंधी सरकारी सांख्यिकी के संबंध में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के कार्यकलापों को दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है–पर्यावरण सांख्यिकी और पर्यावरण लेखा। प्रभाग द्वारा इन क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 के दौरान इस संदर्भ में शुरू किए गए कुछ कार्यकलापों को निम्नलिखित पैरा में उजागर किया गया है:

पर्यावरण सांख्यिकी

3.30 पर्यावरण के सभी पहलुओं पर सांख्यिकी सूचना का मिलान करने तथा जारी करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए मार्च 2021 में प्रकाशन **''एनवीस्टेटस–इंडिया, 2021; वाल्युम– I–पर्यावरण सांख्यिकी"** को जारी किया। यह प्रकाशन पर्यावरण सांख्यिकी के संकलनार्थ यूएनएसडी द्वारा विहित पर्यावरण सांख्यिकी के विकास संबंधी ढांचा (एफडीईएस 2013) पर आधारित है तथा छह मौलिक घटकों नामतः (i) पर्यावरण स्थितियां और गुणवत्ता (ii) पर्यावरण संसाधन और उनका उपयोग (iii) अवशिष्टों (iv)चरम घटनाओं और आपदाओं (v) मानव अवस्थापन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य; और (vi) पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और संलग्नता पर सूचना उपलब्ध कराता है। यह प्रकाशन श्रृंखला में चौथा है; नवीनतम प्रकाशन को ढांचे के 222 संकेतकों पर प्रदान की गयी सूचना के साथ, एफडीईएस द्वारा विहित संकेतकों की कवरेज को बेहतर बनाया गया है।

पर्यावरण लेखा

3.31 पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों की समझ को बेहतर बनाने की दृष्टि से, प्रभाग ने सितंबर 2021 में पर्यावरण लेखों "एनवीस्टैट्स इंडिया 2021 वॉल्यूम.II: पर्यावरण लेखों" पर वार्षिक प्रकाशन का लगातार चौथा अंक जारी किया है। इस प्रकाशन में फसल प्रावधान सेवाएं, जल गुणवत्ता लेखे, मृदा पोषक तत्व सूचकांक और आईयूसीएन लाल सूची प्रजातियों की प्रजाति समृद्धि जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा, प्रभाग ने पर्यावरण लेखों को संकलित करने में प्रयुक्त डेटा स्रोतों, कार्यप्रणाली और तकनीकों के विवरण की व्याख्या करते हुए पर्यावरण पर व्याख्याकार श्रृंखला प्रकाशित करना भी शुरू किया। अब तक इस श्रृंखला के अंतर्गत दो प्रकाशन जारी किए जा चुके हैं।

3.32 इन प्रकाशनों के अलावा, नीति–निर्माण में प्राकृतिक पूंजी खातों को मुख्यधारा में लाने के लिए, प्रभाग ने

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय के बीच तथा यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक साझेदारी परियोजना "प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन" पर परियोजना में भाग लिया। एनएसओ,एमओएसपीआई ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी), यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहयोग से एनएसीवीईएस इंडिया फोरम (एक वर्चुअल प्रारूप में) का आयोजन किया। एनएसीवीईएस इंडिया फोरम 2021 के तीन लाइव सत्र 14, 21 और 28 जनवरी, 2021 को आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली (एसईईए) से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। एनएसीवीईएस परियोजना के तहत किए गए कार्य को "एनएसीएईएस इंडिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट" नामक एक रिपोर्ट में समेकित किया गया है, जिसे इस आयोजन के दौरान भी जारी किया गया था।

बहु–डोमेन सांख्यिकी की स्थिति का आकलन

3.33 जेंडर, गरीबी, खाद्य सुरक्षा जैसे और इनके आदि जैसे बहु–क्षेत्रीय आंकड़ों के संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनएसओ सरकार की विभिन्न एजेंसियों में सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि इन एजेंसियों में से प्रत्येक के प्रयासों को कुशलतापूर्वक समय पर आंकड़े तैयार करने के लिए संचित किया जा सके जो देश में इन आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। एनएसओ इन बहु–डोमेन आँकड़ों की जानकारी के एक एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाता है, ताकि उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी मिल सके। इस समेकित डाटासेट का कार्य सभी स्तरों पर निर्णय लेने, मूल्यांकन और आकलन के लिए बुनियादी जानकारी प्रदान करना है। इस संबंध में, एनएसओ की ओर से सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, कुछ वार्षिक प्रकाशनों के साथ–साथ विषय–विशिष्ट तदर्थ प्रकाशन भी तैयार करता है, जो आमतौर पर कुछ उपयोगकर्ता मांगों का परिणाम होता है।

3.34 भारत जेंडर सांख्यिकी पर अंतर–एजेंसी और विशेषज्ञ समूह (आईएईजी–जीएस) और जेंडर सांख्यिकी पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच का सदस्य है। एमओएसपीआई अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसके विकास को समझने और भारत के दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए आईएईजी–जीएस की बैठकों और जेंडर सांख्यिकी पर अन्य सम्मेलनों/मंचों में भाग लेता है।

3.35 कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर उनके परिवर्तनों की निगरानी के लिए 29 महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांकों की पहचान की है। ये वैश्विक सूचकांक और घटक पैरामीटर/संकेतक 18 नोडल मंत्रालयों/विभागों और 47 संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपे गए हैं। एमओएसपीआई को सौंपे गए वैश्विक सूचकांकों के लिए विभिन्न नोडल मंत्रालयों को डेटा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। मौजूदा और वैकल्पिक डेटा स्रोतों की पहचान के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा वैश्विक सूचकांकों के लिए गठित समन्वय समितियों में यह प्रभाग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

3.36 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास उपलब्ध वैश्विक सूचकांकों के लिए डेटा समर्थन के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सहायता करने के प्रयास किए गए थे। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2019–जून 2020 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

(पीएलएफएस) में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर कुछ वैश्विक सूचकांकों से संबंधित "अतिरिक्त संकेतकों पर वार्षिक बुलेटिन" भी प्रकाशित किया है।

3.37 भारत दिव्यांगता सांख्यिकी पर वाशिंगटन समूह का सदस्य है जो गणना और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के लिए उपयुक्त दिव्यांगता उपायों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य सांख्यिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और समन्वय करता है। वाशिंगटन समूह का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगता के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो विश्व भर में तुलनीय हो। भारत समूह की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। एसएसडी ने 26 मई, 2021 को आयोजित 2021 की मध्य–वर्ष की बैठक और 8–10 नवंबर, 2021 के दौरान आयोजित दिव्यांगता सांख्यिकी पर वाशिंगटन समूह की 21वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

3.38 विभिन्न एजेंसियों में क्षमता विकसित करने में भी प्रभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि बहु–डोमेन आंकड़ों के संबंध में मौजूदा संकेतक–सेट की मजबूती और कवरेज में सुधार हो सके। इन आंकड़ों के प्रसार और क्षमता विकास में 2021–22 के दौरान प्रभाग द्वारा संचालित की गई कुछ गतिविधियों को निम्नलिखित पैराग्राफों में रेखांकित किया गया है:

i. वार्षिक प्रकाशन ''भारत में महिलाएं तथा पुरूष 2020'' के नाम से मार्च 2021 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रकाशन स्वास्थ्य, साक्षरता और शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णयन तथा सशक्तिकरण में बाधाएं सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलूओं के संबंध में जेण्डर के आधार पर अलग–अलग आंकड़े उपलब्ध कराता है। प्रकाशन में जेंडर संकेतकों के न्यूनतम सेट के अंतर्गत आईएईजी–जीएस द्वारा निर्धारण के अनुसार, कई परिमाणात्मक संकेतकों से संबंधित सूचना को शामिल किया जाता है।

ii. जेंडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, भारत के राज्यों के लिए एचडीआई, जीडीआई और जीआईआई की गणना हेतु एक वर्किंग पेपर मार्च 2021 में जारी किया गया था। यह पद्धति प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और अन्य मापदंडों पर उप–राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शन को मापने और निगरानी के लिए नोडल मंत्रालयों/विभागों/राज्यों हेतु महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगी।

iii. बुजुर्ग आबादी के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने के लिए डेटा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, एक तदर्थ प्रकाशन "भारत में बुजुर्ग, 2021" जुलाई 2021 में जारी किया गया था। यह प्रकाशन बुजुर्ग आबादी अर्थात एक ही स्थान पर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जनसंख्या और महत्वपूर्ण सांख्यिकी, आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर डेटा प्रदान करता है,।

iv. ब्रिक्स देशों की सांख्यिकी डेटा श्रृंखला, एक वार्षिक संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन के रूप में जारी किया गया, जो वर्ष 2010 से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सांख्यिकीय अधिकारियों के वार्षिक संयुक्त प्रयास का परिणाम है। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता के रूप में, एनएसओ, भारत ने 28 अक्टूबर, 2021 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की 13वीं बैठक की मेजबानी की बैठक के दौरान ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन (जेएसपी) 2021 और ब्रिक्स जेएसपी–स्नैपशॉट 2021 जारी किए गए।

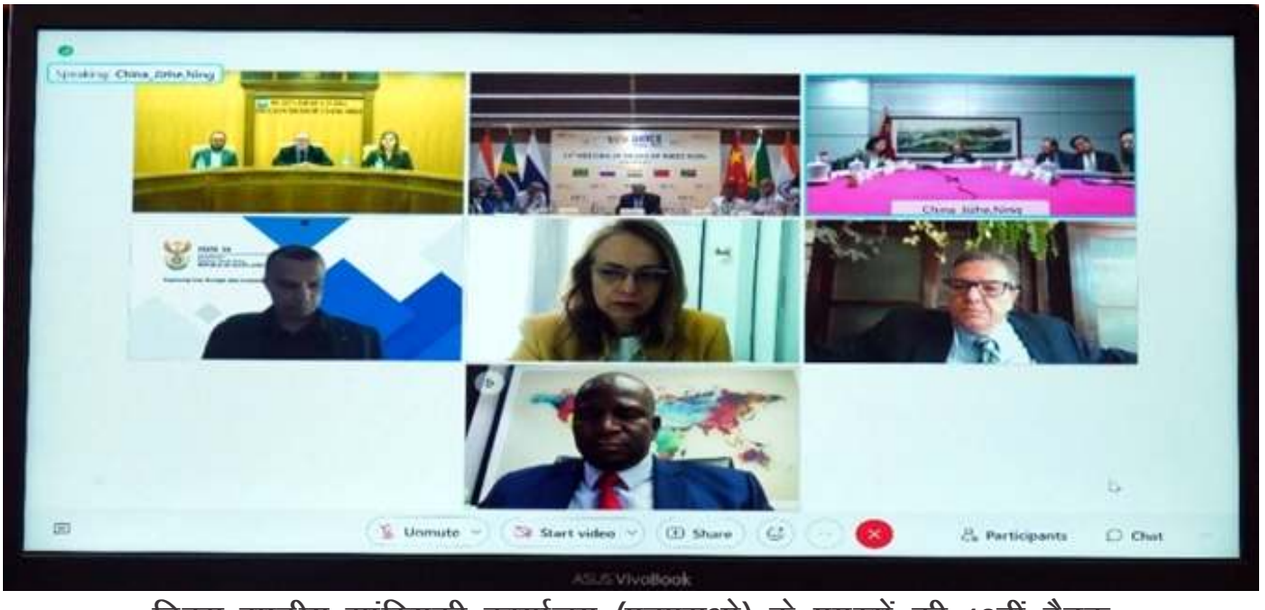

ब्रिक्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के प्रमुखों की 13वीं बैठक

3.39 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति प्रशिक्षण अकादमी (नस्टा), जो पहले राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासन अकादमी (नासा) के रूप में जानी जाती थी और 13 फरवरी 2009 को अस्तित्व में आई, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकारी सांख्यिकी में मानव संसाधन विकास को मुख्य रूप से पोषित करने वाला प्राथमिक संस्थान है। अकादमी राष्ट्रीय/उप–राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, विशेष रूप से विकासशील तथा सार्क देशों में, सरकारी सांख्यिकी तथा संबंधित विषयों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्य में सक्रियतापूर्वक संलग्न है। सांख्यिकी, सामाजिक–आर्थिक माहौल व अग्रिम रूप से प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली के अनुरूप सांख्यिकी कार्यबल बनाने की चुनौती का सामना करते हुए यह अकादमी न केवल अद्यतित पाठ्यसामग्री/पाठ्यक्रमों आदि को संशोधित करने का संवहनीय प्रयास करती है बल्कि शिक्षण–विधि, जिसमें केंद्र तथा राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र सरकारों में नए भर्ती तथा सेवारत सांख्यिकी कार्मिकों को निर्देशित इसकी संकेनद्रित प्रशिक्षण कार्यनीति में सम्मिलित करते हुए कारगर प्रदायगी तंत्रों का कार्यान्वयन भी करता है। इस अकादमी के मुख्य अभिप्राय और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) देश के लिए नीतियां और योजनाएं बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आंकड़ा संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और प्रसार की वर्तमान तथा उभरती दोनों प्रकार की चुनौतियों के प्रबंधन हेतु सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षित जनशिक्त का पूल सृजित करना;

(ख) विशिष्ट लघु/मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तरीय कार्यक्रमों/परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकी और गैर–सांख्यिकी जनशक्ति को प्रशिक्षित करना; तथा

(ग) विश्वविद्यालयों, विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं तथा यूएन/द्विपक्षी एजेंसियों से शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं तथा व्यवसायविदों के परामर्श और सहयोग से पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों के पूल का सृजन करना तथा प्रशिक्षण संबंधी सामग्री तैयार करना।

3.40 अपनाई गई प्रशिक्षण कार्यनीति नस्टा में प्रवेश और पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दोनों को आयोजित करना तथा अनेक अन्य अभिज्ञात प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ संस्थाओं को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण दिलवाना अपरिहार्य है। ये कार्यालय केंद्र सरकार में कार्यरत सांख्यिकीय कार्मिकों नामतः भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) अधिकारियों, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस), केंद्र सरकार की अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) पदाधिकारियों, अभिज्ञात विषय क्षेत्रों में राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सांख्यिकीय अधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

3.41 नस्टा मित्रवत और पड़ोसी एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के सांख्यिकीय कर्मियों के क्षमता विकास के मामले में भी नियमित रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, नस्टा में अनुरोध आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित और आयोजित किए जाते हैं।

3.42 नस्टा अपने परिसर तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, दोनों में आधिकारिक सांख्यिकी में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित मानव संसाधनों के प्रति संचेतना पैदा करने का प्रयास भी करता है। इन कार्यक्रमों में नस्टा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का प्रशिक्षण तथा अकादमी और एनएसओ के अधिकारियों द्वारा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है। नस्टा प्रत्येक वर्ष इस क्रियाकलाप को निरंतर आयोजित करता है, क्योंकि इसे शासकीय सांख्यिकी के प्रयोक्ता समुदाय हेतु अत्यंत उपयोगी पाया गया है।

सुविधाएं:

3.43 नस्टा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण तथा उनके आवास और भोजन संबंधी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अकादमी के परिसर में तीन सुव्यवस्थित ब्लॉक नामतः शिक्षण और प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, तथा आवासीय ब्लॉक हैं, जो सुव्यवस्थित परिदृश्यों से घिरा हुआ है । शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ब्लॉक में उपलब्ध सुविधाओं के अंतर्गत एक सम्मेलन कक्ष भी है जिसमें लगभग 60 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है; एक केन्द्रीकृत वातानुकूलित ऑडिटोरियम, जिसका नाम महालनोबिस ऑडिटोरियम है, में लगभग 160 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। पांच व्याख्यान / प्रशिक्षण / सेमिनार भवन हैं जो अद्यतन कंप्यूटरीकृत शिक्षण उपकरणों से युक्त हैं; एक पुस्तकालय है जिसका नाम "सुखात्मे पुस्तकालय" है; आईटी शिक्षण कंप्यूटर प्रयोगशाला है जो किसी भी समय प्रायोगिक प्रशिक्षण के संबंध में लगभग 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण संचालन संबंधी पर्याप्त अवसंरचना से युक्त है; 40 सिंगलबेड और 30 डबलबेड वातानुकूलित कमरों के साथ ही 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहने की सुविधाएं हैं; परिसर में उपलब्ध मनोरंजन संबंधी सुविधाओं में बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस इत्यादि जैसे इंडोर खेल तथा वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे आउटडोर खेल शामिल हैं।

3.44 नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, नस्टा ने कार्यालय ऑटोमेशन की दिशा में विभिन्न उपाय किए हैं। इसके लिए, सर्वर जैसे ब्लेड सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एक्सचेंज सर्वर इत्यादि के संदर्भ में, अकादमी के परिसर के भीतर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ एक महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना स्थापित की गई है ताकि न केवल नस्टा के अधिकारियों बल्कि प्रशिक्षणार्थियों को भी अधिक महत्वपूर्ण आईटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति (टीपीएसी)

3.45 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान देने और नस्टा का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए "प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति" (टीपीएसी) नामक एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी मॉड्यूल्स के लिए पाठ्यक्रम, अवधि और प्रशिक्षण विधियों की पुनरीक्षा के अलावा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कैलेंडर का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है। अधिकतर पाठ्यक्रमों का संचालन नस्टा में किया जाता है, जबकि कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम दिल्ली या बाहर स्थित अतिविश्वसनीय प्रतिष्ठित संस्थानों / संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। नस्टा द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों / शामिल विषयों में मुख्यतः शासकीय सांख्यिकीय पद्धति, सैद्धांतिक तथा अनुप्रयोग सांख्यिकी, वृहत स्तरीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, एसएनए 1993 और 2008, आंकड़ा प्रबंधन तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लघु और वृहत अर्थशास्त्र,

इकॉनोमेट्रिक्स आदि शामिल हैं।

नस्टा में नियमित प्रशिक्षण अनुसूची

3.46 नस्टा द्वारा संचालित या आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(i) भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के अधिकारियों हेतु दो वर्षीय प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यकमय

(ii) इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सहित अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के अधिकारियों हेतु प्रवेशन एवं एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है;

(iii) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों और अन्य संबंधित विभागों के सेवारात आईएसएस अधिकारियों और केंद्रीय वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम [मध्य–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीपीटी) और डोमेन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीएसटीपी)]/सेमिनार/कार्यशालाएं;

(iv) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस)/योजना प्रभागों/मंत्रालयों/विभागों/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए अनुरोध–आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(v) आईएसएस/एसएसएस सेवा में अधिकारियों के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और बिगडेटा विश्लेषण, ब्लॉक श्रृंखला संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(vi) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसएस), कोलकाता और इसके अन्य केंद्रों के एम–स्टैट विद्यार्थियों को सरकारी सांख्यिकीय पद्धति से अवगत कराने संबंधी कार्यक्रम;

(vii) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों के लिए सरकारी सांख्यिकी पर जागरूकता कार्यक्रम;

(viii) भारतीय विश्वविद्यालयों में सांख्यिकी में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम।

3.47 विशेष प्रशिक्षण के उद्देश्य से, नस्टा प्रबंधन के विभिन्न प्रतिष्ठित/विशिष्ट संस्थानों यथा आईआईएम; आईआईआरएस, देहरादून; एएससीआई, हैदराबाद; श्रम ब्यूरो, शिमला; आईआईपीए, दिल्ली; आईआईपीएस, मुंबई; आईएसटीएम, दिल्ली; दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; आईएएसआरआई, दिल्ली; आईएसईसी, बेंगलुरु, आदि के साथ सहयोग करता है।

3.48 राज्य सांख्यिकी कार्मिकों का प्रशिक्षणः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समय–समय पर कुछ विशिष्ट विषयों और उनकी रुचि के क्षेत्रों में नियमित और मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों के आधार पर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी नस्टा में संचालित किए जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

3.49 नस्टा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), कोलकाता के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र (एसईसी), कोलकाता के सहयोग से आईएसआई, कोलकाता द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिपलोमा के परिणामसस्वरूप सांख्यिकी (शीर्षक ''सांख्यिकीय सिद्धांत और

अनुप्रयोग") में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईसीईसी) के दौरान कुल 10 माह में से "सरकारी सांख्यिकी एवं संबंधित पद्धति" पर एक 4 सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित करता है।

3.50 एशिया और प्रशांत क्षेत्र सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी), एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व बैंक या देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के अनुरोध पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन (सार्क) क्षेत्र, एशिया और प्रशांत, अफ्रीका के देशों और अन्य देशों के सांख्यिकीय कर्मियों/प्रतिभागियों के लिए लघु अवधि अर्थात् एक–दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अध्ययन दौरे आयोजित किए गए; तथा

3.51 सरकारी सांख्यिकी के उभरते हुए क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

नस्टा में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

3.52 नस्टा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आईआईटी मद्रास के बीच (क) क्षमता निर्माण (ख) समिति की भागीदारी और (ग) सरकारी सांख्यिकी की गुणवत्ता को और अधिक सुधारने के लिए अनुसंधान और विकास में प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

3.53 नस्टा, ग्रेटर नोएडा में इनक्यूबेशन सैल स्थापित किया गया है। यह सैल सरकारी सांख्यिकी की गुणवत्ता को और अधिक सुधारने के लिए प्रौद्योगिकियों और कार्य प्रणालियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे एआई, बिग डेटा आदि के क्षेत्र में महारत वाले संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा।

विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों आदि में भागीदारी के लिए नामित करना

3.54 अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भागीदारी के लिए नामांकन पर विचार करने हेतु भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) की अध्यक्षता में मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति गठित की गई।

3.55 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया गया। विदेशी कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए कोई भी विदेशी दौरा नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान, वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए 42 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए 93 अधिकारियों को नामित किया गया।

स्नातकोत्तर/शोध विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप योजना

3.56 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) भारत की सांख्यिकी प्रणाली के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के शोधकर्ताओं/परास्नातक विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप हेतु एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के अंतर्गत, मई से जुलाई के दौरान दो माह की इंटर्नशिप दी जाती है और इंटर्नशिप को पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थियों को ₹10,000/– रूपए की इंटर्नशिप का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021–22 के लिए, इंटर्नशिप योजना की यद्यपि घोषणा की गयी लेकिन वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण कार्यान्वयन नहीं हो सका। वर्ष 2022–23 के दौरान इंटर्नशिप योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देने और सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए संस्थानों हेतु सहायता अनुदान

3.57 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में शोध अध्ययनों तथा सेमिनारों को बढ़ावा देने के लिए सहायता अनुदान योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के अंतर्गत, सरकारी सांख्यिकी के लिए प्रासंगिक विषयों पर शोध अध्ययनों/सेमिनारों/सम्मलेनों/कार्यशालाओं आदि के आयोजन हेतु पात्र संस्थानों/संगठनों को निधि उपलब्ध करा रहा है। विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन/कार्यशाला आदि में कागजातों को प्रस्तुत करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सरकारी सांख्यिकी में सर्वेक्षण का आयोजन/अध्ययन का संचालन करने के लिए अनुसंधान संस्थानों/संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 के दौरान (नवंबर, 2021 तक) दो परियोजनाओं के लिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), कोलकाता के लिए 5,66,800 रूपए और विकास पहल, ओडिशा के लिए 8,33,340 रूपए की निधि जारी की गई। विवरण तालिका में दिया गया है:

तालिका

वर्ष 2021–22 (अप्रैल 2021 से नवम्बर 2021 तक) के दौरान जारी की गई परियोजना, सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला और यात्रा संबंधी अनुदान सहायता निधि

क्र. सं.	संगठन/ लाभार्थी का नाम	कार्यक्रम	जारी की गई निधि (₹में)
1	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), कोलकाता	अनुसंधान अध्ययन "विशिष्ट अवसंरचना सुविधा के साथ गांवों के अनुपात का आकलन करने के लिए उपयुक्त पद्धति का विकास करना" (चौथी किस्त)	2,76,900/–
2	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), कोलकाता.	अनुसंधान अध्ययन "एनएसएसओ घरेलू सर्वेक्षणों के डोमेन–स्तरीय समुच्चय के आकलन के लिए उपयुक्त संरचना संरक्षण आकलन (एसपीआरईई) पद्धति का विकास करना" (चौथी किस्त)	2,89,900/–
3	विकास पहल, ओडिशा	ओडिशा में प्रवासी श्रमिकों के परिवारों और स्थानीय आर्थिक विकास पर उनके प्रवासन का प्रभाव (चौथी किस्त)	8,33,340/–

सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय पुरस्कार

3.58 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी में तीन राष्ट्रीय पुरस्कार नामतः (क) सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए सांख्यिकी में प्रो. पी.वी. सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार; (ख) युवा सांख्यिकीविद के लिए सांख्यिकी में प्रो. सी.आर. राष्ट्रीय पुरस्कार; (ग) सरकारी सांख्यिकी में प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए हैं। मंत्रालय ने सांख्यिकी में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नामतः सांख्यिकी में प्रो. पी.सी. महालनोबिस पुरस्कार भी स्थापित किया है। वर्ष 2020–21 के दौरान, सरकारी सांख्यिकी में प्रो. सी.आर. राव राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:

(क) आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए युवा सांख्यिकीविद् को प्रो. सी. आर. राव पुरस्कार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रो. सी.आर. राव, एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् के सम्मान में उनके उत्कृष्ट योगदान और सांख्यिकी के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा और आधिकारिक सांख्यिकी में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, शॉल और एक स्मृति चिन्ह के साथ ₹ 2.0 लाख शामिल हैं और इसे वैकल्पिक वर्ष में दिया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह के स्थान तक हवाई यात्रा, इस पुरस्कार विजेता के भोजन और आवास का व्यय भी मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

वर्ष 2021 के लिए प्रो. सी.आर. राव पुरस्कार 29 जून, 2021 को सांख्यिकी दिवस समारोह के दौरान डॉ. किरणमय दास, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार वर्ष 2023 में दिया जाएगा।

(ख) सरकारी सांख्यिकी में प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत में सरकारी/प्रशासनिक सांख्यिकी के क्षेत्र में सरकारी सांख्यिकीविद द्वारा किए गए श्रेष्ठ और असाधारण योगदान की पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सरकारी सांख्यिकी में प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार को स्थापित किया। पुरस्कार प्रति वर्ष तीन श्रेणियों में दिए जाते हैः (i) श्रेणी कः 45 वर्ष से कम आयु वाले इन–सर्विस सरकारी सांख्यिकीविद के लिए; श्रेणी खः 45 वर्ष से अधिक आयु वाले इन–सर्विस सरकारी सांख्यिकीविद के लिए; तथा श्रेणी गः अपनी जीवनपर्यंत उपलब्धियों के लिए गैर–सेवा/सेवानिवृत्ति सरकारी सांख्यिकीविद के लिए, जो अपने कैरियर के दौरान सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं में सेवा देते हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए ₹ 2.0 लाख रूपए नगद पुरस्कार के साथ, एक प्रशस्ति पत्र, शॉल और एक यादगार वस्तु दी जाती है। पुरस्कार विजेता मौजूदा नियमों और उनके लिए लागू हकदारी के अनुसार टीए/डीए के भुगतान के हकदार होते हैं।

श्रेणी ख और श्रेणी ग में आधिकारिक सांख्यिकी–2021 में प्रो. पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार क्रमशः डॉ. सीताभरा सिन्हा, प्रोफेसर 'एच', गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई और डॉ. आर.बी. बर्मन, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ग) सांख्यिकी में प्रो. पी. सी. महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रख्यात भारतीय सांख्यिकीविद् प्रो. पी.सी. महालनोबिस की स्मृति में सांख्यिकी में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। वर्तमान में, पुरस्कार में 10,000/– अमरीकी डालर का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह, राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास हवाई किराया और प्रति दिन संयुक्त राष्ट्र की दरों के अनुसार सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए खर्च शामिल है और यह द्विवार्षिक आधार पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में सांख्यिकीय में आजीवन योगदान के लिए विकासशील देश (संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित) के एक चयनित सांख्यिकीविद् को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता हैः

(i) कृषि, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि जैसे अनुप्रयोगों के कुछ क्षेत्रों में अभिनव और ठोस योगदान।

(ii) राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर सांख्यिकीय क्षमता निर्माण।

(iii) राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों और/या बुनियादी ढांचे में सुधार।

(iv) सांख्यिकीय पद्धति का संवर्धन।

साओ पाउलो, ब्राजील के विश्वविद्यालय में गणित और सांख्यिकी संस्थान में प्रोफेसर हेलेनो बोल्फेरिन को सांख्यिकी 2021 में प्रो. पी. सी. महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता

3.59 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वर्ष 2005 से, प्रत्येक वर्ष प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रो. पी. सी. महालनोबिस की जन्म वर्षगांठ मनाने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थानों में अध्ययन कर रहे सांख्यिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी/सरकारी सांख्यिकी हेतु प्रासंगिक विषयों पर अखिल भारतीय ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करता है। सामान्यतया प्रतियोगिता एमओएसपीआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की जाती है, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रत्येक वर्ष 29 जून को आयोजित होने वाले सांख्यिकी दिवस समारोह में सम्मानित किया जाता है। प्रतियोगिता के अंतर्गत ₹15,000/– रूपए का प्रथम पुरस्कार, प्रत्येक 2 को ₹12,000/– रूपए का द्वितीय पुरस्कार, प्रत्येक 3 को ₹10,000/– रूपए का तृतीय पुरस्कार तथा प्रत्येक 5 को ₹5,000/– रूपए का सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। 'ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता 2021' का आयोजन 23 फरवरी, 2021 को किया गया जिसमें कुल 59 विद्यार्थी उपस्थित हुए। 'ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता 2021' के 11 विजेताओं को 29 जून, 2021 को सांख्यिकी दिवस 2021 पर वर्चुअल रूप से सम्मानित किया गया। 'ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता 2022' के आयोजन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

डेटा सूचना और नवाचार प्रभाग (डीआईआईडी)

3.60 डेटा सूचना और नवाचार प्रभाग (डीआईआईडी) 1967 में स्थापित 'संगणक केंद्र' से व्युतपन्न हुआ है, जो न केवल सांख्यिकी विभाग बल्कि अन्य मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभाग की डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में सांख्यिकी विभाग के संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित है। आईसीटी के क्षेत्र में समय और विकास के साथ, संगणक केंद्र की भूमिका बदल गई, और तदनुसार इसे पहले डेटा भंडारण और प्रसार प्रभाग (डीएसडीडी) और बाद में डीआईआईडी के रूप में नाम दिया गया था। 2021–22 में डीआईआईडी की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन निम्नलिखित पैरा में किया गया है।

मंत्रालय की वेब साइटः

3.61 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in) को नवीनतम तकनीक का उपयोग करके डिजाइन किया गया है और यह उपयोगकर्ताओं को एकीकृत डिजिटल अनुभव मुहैया कराती है। मंत्रालय की भूमिका, गतिविधियों, संपर्कों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा, वेबसाइट सभी सांख्यिकीय प्रकाशनों/रिपोर्टों, मेटाडेटा और डैशबोर्ड वाला एक मंच है।

3.62 नई वेबसाइट को डीएआरपीजी और एनआईसी के जीआईजीडब्ल्यू के दिशा–निर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण सरकारी पहल संबंधी प्रभावी संचार के लिए एमओएसपीआई की वेबसाइट पर केंद्रीयकृत बैनर प्रकाशन स्कीम (सीबीपीएस) की अनुपालना को सुनिश्चित कर लिया गया है। विषय वस्तु के आसान नेविगेशन (संचालन) तथा आपसी संपर्कों को बेहतर रूप से समझने के लिए संरचित साइटमैप को सुनिश्चित किया गया है। एमओएसपीआई का समग्र संगठनात्मक ढाँचा और इसे एमओएसपीआई के

अधिकारियों की विस्तृत निर्देशिका के साथ जोड़ा जाना शामिल की गई नई विशेषताओं में से एक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के उत्पादों के अग्रिम रिलीज कैलेंडर और संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को विशेष डेटा प्रसार मानकों को बनाए रखते हुए वेबसाइट पर डाला जाता है।

डेटा प्रसार में प्रबंधन एवं समर्थन

3.63 मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए निम्नलिखित इकाई स्तर के अस्पष्ट डेटा सेट को उपयोगकर्ताओं और शोधकर्ताओं हेतु ऑनलाइन प्रसार के लिए वेबसाइट पर रखा गया है।

- अनुसूची –18.2, जनवरी 2019 – दिसंबर 2019 (ऋण और निवेश) के लिए एनएसएस 77 वें दौर पर इकाई स्तरीय डेटा और रिपोर्ट
- अनुसूची 33.1, जनवरी 2019 – दिसंबर 2019 (परिवारों की भूमि और पशुधन और कृषि में लगे परिवारों की स्थिति का आकलन) के लिए एनएसएस 77 वें दौर पर इकाई स्तरीय डेटा एवं रिपोर्ट
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का इकाई स्तरीय डेटा, जुलाई 2019 – जून 2020
- समय उपयोग सर्वेक्षण का इकाई स्तरीय डेटा, जनवरी 2019 – दिसंबर 2019

क्लाउड कम्प्यूटिंग

3.64 एनआईसी क्लाउड सेवाओं के लाभों का उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान में सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, ऑनलाइन स्टेशनरी प्रबंधन, एमपीएलएडीएस, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन) आदि सहित मंत्रालय के लगभग 15 वेब एप्लीकेशन एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किए गए हैं। यह बुनियादी ढांचे और श्रमशक्ति की लागत को कम करता है और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः

3.65 सीपीआई अभिलेखीय वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, जिसे डीआईआईडी द्वारा विकसित किया गया है, सीपीआई डेटा की आसान पुनर्प्राप्ति के लिए परिचालन में है। मासिक प्रेस विज्ञप्ति के बाद, विवरण सीपीआई वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, और उपयोगकर्ता निम्नलिखित को एक्सेस कर सकते हैंः

- राज्य/अखिल भारतीय/समूह–उपसमूह सूचकांक
- अखिल भारतीय मद सूचकांक
- वार्षिक मुद्रास्फीति दर
- अखिल भारतीय मद मुद्रास्फीति दर
- प्रेस विज्ञप्ति
- क्रॉस टेबुलेशन रिपोर्ट
- विजुअलाइजेशन

सांख्यिकी डेटा और मेटाडेटा विनिमय (एसडीएमएक्स)

3.66 2011–12 (क्यू–1) से 2021– 22 (क्यू–2) की अवधि के लिए वर्तमान और अचल कीमतों (अर्थात 2011–12 की कीमतों) पर सकल घरेलू उत्पाद का त्रैमासिक अनुमान एसडीएमएक्स में परिवर्तित किया गया है और मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पटल (एनआईआईपी)

3.67 राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पटल (एनआईआईपी) को आधिकारिक सांखयिकी प्रक्रियाओं के स्वचालन और आधिकारिक सांख्यिकी के एक राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस के विकास (एनडीडब्लूओएस) के लिए एक पटल के रूप में परिकल्पित किया गया है।

3.68 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नीति निर्माण, नियोजन, अनुसंधान और अन्य सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सतत विकास उद्देश्य सूचकांक इत्यादि के लिए राष्ट्रीय हित के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक संकेतकों को एकत्रित, संकलित और प्रकाशित करता है। कई पोर्टल/सॉफ्टवेयर्स/मैनुअल सिस्टम हैं जो इन कार्यों को करने के लिए विघटित तरीके से मौजूद हैं और डेटा अधिग्रहण प्रमुख रूप से मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मौजूदा पोर्टल को बेहतर सुविधाओं के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही एनआईआईपी परियोजना के भाग के रूप में एनआईआईपी के तहत लाया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) के आंतरिक उपयोग के लिए सांख्यिकी प्रणाली के समग्र क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को भी इस परियोजना का एक हिस्सा बनाया गया है।

- इस परियोजना के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों की स्थिति नीचे दी गई है:
- अधिकांश प्रभावों के लिए प्रणाली की आवश्यकता संबंधी अध्ययन पूरा हो गया है।
- सीपीआई एवं ओसीएमएस का पोर्टल विकास पूरा हो गया है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए परियोजना के अधीन है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट नई विशेषताओं के साथ 17 नवंबर, 2020 को शुरू की गई।
- आईआईपी का पोर्टल विकास और परीक्षण प्रगति पर है।
- ईसी 3–6 हेतु डेटा माइग्रेशन, पिछले 10 वर्षों के एनएसएस, सीपीआई, आईआईपी, एएसआई इत्यादि के कुछ सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं और एएसआई और एनएसएस (5 सर्वेक्षण) डैशबोर्ड को गो–लाइव के लिए प्रोडक्शन में रखा गया है । शेष एनएसएस अनुसूचियों का विकास प्रगति पर है और अन्य विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड विकास के विभिन्न चरणों में है।
- अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को प्रोडक्शन में तैनात किया गया है।
- विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड एनआईआईपी और एनआईएफ का विकास प्रगति पर है।

- वर्गीकरण, ऊर्जा सांख्यिकी और एनएडी–14 इकाइयों का पोर्टल विकास प्रगति पर है।
- प्रशिक्षण इकाई–6 मॉड्यूल का विकास पूरा हो चुका है और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के अधीन हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)

3.69 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी संबंधी मध्यवर्तियों के प्रोत्साहन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है । यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रबंधन समर्थन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह है। यह इकाई मंत्रालय द्वारा नवीनतम आईटी/ई–गवर्नेंस और समकालीन प्रौद्योगिकियों की पहचान और इसके कार्यान्वयन में भी मदद करेगी। 23 मार्च 2020 से ऑन–बोर्ड, परियोजना प्रबंधन इकाई खरीद, रिपोर्टिंग और एनआईआईपी एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं के विश्लेषण और निगरानी में सहायता करती है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ

3.70 यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आईटी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए एनएसएसटीए को संकाय सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रभाग आई टी संबंधी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रायोजित छात्रों के लिए प्रशिक्षुता भी उपलब्ध कराता है। डीआईआईडी प्रशिक्षण इकाई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर/अनुसंधान के इंटर्नशिप कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अर्थात अक्तूबर 2021 के दौरान प्रभाग ने एनआईसी के साथ साइबर सुरक्षा जागरूकता पर वेबकास्ट आयोजित किया था। प्रभाग ने सीडीएसी के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

एक मिनी डेटा सेंटर का संचालन और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आईटी परिसंपत्तियों का रखरखाव

3.71 डीआईआईडी पर स्थित मिनी डेटा सेंटर के सर्वर 24x7x365 के आधार पर संचालित होते हैं और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क सेटअप (एलएएन/क्लांइट), डेस्कटॉप और प्रिंटर की समस्याओं का निवारण करते हैं। प्रभाग ने इस मिनी डेटा सेंटर के उन्नयन और रखरखाव के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी खरीदा है। मंत्रालय के दिल्ली में सरदार पटेल भवन, पूर्वी और पश्चिमी खंड, आरके पुरम और पुष्पा भवन स्थित कार्यालयों की आईटी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी व्यापक वार्षिक रखरखाव निविदा (सीएएमसी) के जरिए डीआईआईडी की प्रचालन इकाई द्वारा किया जाता है।

3.72 केंद्र सरकार में साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु एमईआईटीवाई के दिशा निर्देशों के अनुसार सीआईएसओ की देखरेख में एक साइबर प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) प्रलेख तैयार किया गया है और इसे मंत्रालय के सभी प्रभागों को जारी किया गया है ताकि वे तैयार रहें और साइबर सुरक्षा घटनाओं की स्थिति में संकट से निपट सकें।

डेटा नवाचार लैब

3.73 डीआईआईडी के तहत एक डेटा नवाचार लैब (डीआई लैब) स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, कार्यालयी सांख्यिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना, अनुपूरक एवं पूरक कार्यकलापों के जरिए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (एनएसएस) में सुधार लाना है।

3.74 डीआई लैब उद्यमियों, स्टार्ट– अप्स, वैयक्तिक शोधकर्ताओं और शैक्षणिक – अनुसंधान संगठनों की व्यापक भागीदारी के माध्यम से प्रयोग, नए विचारों और अपनी अवधारणा का प्रमाण रखने के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की आईटी पहलों के संचालन पर अंतर– मंत्रालयी समिति (आईएमसी)

3.75 जुलाई 2019 में सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन की अध्यक्षता में और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के उच्चाधिकारियों को सदस्य रूप में शामिल करते हुए एक अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य डेटा संग्रह, अधिग्रहण, संकलन सत्यापन और प्रचार में आ रही चुनौतियों का सामना करने के साथ–साथ वर्तमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए शुरू की जा रही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विभिन्न आईटी पहलों के लिए शीर्ष स्तर का मार्गदर्शन और कार्यान्वयन रणनीति उपलब्ध कराना है।

3.76 आईएमसी की पहली बैठक 12 मार्च 2021 को सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आईटी पहलों के संचालन पर शीर्ष स्तर का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार डेटा सेट/संकेतकों और रजिस्ट्रियों के रजिस्टर के सार–संग्रह के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों संगठनों से मेटाडेटा वितरण प्राप्त करने के लिए वेब फॉर्म विकसित किए गए हैं।

अंतर, अंतरा और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय इकाई (आईआईआईसीयू)

3.77 अंतर, अंतरा और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय इकाई (आईआईआईसीयू) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने के अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है। यह सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 और भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की सिफारिशों को लागू करने के लिए नोडल इकाई भी है। यह क्षमता विकास (सीडी) योजना, मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत व्यय की निगरानी भी करता है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं और जनता के लिए विश्वसनीय और समय पर आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत, तकनीकी और साथ ही जनशक्ति संसाधनों में वृद्धि करना है।

2021 के दौरान (दिसंबर 2021 तक) यूनिट द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों को निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

सांख्यिकीय दिवस

3.78 15वां सांख्यिकी दिवस 29 जून, 2021 को कोविड–19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मोड में मनाया गया। इस कार्यक्रम का मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया। "सांख्यिकी दिवस" 2021 का विषय सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–2 (भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना) था। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और योजना मंत्रालय, राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर भाग लिया और प्रतिभागियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से संबोधित किया। प्रो. बिमल कुमार रॉय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी), डॉ. जी.पी. सामंता, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव, एमओएसपीआई, प्रो. संघमित्रा बंद्योपाध्याय, निदेशक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने भी दर्शकों को संबोधित किया। इस अवसर पर सरकार के गणमान्य व्यक्तियों और उच्च अधिकारियों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपना संदेश दिया।

3.79 कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर.बी. बर्मन को आजीवन उपलब्धियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी–2021 में प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 45 वर्ष से अधिक आयु के सेवारत आधिकारिक सांख्यिकीविद् की श्रेणी में आधिकारिक सांख्यिकी–2021 में प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉ. सीताभरा सिन्हा, प्रोफेसर, गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई को प्रदान किया गया। युवा सांख्यिकीविदों के लिए सांख्यिकी में प्रो. सी.आर. राव राष्ट्रीय पुरस्कार–2021 डॉ. किरणमय दास, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को दिया गया। मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सांख्यिकी से संबंधित विषय पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 'ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता' के विजेताओं को भी कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन सम्मानित किया गया।

3.80 सांख्यिकी दिवस की विषय–वस्तु पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई। इसके अलावा, सरकार की एक पहल, आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के एक भाग के रूप में, इस मंत्रालय ने एसडीजी पर विभिन्न प्रकाशनों अर्थात् सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ)–संस्करण 3.1, एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2021 और एसडीजी की एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.1) पर डेटा स्नैपशॉट को भी जारी किया।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग की 52वीं बैठक

3.81 1 से 3 और 5 मार्च, 2021 के दौरान, आयोजित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग की 52वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, तत्कालीन सचिव, एमओएसपीआई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा ऑनलाइन किया गया था।

3.82 भारत ने एजेंडा आइटम "सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा हेतु डेटा और संकेतक" और "पर्यावरण–आर्थिक लेखांकन" पर मौखिक बयान दिए। साथ ही, 7 एजेंडा मद नामतः सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा हेतु डेटा और संकेतक; आर्थिक सांख्यिकीय पर्यावरण–आर्थिक लेखांकन; बड़ा डेटा; अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय वर्गीकरण; डेटा और मेटाडेटा प्रस्तुति और प्रसार और जलवायु परिवर्तन के आँकड़े पर लिखित बयान दिए गए थे।

3.83 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव,एमओएसपीआई ने वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान एसडीजी की निगरानी के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) और एसडीजी संकेतकों (आईएईजी–एसडीजी) पर अंतर–एजेंसी और विशेषज्ञ समूह की सराहना की। भारत ने वैश्विक संकेतक रूपरेखा (जीआईएफ) में प्रस्तावित बदलावों का भी समर्थन किया। बैठक के दौरान, भारत ने दी गई कार्यप्रणाली के साथ कई संकेतकों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर गणना करना मुश्किल है और आग्रह किया कि इन पद्धतियों का परीक्षण बड़े देशों के साथ–साथ उन देशों में भी किया जा सकता है जो आकार में छोटे हैं और जिनमें विविधता है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर संकेतकों की व्यापक स्वीकार्यता हो सके और उन्हें अपनाया जा सके । भारत ने एसडीएमएक्स पर कार्य समूह द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की और आग्रह किया कि एसडीएमएक्स पर क्षमता निर्माण के संदर्भ में सभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) को समर्थन दिया जा सकता है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर भी समान संरचनाओं के निर्माण की सुविधा मिल सके।

3.84 भारत ने एक सांख्यिकीय मानक के रूप में पर्यावरण आर्थिक लेखांकन पारिस्थितिकी तंत्र लेखा प्रणाली (एसईईएई) की घोषणा का समर्थन किया क्योंकि यह देश के विविध पारिस्थितिक तंत्रों और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह सूचित किया गया कि भारत ने कुछ चयनित पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित एसईईए ढांचे को अपनाने वाले लेखों का संकलन शुरू कर दिया है और यह उपयोगी होगा यदि संकलन के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यूएनएसडी में एक तंत्र स्थापित किया गया हो, जिसमें डेटा स्रोतों और खातों के तरीकों का चयन शामिल है जो पूरे देशों में लेखों के मानकीकरण में भी सहायता करेगा। भारत ने एसईईए महासागरों को विकसित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और रूपरेखा विकसित करने वाली कार्य टीमों का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की, ताकि ढांचे में विकासशील देशों के विचारों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके।

3.85 भारत आर्थिक सांख्यिकीविदों का एक नेटवर्क स्थापित करने की सिफारिश हेतु सम्मत है जिससे नए मानकों के विकास में भारत सहित विकासशील देशों जैसे विविध देशों के विचारों पर बेहतर रूप से ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी और नए मानकों के कार्यान्वयन में अंतराल को कम करने में भी सहायता मिलेगी क्योंकि ये पहले से ही विकास के संबंध में जागरूक होंगे और प्रयोग / परीक्षण मामलों में योगदान कर सकते हैं।

3.86 भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए बड़े डेटा पर कार्य दल के गठन की सराहना की। इसने ग्रामीण पहुंच सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य संकेतक 9.1.1 के लिए एक कार्य दल तैयार करने के प्रयास हेतु आईएईजी–एसडीजी का समर्थन किया। भारत ने प्रशिक्षण और परियोजना गतिविधियों के लिए वैश्विक मंच और क्षेत्रीय केंद्रों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया और मत दिया कि आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में बिग डेटा और अन्य गैर–पारंपरिक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाने पर स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

3.87 इसके अलावा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) की संशोधन प्रक्रिया और व्यावसायिक कार्यों के वर्गीकरण में योगदान देने की इच्छा भी दर्शायी। एनएसओ ने ग्लोबल यूएन डेटा हब और यूएन डेटा पोर्टल के विकास की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र डेटा हब के लिए एक समन्वित दृष्टि विकसित करने हेतु एक समर्पित अंतर–एजेंसी और विशेषज्ञ तंत्र के निर्माण का समर्थन किया।

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना इकाई (एसएसपीयू) द्वारा सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस)

3.88 'सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन' (एसएसएस) एमओएसपीआई की एक चालू केंद्रीय क्षेत्र उप–योजना है जिसका उद्देश्य विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार करना है।

3.89 एसएसएस योजना को मार्च, 2010 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया था, राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। बाद में इस परियोजना का नाम सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस) कर दिया गया। वर्ष 2016–17 में, मंत्रालय की एकछत्र योजना 'क्षमता विकास' के तहत केंद्र से 100% वित्त पोषण के साथ एसएसएस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की उप–योजना बनाया गया था।

3.90 उप–योजना 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई है/कार्यान्वित की जा रही है। योजना की शुरुआत के बाद से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 30 नवंबर, 2021 को जारी की गई राशि का 87 प्रतिशत संचयी व्यय दर्ज किया है।

3.91 राज्यों में, इस योजना के लागू होने के परिणामस्वरूप मुख्य संकेतकों के संकलन में सुधार, राज्यों में नीति निर्माण के लिए आंकड़ा आधारों का सृजन और अवसंरचना तथा क्षमता बेहतर हुई है। इस योजना में अब वास्तविक सांख्यिकीय परिणामों/उत्पादों को प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है ताकि राज्यीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार किया जा सके और उसे विकास के अगले स्तर पर ले जाया जा सके।

3.92 सांख्यिकीय प्रशासन राज्य अकादमी (एसएएसए) केरल का निर्माण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण उपयोजना के लिए सहायता के अन्तर्गत मुख्य सहयोग के साथ किया गया है। एसएएसए का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री (सां. और कार्य. कार्या.), भारत सरकार और केरल के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 7 सितंबर, 2021 को एक वर्चुअल समारोह में किया गया था। एसएएसए को राज्य में गुणवत्ता पूर्ण डाटा का उत्पादन और सुदृढ़ सांख्यिकीय प्रणाली का निर्माण करने के लिए सरकारी सांख्यिकी में अनुसंधान तथा सांख्यिकी विभाग कार्मिक को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सांख्यिकी और आर्थिक सिद्धांत तथा आनुभाविक अध्ययनों में अनुसंधान के केन्द्र के रूप में कार्य करना भी है।

3.93 एसएसएस उप–योजना के तहत 2021–22 (नवंबर 2021 तक) के दौरान प्रमुख गतिविधियां/महत्वपूर्ण घटनाक्रमः

(क) महाराष्ट्र, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को निधियां जारी की गई हैं।

(ख) राज्य में एसएसएस उप–योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने और उप–योजना का कार्यान्वयन करने में डीईएस के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए उप महानिदेशक (एसएसपीयू) की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम की सरकारों के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों के साथ क्रमशः 03.08.2021, 08.09.2021 और 16.09.2021 को संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

नीति कार्यान्वयन और निगरानी प्रभाग (पीआईएमडी)

3.94 नीति कार्यान्वयन और निगरानी प्रभाग (पीआईएमडी) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में 18 जनवरी, 2021 को बनाया गया था और इस प्रभाग का नेतृत्व एक अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारी करते हैं। यह प्रभाग महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन) के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में कार्य करता है।

प्रभाग के कार्य

3.95 निम्नलिखित विस्तृत कार्य के साथ एनएसओ में पीआईएमडी की स्थापना की गई हैः

(i) एनएसओ/मंत्रालयों के कार्यात्मक प्रभागों के माध्यम से आधिकारिक सांख्यिकी पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन का संचालन और निगरानी करना, जहां कहीं भी लागू हो।

(ii) एक शासी संरचना, अर्थात नीतियां, निर्देश, दिशानिर्देश, पद्धतियाँ और उपकरण स्थापित करना जो अधिग्रहण, प्रबंधन और प्रशासनिक डेटा के कुशल उपयोग का समर्थन करेंगे।

(iii) प्रशासनिक प्रणाली में सांख्यिकीय आवश्यकताओं के निर्माण में सहायता करने के लिए उन संगठनों द्वारा रखे गए प्रशासनिक रिकॉर्ड की सांख्यिकीय क्षमता की जांच करने में अन्य विभागों/मंत्रालयों (सांख्यिकीय सलाहकारों के माध्यम से) के साथ समन्वय करना; फिर उनके प्रशासनिक रिकॉर्ड सिस्टम का निर्माण या पुनर्विकास करना

(iv) सभी मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध प्रशासनिक डेटासेट के बारे में मेटा डेटा सहित सूचना के भंडार के निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

3.96 प्रभाग द्वारा संचालित गतिविधियां

(i) प्रभाग ने "प्रशासनिक डेटाः मुद्दे, विचार और संभावनाएं" पर एक कागज–पत्र तैयार और प्रकाशित किया। इस कागज–पत्र में आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के एक भाग के रूप में प्रशासनिक डेटा का उपयोग करने संबंधी मुद्दों, विचारों और संभावनाओं को उजागर किया जाता है।

(ii) प्रभाग ने एक दस्तावेज,"डेटा प्रसारः सांख्यिकीय उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मेटा डेटा संरचना (एनएमडीएस) भी तैयार किया। यह डेटा की गुणवत्ता को स्थापित करने और बनाए रखने तथा डेटा साझा करने की सुगमता के लिए डेटा निर्माता हेतु बुनियादी न्यूनतम गुणवत्ता मानक का पालन करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट है। एनएमडीएस को भारत सरकार के

मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच अपनाने के लिए परिचालित किया गया है।

(iii) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) द्वारा आवश्यक इनपुट की आपूर्ति और डेटा शासी गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) के संकलन से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए पीआईएमडी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) में नोडल प्रभाग बनाया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस)

3.97 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसए), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर अखिल भारत स्तर पर विभिन्न फील्डों में बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने का दायित्व है। आर्थिक गणना की अनुवर्तन कार्रवाई के तौर पर विभिन्न सामाजार्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी परिवार सर्वेक्षणों, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण तथा उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से नियमित रूप से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं । इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएस ग्रामीण तथा शहरी मूल्यों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने तथा राज्य अभिकरणों के क्षेत्रीय गणना एवं फसल अनुमान सर्वेक्षणों के माध्यम से फसल संबंधी सांख्यिकी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह शहरी क्षेत्रों में सामाजार्थिक सर्वेक्षणों में प्रतिदर्श तैयार करने हेतु शहरी क्षेत्रीय इकाइयों का एक फ्रेम भी तैयार करता है।

3.98 एनएसएस अपने सर्वेक्षणों, प्रसंस्करण और प्रकाशन/इसके सर्वेक्षणों के आधार पर परिणामों/डेटा के प्रसार से संबंधित मामलों में अपेक्षित स्वायत्तता के साथ कार्य करता है। महानिदेशक (एनएसएस) एनएसएस की सभी गतिविधियों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें चार अपर महानिदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, प्रत्येक एक अलग प्रभाग का प्रभारी होता है जो बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों के विभिन्न पहलुओं जैसे अभिकल्प और नियोजन, क्षेत्रीय कार्य/आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा प्रसंस्करण और एनएसएस के विभिन्न प्रभागों के बीच समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है।

एनएनएस के प्रभागः

3.99 दिल्ली में मुख्यालय वाला सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (एससीडी) एनएसएस के विभिन्न प्रभागों नामतः एसडीआरडी, एफओडी और डीक्यूएडी की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। यह महानिदेशक (एनएसएस) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, एससीडी एनएसओ द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण परिणामों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए भी जिम्मेदार है। यह एनएसओ की तकनीकी पत्रिका 'सर्वेक्षण' भी प्रकाशित करता है जिसमें एनएसओ के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों पर शोध पत्र शामिल हैं।

3.100 सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग (एसडीआरडी) कोलकाता में स्थित है । इस प्रभाग पर सर्वेक्षण के लिए तकनीकी योजना बनाने, प्रतिदर्श अभिकल्प तैयार करने, पूछताछ अनुसूचियां, अवधारणाओं तथा परिभाषाओं को तैयार करने, सारणीयन योजना तैयार करने तथा परिणामों का विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण एवं सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार करने का दायित्व है।

3.101 क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) का मुख्यालय दिल्ली/फरीदाबाद में है तथा इसके 6 आंचलिक कार्यालय, 53 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 116 उप–क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण हेतु प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण का कार्य करता है।

3.102 आंकड़ा गुणवत्ता और विश्लेषण प्रभाग (डीक्यूएडी) का मुख्यालय कोलकाता में है। अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, गिरीडीह तथा नागपुर में इसके छह समंक विधायन केन्द्र हैं। यह प्रतिदर्श चयन, सॉफ्टवेयर विकास तथा सर्वेक्षणों के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के संसाधन एवं सारणीयन के लिए उत्तरदायी है। यह राज्यों को सभी समंक विधायन संबंधी गतिविधियों में आईटी समाधान द्वारा तथा आवधिक प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा अन्य परस्पर संवादात्मक तरीके से भी सहायता करता है। औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध भी इस प्रभाग के अधीन कार्य करता है। औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध का मुख्य कार्य वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के संबंध में नमूना, अभिकल्प, डाटा मान्यकरण और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के संबंध में परिणाम बनाना है, जो भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। समर्पित एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उनका रख–रखाव किया जाता है, जिसके कारण समय की बचत के साथ–साथ सही आंकड़ों का पता चलता है। यह पोर्टल वार्षिक आंकड़ों को बिना किसी वास्तविक छेड़छाड़ के समय पर, पारदर्शी रूप से तथा कार्यक्रम में विश्वसनीय तरीके से सुरक्षित वातावरण में प्रस्तुत करने में सहायता करता है।

एनएसएस के नए दौर के लिए कार्य समूह

3.103 सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय ने दिनांक 11.04.2019 को डॉ. जी.सी. मन्ना, पूर्व महानिदेशक, सीएसओ और प्रोफेसर, मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एनएसएस के 78वें दौर के कार्यकारी समूह का गठन किया। कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) के अध्यक्ष की सहमति से, एनएसएस के 78वें दौर का क्षेत्रीय कार्य वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण 15.08.2021 तक बढ़ा दिया गया था।

3.104 श्री प्रवीण श्रीवास्तव, पूर्व सीएसआई–सह–सचिव, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय की अध्यक्षता में 26.03.2021 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनएसएस 79वें दौर के कार्य समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। डब्ल्यूजी एनएसएस 79वें दौर के सर्वेक्षण के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर गतिविधियों के संपूर्ण पहलुओं पर विचार, विकास और तैयार करेगा, जैसे नमूना डिजाइन, सर्वेक्षण पद्धति आदि निर्धारित करना। डब्ल्यूजी ने एनएसएस 79वें दौर के सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें कीं। डब्ल्यूजी एनएसएस 79वें दौर के विभिन्न सर्वेक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति

3.105 आर्थिक पहलूओं पर सर्वेक्षण आंकड़े और सांख्यिकी के संबंध में मामलों पर विचार करने के लिए विषय विशेष समितियों के स्थान पर आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को डा. प्रणब सेन, कार्यक्रम निदेशक, इंडिया टीम रिसर्चर, अंतर्राष्ट्रीय विकास केन्द्र, नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया। परिणामस्वरूप, श्रम बल सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीएलएफएस), सेवा क्षेत्र पर स्थायी समिति (एससीएसएस), औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीआईएल) तथा सेवा क्षेत्र पर स्थायी समिति और अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों (एससीएसएसयूएसई) को आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति में विलय कर दिया गया है।

3.106 पेशेवर विशेषज्ञों सहित इस स्थायी समिति से अपेक्षा की जाती है कि यह विभिन्न सर्वेक्षणों और साथ ही अन्य संबंधित क्षेत्रों के नियोजन हेतु अपेक्षित आवश्यक सुविज्ञता प्रस्तुत करेगी।

3.107 एससीईएस की उप–समिति–**I** सर्वेक्षण की सभी गतिविधियों की देखरेख करती है, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) और सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई)। एससीईएस की उप–समिति–**II** सर्वेक्षण की सभी गतिविधियों की देखरेख करती है, जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) और समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस)। एससीईएस की उप–समिति–**III** सर्वेक्षण की सभी गतिविधियों की देखरेख करती है, जैसे कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)। उप–समितियों ने सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें कीं।

मंत्रालय में सर्वेक्षणों के अन्य एनएसएस दौरों के संबंध में गतिविधियां

3.108 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) सुचारू रूप से अखिल भारतीय आधार पर सर्वेक्षण कर रहा था और सामान्य परिस्थितियों में वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन शुरू होने तक आमने–सामने साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया था। हालांकि, लॉकडाउन और महामारी के कारण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी सभी फील्ड वर्क गतिविधियों को 18.03.2020 को निलंबित कर दिया। इसके अलावा, सां. का. कार्य. मंत्रा. ने एमएचए और एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सभी आवश्यक कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने सर्वेक्षणों को 17.05.2020 से पुनः प्रारंभ किया। क्योंकि, 16.05.2020 से आगे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सर्वेक्षण गतिविधियों को स्थगित करना संभव नहीं था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण पेशेवरों को पर्याप्त मास्क, सैनिटाइजर और व्यक्तिगत सुरक्षा किट ले जाने के लिए संवेदनशील बनाया गया है ताकि आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा सके। एनएसएस तकनीकी प्रगति का उपयोग भी कर रहा है ताकि उत्तरदाताओं के साथ इंटरैक्टिव समय को कम किया जा सके। एनएसएस ने पहले ही अपनी सर्वेक्षण गतिविधियों को पीएपीआई से साक्षात्कार को सीएपीआई मोड में स्थानांतरित कर दिया है।

सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण

3.109 एनएसएस का 77वां दौर (जनवरी–दिसंबर 2019) (**i**) 'घरों की भूमि और पशुधन जोत और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन' और (**ii**) 'ऋण और निवेश' के विषयों के लिए समर्पित था। सर्वेक्षण 1 जनवरी, 2019 को शुरू किया गया था। सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण के आधार पर, दो रिपोर्ट अर्थात। (**i**) रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन, 2019 और (**ii**) रिपोर्ट संख्या 588: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण–2019 सितंबर 2021 में जारी किए गए थे।

3.110 एनएसएस का 78वां दौर (जनवरी–दिसंबर 2020) (**i**) घरेलू पर्यटन व्यय और (**ii**) बहु संकेतक सर्वेक्षण के विषयों के लिए समर्पित था। 'घरेलू पर्यटन व्यय' पर सर्वेक्षण 1 जुलाई, 2020 से पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए

अनुरोधों के कारण निलंबित कर दिया गया था। बहु संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), 2030 के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों से संबंधित अनुमान प्रदान करना है। केंद्रीय नमूने के लिए डेटा का संग्रह कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वेक्षण 1 जनवरी, 2020 को शुरू किया गया था। हालांकि सर्वेक्षण को दिसंबर, 2020 तक पूरा किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसे समय पर पूरा नहीं किया जा सका और सर्वेक्षण की अवधि 15 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

3.111 एनएसएस में पहली बार, एनएसएस में अब तक उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक अनुसूची प्रारूप हाईथ्रो के स्थान पर एनएसएस 78 वें दौर में डेटा संग्रह के लिए एक प्रश्नावली प्रारूप का उपयोग किया गया है। केंद्रीय नमूने के लिए डेटा का संग्रह सीएपीआई विधि के माध्यम से किया गया है। हालाँकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जो प्रश्नावली प्रारूप में डेटा संग्रह के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार सीएपीआई को अपनाने में सक्षम नहीं हैं। सर्वेक्षण 1 जनवरी 2020 को शुरू किया गया था।

अनिगमित क्षेत्र उद्यमों (एएसयूएस) का वार्षिक सर्वेक्षण

3.112 अनिगमित क्षेत्र उद्यमों (एएसयूएस) का वार्षिक सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2019 से शुरू किया गया है पूरे भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन क्षेत्रों नामतः विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गांवों को छोड़कर जिन तक पहुंचना मुश्किल है) से संबंधित असिंचित गैर–कृषि क्षेत्र की स्थापना शामिल है। सर्वेक्षण क्षेत्र फ्रेम के माध्यम से अप्रैल 2021 – मार्च 2022 के दौरान आयोजित किया जा रहा है।

एएसयूएसई (2021–22) डेटा के डेटा ट्रांसक्रिप्शन के लिए विंडोज में सीएपीआई का एक डेस्कटॉप संस्करण विकसित किया गया है जो ईसिग्मा में भी चलेगा। वर्तमान में उसी का उपयोग करके डेटा सत्यापन किया जा रहा है।

सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के लिए राज्य सहायता

3.113 राज्य भी एनएसएस के सर्वेक्षणों में भाग लेते हैं। डीक्यूएडी डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट (प्रतिदर्श सूची, डाटा प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर, मान्यकरण तथा सारणीकरण सहित) उपलब्ध करवाकर राज्यों को सभी प्रकार का तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराती है और इस प्रकार से सारणीयन और पूलिंग कार्यशालाओं का आयोजन करके राज्यीय सैंपल आंकड़ों को संसाधित करने के साथ–साथ केन्द्रीय तथा राज्यीय प्रतिदर्श आंकड़ों को पूलिंग में सहायता प्रदान करता हैं।

3.114 डीक्यूएडी द्वारा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के पदाधिकारियों के लिए एनएसएस के 75वें (अनुसूची 25.0 और 25.2) और 76वें दौर के केन्द्रीय तथा राज्यीय प्रतिदर्श डाटा पर एक सारणीयन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जब कभी भी राज्यीय डीईएस द्वारा अनुरोध किया गया, डीक्यूएडी द्वारा राज्यों के लिए विशेषीकृत आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

कृषि सांख्यिकी

3.115 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग फसल सांख्यिकी योजना (आईसीएस) में सुधार से संबंद्ध है और क्षेत्रीय आंकड़ों और विभिन्न फसलों के उत्पाद दर अनुमान के संग्रहण की उनकी प्रणाली में कमियों की पहचान करने में सहायता करता है। आईसीएस के अंतर्गत राज्यीय मुख्य कार्मिकों द्वारा किए गए क्षेत्र गणना कार्य पर प्रतिदर्श जांच और उत्पाद दर के आकलन हेतु राज्यीय कार्यकर्ताओं द्वारा

आयोजित फसल काटने संबंधी प्रयोगों का प्रतिदर्श पर्यवेक्षण करता है ताकि प्रणाली में कमियों की पहचान की जा सके। आईसीएस कार्य पर स्थिति रिपोर्ट राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का क्षेत्र संकार्य प्रभाग प्रत्येक कृषि ऋतु में लगभग 10,288 (4939 केंद्र के एवं 5349 ग्रामीण प्रतिदर्श के लिये) गांवों की क्षेत्र–गणना तथा क्षेत्रीय परिगणना से संबंधित मुख्य क्षेत्र–कार्य की प्रतिदर्श जांच तथा प्रत्येक कृषि वर्ष में लगभग 31,324 (15662 केंद्र और राज्य प्रतिदर्श के लिये) फसलों की कटाई के प्रयोगों का पर्यवेक्षण करता है । राज्य सरकार राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण (एसएएसएएस) अनुसूची 1.1 में दिए गए क्षेत्र सांख्यिकी पर आंकड़ों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य प्रतिदर्श के 5349 गांवों के सामुहिक क्षेत्र की प्रतिदर्श जांच करता है । राज्य सरकार के राज्य कृषि फसल कटाई के चरण पर फसल कटाई परीक्षणों के पर्यवेक्षण के माध्यम से एकत्र आंकड़ों का आईसीएस स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट फसलों की उपज दर के 204 अनुमानों की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है।

शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस)

3.116 शहरी फ्रेम सर्वेक्षण खंडों का निर्माण और अद्यतन करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा नियमित रूप से शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) का आयोजन किया जाता है ताकि एनएसओ के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रयोग के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम स्तरीय प्रतिदर्श इकाइयों के चयन हेतु ढांचा प्रदान किया जा सके।

3.117 मोबाइल और वेब पोर्टल आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफार्म पर शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) 2017–22 पर चरणबद्ध रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए राष्ट्रीय संवेदी दूरस्थ केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। वेब एप्लीकेशन में क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर पर खींचे गए बहुभुज की निर्णायक सीमा अपलोड करने हेतु कार्यात्मकता शामिल होती है। प्रक्रिया मूल्यांकन और विकास की अवस्था में हैं। डीक्यूएडी, एनएसओ 2017–22 का यूएफएस डाटाबेस (ग्रामीण+शहरी) का रखरखाव कर रहा है। फ्रेम का उपयोग विभिन्न सर्वेक्षणों के प्रतिदर्श चयन के लिए किया जाता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

3.118 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) अप्रैल 2017 से आरंभ किया गया। पीएलएफएस के मुख्यतः दोहरे उद्देश्य हैं (i) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीनों के थोड़े समय के अंतराल में श्रमबल संकेतकों को मापना और (ii) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) और सीडब्ल्यूएस वार्षिक दोनों तरह से सभी महत्वपूर्ण श्रम शक्ति मापदंडों का अनुमान लगाना है।

3.119 शहरी क्षेत्रों में पीएलएफएस के लिए घूर्णी पैनल नमूना डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है। दो साल की अवधि की घूर्णी योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए नमूना फ्रेम अपरिवर्तित रहता है। जो पैनल दो साल से उपयोग में था, उसे जुलाई, 2021 से एक अपडेटेड पैनल से बदल दिया गया है। अपडेटेड पैनल जुलाई 2023 तक अपरिवर्तित रहेगा। वर्तमान पैनल (जुलाई 2021–जून 2023) ईसिग्मा प्लेटफॉर्म में प्रगति पर है।

3.120 2019–20 के लिए पीएलएफएस पर वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2021 में जारी की गई थी। जुलाई–सितंबर 2020 तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन अगस्त 2021 में जारी किया गया था, तिमाही अक्टूबर–दिसंबर 2020 के लिए पीएलएफएस का तिमाही बुलेटिन सितंबर 2021 और जनवरी–मार्च 2021

तिमाही के लिए पीएलएफएस का बुलेटिन नवंबर 2021 में जारी किया गया था। जुलाई 2019– जून 2020 की अवधि के लिए पीएलएफएस के अतिरिक्त संकेतकों पर वार्षिक बुलेटिन सितंबर 2021 में जारी किया गया था।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई)

3.121 भारत में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) औद्योगिक सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है। यह संगठित विनिर्माण क्षेत्र के गठन और संरचना, वृद्धि संबंधी परिवर्तन और यथार्थ रूप से निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है जिसमें विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, उत्पादन, बिजली का पारेषण आदि, गैस एवं जल आपूर्ति तथा कोल्डस्टोरेज से जुड़े कार्यकलाप शामिल हैं। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2017 में यथा संशोधित) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सांविधिक है।

3.122 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पूरे भारत में किया जाता है । सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) तथा 2 एम (ii) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त कारखाने शामिल हैं। सर्वेक्षण में बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत सभी बीड़ी एवं सिगार निर्माणकारी प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में लगे सभी बिजली उपक्रम, उनके रोजगार का आकार चाहे कुछ भी हो, वर्ष 1997–98 तक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे। कोल्डस्टोरेज, जल आपूर्ति, मोटर वाहनों तथा घड़ी आदि जैसी उपभोग की अन्य टिकाऊ वस्तुओं की मरम्मत जैसी कुछ सेवाओं और कार्यकलापों को सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है। रक्षा प्रतिष्ठानों, तेल भंडारण तथा वितरण डिपो, जलपान–गृहों, होटलों, कैफे और कम्प्यूटर सेवाओं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को भी सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत बिजली उपक्रमों को वर्ष 1998–99 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जा रहा है तथापि, वे कैप्टिव इकाईयां जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अंतर्गत उनका शामिल होना जारी रहेगाा।

3.123 उपरोक्त के अलावा, अब एएसआई की कवरेज का एएसआई के प्रतिचयन डिजाइन संबंधी उप–समूह द्वारा संस्तुति के अनुसार कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) के अनुसार बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के दायरे से परे विस्तार किया गया है। इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्यों के लिए तैयार किए गए प्रतिष्ठान कार्य रजिस्टर (बीआरई) तथा छठी आर्थिक गणना आधारित प्रतिष्ठान निर्देशिका का सीएसओ (आईएस विंग) द्वारा उपयोग किया जाएगा।

3.124 जहां तक संवर्धित ढ़ांचे के कार्यान्वयन की बात है 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को कारखाना अधिनियम, जिसे 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2 एम (ii) के तहत पंजीकृत नहीं किया गया परंतु संबंधित राज्यों के बीआरई में शामिल इकाइयों को एएसआई फ्रेम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए, आंध्र प्रदेश के बीआरई को एएसआई 2014–15 के लिए आंध्र प्रदेश के फ्रेम में शामिल किया गया तथा मणिपुर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के बीआरई को एएसआई 2015–16 के लिए संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया और एफओडी द्वारा ऐसी इकाईयों का सत्यापन करने के पश्चात गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की बीआरई को एएसआई 2017–18 हेतु संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया। यह पिछली पद्धति से महत्वपूर्ण प्रस्थान है तथा पंजीकृत विनिर्माण सेक्टर की कवरेज में सुधार लाता है।

3.125 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े पूंजी, रोजगार तथा परिलब्धियों, ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स की खपत, कच्चा माल एवं अन्य लागत/उत्पादन, मूल्यवर्धन, श्रम टर्नओवर और कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अन्य विशेषताओं से सम्बद्ध है। केंद्रीय प्रतिदर्श के लिए फील्डवर्क के क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग द्वारा किया जाता है। आईएस विंग आंकड़ों को संसाधित करता है और परिणाम प्रकाशित करता है।

क्षमता विकास नाम की वर्तमान प्लान योजना में एएसआई के संबंध में प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित अनुसार हैं:

(i) एएसआई डेटा प्रसंस्करण की गुणवत्ता में सुधार लाना

(ii) एएसआई डेटा प्रसंस्करण और चरणबद्ध तरीके में ई–गवर्नेंस का कार्यान्वयन जो संबंधित डेटा प्रसंस्करण के पूर्ण विस्तार के रूप में आईएस विंग, डीक्यूएडी, कोलकाता के कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उन्नयन।

(iii) एएसआई सर्वेक्षण में भागीदारी के लिए राज्य डीईएस हेतु सहायता।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में राज्यों की भागीदारी

3.126 राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को एएसआई में भागीदारी के प्रयोजनों से आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है। अन्य इच्छुक राज्यों के साथ प्रतिभागी राज्यों को एएसआई सर्वेक्षण कार्य में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिदर्श सूची मुहैय्या कराई गयी है। डीक्यूएडी के आईएस विंग राज्यों को सभी सर्वेक्षण और आंकड़ा विधायन साधन (प्रतिदर्श सूची, शेड्यूल, अनुदेश पुस्तिका, आंकड़ा प्रविष्टि पैकेज (ई–शेड्यूल), वैधीकरण नियम, पूलिंग कार्यप्रणाली आदि) उपलब्ध कराता है। संबंधित राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिदर्श यूनिट स्तरीय आंकड़े भी राज्य डीईएस के साथ साझा किए गए थे ताकि यदि आवश्यक हो तो प्रतिदर्शों को उन्नत करके जिला/माइक्रो स्तरीय अनुमानों को तैयार करने में उन्हें सशक्त किया जा सके।

3.127 हाल के दिनों में एएसआई डेटा संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रसार में सुधार के लिए कई बदलाव किए गए हैं। पिछले कुछ दशकों में, पंजीकृत कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप उन इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई जहाँ से आंकड़ों का प्रत्येक वर्ष संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। एनएसओ (एफओडी), के परिचालन अवरोध को ध्यान में रखते हुए एएसआई 2013–14, एएसआई 2014–15, एएसआई 2015–16, एएसआई 2016–17 और एएसआई 2017–18 और एएसआई 2018–19 क्रमशरू के दौरान एएसआई में प्रतिदर्श आकारों को 66,283, 70,943, 73,841, 76,977 और 76,613 और 77919 इकाइयों को एएसआई के प्रतिदर्श आकारों में रखा गया था। डेटा प्रसंस्करण और विधिमान्यकरण के कार्य के साथ एएसआई 2019–20 का क्षेत्र कार्य प्रगति पर है। 2012–13 से प्रारंभ करके आगे के सर्वेक्षण एएसआई पोर्टल के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं।

3.128 एएसआई 2018–19 के अंतिम परिणाम (संस्करण **I** और फैक्टरी सेक्टर हेतु सार परिणाम) एनएसएस के अग्रिम जारी कलेण्डर (एआरसी) के अनुसार अगस्त 2021 में मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। ये दोनों प्रकाशन इलैक्ट्रानिक मीडिया पर प्रयोक्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं, अतः इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट (**www.mospi.gov.in**) से डाउनलोड किया जा सकता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणामों की झलक

3.129 एएसआई 2018–19 के अंतिम परिणाम (फैक्टरी क्षेत्र के लिए संस्करण I, संस्करण II, और सारांश परिणाम) अगस्त 2021 में जारी किए गए थे। एएसआई 2018–19 में सम्पूर्ण देश को शामिल किया गया। एएसआई 2018–19 हेतु क्षेत्र कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 के साथ पड़ने वाली संदर्भ अवधि में देश भर में नवम्बर 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान कराए गए थे।

3.130 एएसआई 2018–19 के परिणामों के प्रमुख बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

- 2018–19 के दौरान, कारखानों की अनुमानित संख्या 2,42,395 थी।
- इन फैक्ट्रियों में 162 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया था।
- सभी कारखानों में कुल मिलाकर ₹ 47,77,265 करोड़ की निवेशित पूंजी थी।
- कारखानों द्वारा जोड़ा गया कुल शुद्ध मूल्य ₹12,76,466 करोड़ था।

3.131 एएसआई के अंतर्गत यथाशामिल उद्योगों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विशेषताएं	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कारखाने	संख्या	230435	233116	234865	237684	242395
नियत पूंजी	₹ लाख	247445461	280964722	319038649	328588927	346606975
उत्पादक पूंजी	₹ लाख	311529492	355017720	385346936	393000817	427473434
निवेशित पूंजी	₹ लाख	351396431	385309984	429625490	446094480	477726474
कामगार	संख्या	10755288	11136133	11662947	12224422	12798588
कार्मिक	संख्या	13808327	14227645	14840929	15546199	16212214
श्रमिकों को मजदूरी	₹ लाख	14048488	15600116	17353716	19280066	21576035
परिलब्धियां	₹ लाख	30741306	33975074	37516385	41835716	46207983
कुल निवेश	₹ लाख	571910956	558907407	589746374	660520215	774377980
आउटपुट	₹ लाख	688381205	686235375	726551423	807217258	928179908
अवमूल्यन	₹ लाख	18954077	20079459	22213138	23729624	26155291
निवल मूल्य संवर्धन	₹ लाख	97516172	107248509	114591911	122967418	127646637
निवल नियत पूंजीनिर्माण	₹ लाख	13405511	17879299	14696869	7539180	8310576
निवल आय	₹ लाख	81228119	90165276	97221421	105078789	107790378
दिया गया किराया	₹ लाख	1709361	1774760	1964321	2147363	512545
दिया गया ब्याज	₹ लाख	17286008	18213736	18940173	18768379	19343714
लाभ	₹ लाख	46028299	51319338	53935285	57624246	55652258

एएसआई वेब–पोर्टल

3.132 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का वेबपोर्टल औद्योगिकी सांख्यिकी स्कंध, कोलकाता द्वारा एएसआई अनुसूचियों के संग्रहण और संकलन हेतु एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अंतर्निहित वैधता की सुविधा के साथ स्रोत पर ही एएसआई आंकड़े एकत्र करना है जिससे आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सुरक्षित वातावरण में **24x7** उपलब्ध रहेगा। इसका उद्देश्य है कि इससे अनुसूचियों को भौतिक रूप से परिवर्तित किए बगैर सुरक्षित वातावरण में एएसआई आंकड़े समय से, पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से प्रदान किए जा सकेंगे। एएसआई वेब पोर्टल एएसआई 2012–13 से एसएसआई 2018–19 तक एएसआई अनुसूची के फ्रेम अद्यतनीकरण, प्रतिदर्श चयन और ई–संकलन के लिए सफलता पूर्वक शुरू किया गया था। एएसआई 2019–20 से, एएसआई वेब पोर्टल को एनएसएस की ई सिग्मा परियोजना के एक भाग के रुप में तैयार किया गया है।

मूल्य आंकड़ा

3.133 कृषि श्रम और ग्रामीण श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [सीपीआई (एएल/आरएल)]: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एफओडी) कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों (एएल/आरएल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संकलन के लिए मासिक ग्रामीण मूल्य आंकड़ा संग्रहीत करता है। लगभग 260 मदों के लिए मूल्य आंकड़ा के साथ–साथ,12 कृषि प्रमुख तथा 13 गैर–कृषि प्रमुख व्यवसायों की दैनिक मजदूरी दरें भी अनुसूची 3.01 (आर) में एकत्रित की जा रही हैं । महत्वपूर्ण कृषि प्रचालनों की दैनिक मजदूरी दरों के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार पर रिपोर्ट किए जाते है। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो, शिमला के (सीपीआई (एएल/आरएल) सूचकांक आंकड़ों को संकलित करता है और, प्रकाशित करता है। जिसे प्रत्येक राज्य तथा अखिल भारत स्तर पर प्रत्येक माह (20 तारीख अथवा अगले महीने के पूर्ववर्ती कार्य दिवस को) जारी किया जाता है। सीपीआई (एएल/आरएल) के लिए वर्तमान आधार वर्ष1986–87=100 है। आरपीसी के लिए आंकड़ा 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 603 गांवों से किया जाता है और श्रम ब्यूरो, शिमला को प्रेषित किया जाता है।

3.134 सीपीआई (एएल/आरएल) के आधार संशोधन : सीपीआई (एएल/आरएल) के आधार वर्ष संशोधन के लिए बाजार सर्वेक्षण कार्य नए आधार वर्ष सहित नयी श्रृंखला बनाना प्रक्रियाधीन है। देश भर में 787 गांवों से आधार वर्ष मूल्य संग्रहण नयी श्रृंखला के पूरी होने तक जारी रहेगा। श्रम ब्यूरो, नई श्रृंखला के लिए बास्केट के संकलन के लिए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, एनएसएस 68वें दौर के परिणामों का उपयोग करेगा। इसके बाद, नई श्रृंखला के अंतर्गत नियमित मूल्य संग्रह शुरू होगा और वर्तमान आधार वर्ष 1986–87 के अंतर्गत मूल संग्रहण बंद हो जाएगा ।

3.135 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) परिवारों द्वारा उपभोग के उद्देश्य से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (यू) का मूल्य संग्रहण मई 2008 से मूल्य सांख्यिकी प्रभाग,(पीएसडी), एनएसओ की ओर से एनएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा आरम्भ किया गया । सीपीआई (यू) का वर्तमान आधार वर्ष 2012=100 है । मूल्य आंकड़ा संग्रहण प्रतिमाह पूरे देश में 310 कस्बों से 1078 कोटेशन के लिए किया जाता है। सीपीआई (यू) के शहरी मूल्य पोर्टल में मासिक खुदरा मूल्य का संग्रहण/पारेषण एफओडी, एनएसओ द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।

3.136 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): एफओडी, एनएसओ को, डाक विभाग (डीओपी) से कार्य हस्तांतरित करने के बाद, सितंबर 2018 से सीपीआई (ग्रामीण) का काम सौंपा गया है। सीपीआई (ग्रामीण) का आधार वर्ष सीपीआई (शहरी) के समान है, अर्थात, 2012=100 स देश भर के 1181 गांवों में स्थित बाजारों से मूल्य

डेटा संग्रह किया जा रहा है। एफओडीके क्षेत्र कार्यालयों द्वारा सीपीआई (आर) के ग्रामीण मूल्य पोर्टल में मासिक खुदरा मूल्यों का संग्रहण/प्रेषण नियमित रूप से किया जा रहा है।

3.137 सीपीआई (शहरी) और सीपीआई (ग्रामीण) के आधार वर्ष संशोधन के लिए बाजार सर्वेक्षण का काम नए आधार वर्ष के साथ नई श्रृंखला तैयार करने के लिए जुलाई 2019 में ही पूरा कर लिया गया है। सीपीआई (यू) के अंतर्गत 1148 कोटेशन्स और पूरे देश में फैले सीपीआई (आर) के अंतर्गत 1209 गांवों के लिए आधार वर्ष के आंकड़ों का संग्रहण जनवरी, 2019 से मार्च, 2020 तक किया जा रहा है जब कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए क्षेत्र कार्य को स्थगित कर दिया गया था और बाद में वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण हुए व्यवधान के चलते संग्रहित मूल्य की अवधि को सामान्य न होने पर रद्द कर दिया गया।

3.138 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई): डब्ल्यूपीआई लेनदेन के प्रारम्भिक चरण के स्तर पर थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपाय है। डब्ल्यूपीआई की सूचकांक बास्केट में तीन प्रमुख समूहों नामतः प्राथमिक वस्तुएं,ईंधन और बिजली तथा निर्मित उत्पादों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ट्रैक की गयी कीमतें निर्मित उत्पादों के लिए पूर्व–फैक्टरी, मूल्य, कृषि वस्तुओं के लिए कृषि बाजार (मंडी) और खनिजों के लिए पूर्ण खानों की कीमतें है। डब्ल्यूपीआई बास्केट में शामिल प्रत्येक वस्तु को दिया जाने वाला अधिमान निवल आयात के लिए समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई बास्केट सेवाओं को कवर नहीं करती है। एफओडी, एनएसओ द्वारा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की ओर से संगठित क्षेत्र के 5905 विनिर्माण इकाइयों/कारखानों को कवर करते हुए मासिक आधार पर 6765 कोटेशन के लिए डेटा संग्रह/प्रेषण गतिविधियों की सुविधा दी जा रही है। डब्ल्यूपीआई के लिए वर्तमान आधार पर वर्ष 2011–12=100 है। मासिक रूप से डब्ल्यूपीआई डेटा को संकलित और जारी करने का उत्तरदायित्व आर्थिक सलाहकार कार्यालय का है।

3.139 डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष संशोधनः डब्ल्यूपीआई के आधार संशोधन के लिए वर्तमान डब्ल्यूपीआई श्रृंखला के अलावा अप्रैल 2017 से प्रति माह 5884 कोटेशन के लिए बैकलॉग मूल्य संग्रह एकत्र किया जा रहा है।

आयोजन योजना

3.140 एनएसएसओ पर मंत्रालय की योजना स्कीम 'क्षमता विकास' के एक उपघटक नामतः 'एनएसएसओ की सर्वेक्षण क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण' को कार्यान्वित करने का दायित्व है। इस उपघटक एससीडी के अंतर्गत, एनएसएसओ पाँच पूर्वोत्तर राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को एनएसएस के सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के लिए राज्य प्रतिदर्शों के साथ केन्द्रीय प्रतिदर्शों हेतु अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित क्षेत्र कार्य के बदले में सहायता अनुदान के रूप में निधियाँ जारी करता है।

3.141 'एनएसएसओ की आंकड़ा विधायन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत, अवसंरचना तैयार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास के अलावा, 10 वीं योजना के दौरान दो योजना केंद्रों नामतः समंक विधायन केंद्र, बंगलौर तथा समंक विधायन केंद्र अहमदाबाद में संस्थापित किए गए। इन दोनों समंक विधायन केंद्रों ने परिणामों को जारी करने और आंकड़ा विधायन की समयबद्धता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

3.142 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद/आवास का निर्माणः एफओडी के फील्ड कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का नियमित रूप से विकास और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–22 के दौरानः

(क) एसआरओ, खंडवा, मध्य प्रदेश में कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि क्रय करने के प्रस्ताव के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) एसआरओ, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के कार्यालय भवन का निर्माण।

(ग) एसआरओ, राजकोट, गुजरात के लिए भूमि की खरीद हेतु आंशिक भुगतान किया गया है।

(घ) क्षेत्रीय कार्यालय, एफओडी, एनएसओ, गुवाहाटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एसआरओ, राजकोट हेतु भूमि क्रय के लिए शेष भुगतान हेतु स्वीकृति आदेश दिया गया।

3.143 प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरणः क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) की तकनीकी जनशक्ति का क्षमता विकास और ज्ञान का विकास एक सतत प्रक्रिया है। एफओडी सभी छः जोनल कार्यालयों और कृषि सांख्यिकी विंग, फरीदाबाद में अपने आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों (जेडटीसी) के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करता है। वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण, क्षेत्र संकार्य प्रभाग ने ऑनलाइन प्रशिक्षण पद्धति को अपनाया। वर्ष 2021 –22 के दौरान, सामान्य प्रशासनिक मामलों पर प्रशिक्षण तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अलावा, सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण, एएसआई/एएसआई वेब पोर्टल, कृषि सांख्यिकी, यूएफएस जैसी विभिन्न तकनीकी स्कीमों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, प्रत्येक दौर की शुरुआत से पहले सर्वेक्षण के संचालन पर क्षेत्र के कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सर्वेक्षणः

3.144 एनएसओ जर्नल 'सर्वेक्षण' का 110वां और 111वां अंक संयुक्त रूप से सितंबर, 2021 में प्रकाशित किया गया । इस जर्नल में शासकीय सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर 4 अनुसंधान पत्र थे।

3.145 प्रकाशन के लिए दस्तावेजों को जमा करवाने हेतु संपादकीय सलाहकार बोर्ड (ईएबी) द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा की कड़ी प्रक्रिया के पश्चात् ही ईर्एबी द्वारा उसे अनुमोदन दिया जाता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर 'सर्वेक्षण' के विभिन्न अंक उपलब्ध करवाए गए हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग/नई पहलें

3.146 एनएसएस के 77वें दौर से सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण का डिजीटाइजेशन दिनांक 01 जनवरी, 2019 से

आरंभ किया गया। आईएसआई द्वारा तैयार किए गए वेब ब्राउज मॉडयूल के माध्यम से टेबलेट्स का प्रयोग कर फील्ड में डाटा कैप्चर किया जाता है। अंतर्निहित नियंत्रणों के माध्यम से फील्ड डाटा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए यह डाटा संचरण में लगने वाले समय को भी कम करता है।

3.147 वर्तमान में चल रहे यूएफएस चरणों (2017–2022) का क्षेत्रीय कार्य राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा तैयार मोबाइल/वेब एप्लीकेशनों के माध्यम से डिजीटाइजड फॉर्मेट में किया जा रहा है। ब्लॉक/वार्ड/अन्वेषक इकाईयां/कस्बों की सीमाएं क्वांटम भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर (क्यूजीआईएस) का प्रयोग करते हुए 'भुवन' पोर्टल से प्राप्त सेटेलाइट चित्रण पर खींची जायेगी। संरचनाओं के विभिन्न गुणों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और सेटेलाइट चित्रण पर लगाया जाता है। डिजीटल मोड में सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के संचालन के लिए प्रतिदर्श ढांचे के रुप में विशेष प्रयोग हेतु भुवन पोर्टल पर संबंधित विशेषताओं के साथ यूएफएस मैप की परिकल्पना की गई है। नई प्रक्रिया विकास के चरण में है।

3.148 एफओडी ने फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) (अनुसूची एएस 2.0) पर प्रतिदर्श जांच संबंधी आंकड़ों के संचरण हेतु पेपर–आधारित अनुसूची से ई–अनुसूची प्रणाली को अपनाया है। शुरू में, एनएसओ के पास उपलब्ध तकनीकी दक्षता के साथ एएस 2.0 के लिए इन–हाउस डाटा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है जो कि वर्ष 2018–19 के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाया गया था। क्षेत्र गणना (अनुसूची एएस 1.0), पर प्रतिदर्श जांच के लिए, जीएसएस (सामान्यीकृत सर्वेक्षण समाधान) प्लेटफॉर्म पर विकसित किए जा रहे एंड्राइड आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूर्णतया शुरू होने से पहले कुछ चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन किया जाना है।

ई–सर्वेक्षण उपकरण और सामान्यीकृत बहु–माडल एप्लीकेशन (ईसिग्मा)

3.149 सभी एनएसएस सर्वेक्षणों के लिए सामान्य सर्वेक्षण समाधान, डीक्यूएडी में बनाया जा रहा है। इसमें देश के प्रतिदर्श सर्वेक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की क्षमता है। एक ऐसा समाधान, जिसका (ईसिग्मा) ई–सर्वेक्षण उपकरण और सामान्यीकृत बहु–माडल एप्लीकेशन के रूप में संक्षिप्त नाम है, के पास न केवल रियल–टाइम डाटा मान्यकरण संबंधी विषय–क्षेत्र है अपितु पैरा डाटा की फार्म में संपूर्ण सर्वेक्षण अवधि के दौरान लेखा–परीक्षा सत्यापन और टाइम–स्टैम्प के साथ अक्षांश–देशांतर कैप्चर करने में समर्पित होगा। जटिल रूप से डिजाइन और सुव्यक्त ईसिग्मा अनिवार्य डेटा गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को दूर करेगा जो बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण डेटा के लिए अनिवार्य है। प्रारंभतः ईसिग्मा निम्नलिखित को शामिल करेगाः

(i) आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

(ii) अनिगमित गैर–कृषि क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई)

(iii) सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई)

(iv) एनएसएस 79वां दौर

(v) अन्य आगामी एनएसएस सर्वेक्षण

3.150 विकासशील एजेंसियां (डीए)/सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) पहले से ही डीक्यूएडी के साथ हैं और निर्धारित समय में प्रणाली का विकास करने, उसे जारी रखने तथा स्थिर रखने में सहयोग देंगे।

4. सांख्यिकीय सेवाएं

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

4.1 भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस), का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति–निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इनको समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, समन्वय, प्रबोधन और परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में 1 नवम्बर, 1961 को किया गया था।

4.2 विभिन्न ग्रेडों पर आईएसएस के पदों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों में इस उद्देश्य के साथ वितरित किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों में उचित सांख्यिकीय सेट–अप हो जिससे वे वास्तविक, वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध करा सकें: (क) नीति–निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी (समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन और परिणाम/अंतिम मूल्यांकन सहित) और (ख) निर्णय करने के लिए विश्लेषण कर सकें ।

4.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है । मंत्रालय भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामलों को देखता है। तथापि, आईएसएस अधिकारियों के दिन–प्रति–दिन के प्रशासनिक मामलों की देखभाल उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है जिनमें कि वे तैनात होते हैं।

4.4 इस सेवा की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारतीय सांख्यिकीय सेवा, फीडर संवर्ग अर्थात् अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) से प्रोन्नति तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के आमेलन के माध्यम से की जाती है। गत वर्षों में प्रासंगिकता व पदों की संख्या के दृष्टिकोण से इस सेवा में विकास हुआ है। आरंभिक गठन और वर्तमान में विभिन्न ग्रेडों में पदों का आबंटन इस प्रकार है:

ग्रेड	संस्वीकृत पद	30.11.2021 के अनुसार संवर्ग संख्या बल	
		तैनात	रिक्ति
उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस (एचएजी)	05	05	-
उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	18	17	01
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	136	105	31
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) और एनएफएसजी	176 #	77	99
वरिष्ठ समयमान (एसटीएस)	179	228**	-49
कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)	300*	162	138
कुल	**814**	**594**	**220**

\# इनमें से, 30: सीनियर ड्यूटी के पद (नामतः वरिष्ठ समयमान और उसके ऊपर के पद) एनएफएसजी में रखे गए हैं ।

* अवकाश, प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु रखे गए 50 पदों सहित ।

* भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एसटीएस के 54 पदों को अस्थायी रूप से जेएजी में अवनति कर दिया गया है।

4.5 इस सेवा में सीधी भर्ती की प्रथम परीक्षा वर्ष 1967 में आयोजित की गई थी तथा इस सेवा के प्रथम बैच की नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई थी। अभी तक, सीधी भर्ती के 42 बैचों ने सेवा को ज्वाइन किया है । 30 अधिकारियों के नवीनतम बैच ने अगस्त 2020 को ज्वाइन कर लिया है।

4.6 आईएसएस नियमावली, 2016 में कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान है। इस सेवा में कनिष्ठ समयमान के अतिरिक्त और किसी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती है। अन्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं ।

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा

4.7 सरकार द्वारा निर्णय लेने को सुसाध्य बनाने, नीतियां तैयार करने और आयोजना बनाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करने में सहायता करने के लिए सांख्यिकी के मुख्य विनियमों के साथ अर्हक कर्मिकों के संवर्ग के रूप में दिनांक 12 फरवरी, 2002 को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) का गठन किया गया था ।

4.8 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस), सांख्यिकीय कार्य पदों का समूह–ख केन्द्रीय सिविल सेवा है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के लिए फीडर कैडर है । इसमें वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) समूह–ख राजपत्रित तथा कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) (ग्रुप ख अराजपत्रित) शामिल हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का वेतनमान क्रमशः पे मैट्रिक्स के लेवल–7 और कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का लेवल–6 है। एसएसएस संवर्ग के अधिकारी पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्यरत हैं।

4.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी है । मंत्रालय इस सेवा में, जिसमें भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं, की देख–रेख करता है। तथापि, एसएसएस अधिकारियों के दिन–प्रति–दिन के प्रशासनिक मामलों की उन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों जिनमें ये अधिकारी तैनात हैं, द्वारा देख–रेख की जाती है।

4.10 एसएसएस नियम, 2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के 90 प्रतिशत पदों पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा अर्थात कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, जबकि 10 प्रतिशत पद फीडर पद धारकों पे मेट्रिक्स लेवल–4 और लेवल–5 के सांख्यिकीय कार्यकारी पद से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है । अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के भर्ती नियमावली के अनुसार, सेवा में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के स्तर पर कोई सीधी भर्ती नहीं है।

30.11.2021 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत पदों की संख्या तथा पद धारकों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	पदनाम	2013 के आरआर के अनुसार एसएसएस के स्वीकृत पद	30.11.2021 के अनुसार संवर्ग संख्या बल	
			तैनात	रिक्ती
1.	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	1754	1885*	1814**
2.	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	2189	2212*	1502**
	कुल क्षमता	**3943**	**4097***	**3316**

* 'एसएसएस के भर्ती नियम, 2013 की सुसंगत अनुसूची में स्वीकृत पदों और वर्तमान पदों में अंतर एसएसएस में पदों के आगामी पद–समाप्ति/पदावनति/संवर्गीकरण के कारण हैं। संशोधित आरआर अभी जारी किया जाना है।

** वे अधिकारी भी शामिल किए गए हैं जो एसएसएस में पूर्ण रूप से नियुक्त नहीं हैं लेकिन एसएसएस पदों पर कार्य कर रहे है।

4.11 वर्ष 2021 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधि क्षेत्र शुरू किए गए:

- एसएसएस संवर्ग में नए भर्ती हुए कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (नस्टा), ग्रेटर नोएडा के माध्यम से प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) आयोजित किया गया।

- स्मार्ट परफोरमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विंडों (स्पेरो) पर एसएसएस अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रक्रिया कार्यान्वित की गई और यह परिचालन में है ।

- वर्ष 2021 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग (सीजीएलई–2018) के माध्यम से जेएसओ के पद पर नियुक्त 261 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए ।

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, एसएसएस संवर्ग में संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एमएसीपी)/सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एसीपी) स्कीम कार्यान्वित की गई तथा नियमित रूप से इसकी निगरानी की जा रही है। वर्ष के दौरान, एसएसएस के लगभग 114 अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार स्तर 7,8 और 9 के अनुरूप प्रथम, द्वितीय और तृतीय एमएसीपी प्रदान की गई है ।

- परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, 354 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों की सेवा का स्थायीकरण विचाराधीन है ।

5. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

5.1 उन्नीस सौ तीस के दशक के प्रारम्भ में भारत में सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी के उत्कर्ष की आवश्यकता को महसूस करते हुए पथप्रदर्शक के रूप में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की पहल और प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अस्तित्व में आया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का रजिस्ट्रीकरण पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के अधीन एक अलाभकारी विद्या प्रसारक सोसाइटी के रूप में दिनाक 28 अप्रैल 1932 को किया गया। प्रारम्भ से ही संस्थान अपने तरीके से अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने लगा । जब संस्थान ने अपने अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और परियोजना कार्यकलापों का विस्तार किया तो इसे राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिलने लगी। सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय कार्य में संस्थान के उत्कृष्ट योगदान के कारण उसे संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम (1959 का 57) द्वारा "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई जिससे संस्थान को सांख्यिकी की परीक्षा आयोजित करने और डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार मिला । महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1959 में स्वयं उक्त बिल संसद में पेश किया । इसके परिणामस्वरूप डिग्री पाठ्यक्रम यथा–सांख्यिकी स्नातक (बी.स्टैट) और सांख्यिकी निष्णात (एम. स्टैट) तथा एसक्यूसी एवं ओआर और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जून 1960 से शुरू किए गए। उसी वर्ष से संस्थान को पीएच.डी./डी.एससी.डिग्री प्रदान करने के लिए भी सशक्त किया गया। बाद में कंप्यूटर विज्ञान (सी एस) और गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान (क्यूआरओआर) में प्रौद्योगिकी निष्णात (एम. टेक) पाठ्यक्रम भी चलाए गए।

5.2 इसके क्षेत्र का और विस्तार किया गया तथा संस्थान को संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 38) द्वारा न केवल सांख्यिकी बल्कि गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित अन्य विषयों में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया जिससे न केवल सांख्यिकी/गणित में बल्कि कंप्यूटर एवं संचार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, भौतिकी एवं पृथ्वी विज्ञान, जैविक विज्ञान, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्यकलाप को काफी बढ़ावा मिला । वर्षों से संस्थान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं विधि के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। संस्थान द्वारा वर्ष 1933 से प्रकाशित की जाने वाली "सांख्यिकी की भारतीय पत्रिका– सांख्य" की गणना अभी भी संसार की एक अग्रणी सांख्यिकीय पत्रिका के रूप में की जाती है। सांख्यिकीय सिद्धान्त के कई क्षेत्रों, विशेषकर बहुविध विश्लेषण, नमूना सर्वेक्षण एवं प्रयोग के डिजाइन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पुरोगामी अनुसंधान कार्य किए गए । उन्नीस सौ चालीस के दशक में संस्थान में कार्यग्रहण करनेवाले प्रोफेसर सी०आर० राव एवं अन्य द्वारा ऐसे कार्यकलापों को और मजबूती प्रदान की गई तथा नई दिशाओं की खोज की गई और वह परंपरा अभी भी जारी है। अर्थशास्त्र में अनुसंधान को उस समय काफी बढ़ावा मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में प्रोफेसर महालनोबिस और संस्थान को देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा। प्रोफेसर महालनोबिस के नेतृत्व में संस्थान द्वारा सौंपे गए योजना मॉडल सहित "प्रारूप" को अभी भी भारत की आर्थिक आयोजना में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

5.3 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में संस्थान की समृद्ध परंपरा रही है। वर्ष 1953 में संस्थान में एक छोटे एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया गया और उसका निर्माण किया गया। वर्ष 1956 में संस्थान ने यूनाइटेड किंगडम से एक एचईसी–2एम मशीन अर्जित किया जो भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर था । साठ के दशक के प्रारम्भ में संस्थान ने जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से आईएसआईजेयू–1 नामक एक पूर्णतः ट्रांजिस्टरीकृत डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन बनाने, उसे विकसित करने एवं उसके निर्माण का कार्य हाथ में

लिया जिसे वर्ष 1966 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री एम. सी. चागला, भारत सरकार द्वारा चालू किया गया । पिछले छह दशकों से संस्थान के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च कोटि के अनुसंधान, प्रकाशन एवं विकास का कार्य किया और उनके अथक प्रयासों ने संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पटल पर अग्रभाग में ला खड़ा किया है।

5.4 भारत में सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) आंदोलन का आरंभ करने में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने नवंबर 1947 में एसक्यूसी के जनक प्रोफेसर डब्ल्यू.ए. श्योहार्ट और बाद में डब्ल्यू.ई. डेमिंग, डॉ. एलिस आर. ओट, डॉ. एच.सी.टिप्पेट और जेनिशी तागुशी जैसे अन्य विशेषज्ञों के भारत दौरे का आयोजन कर अग्रणी भूमिका निभाई। फिर संस्थान के एसक्यूसी को बढ़ावा देने का कार्य धीरे–धीरे भारत के सभी औद्योगिक केन्द्रों तक शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाओं जैसे व्यापक कार्यक्रम के अधीन फैल गया। संस्थान भारत की "गुणवत्ता परिषद्" का सदस्य भी बन गया।

5.5 शुरुआती दिनों से, संस्थान दुनिया भर से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श कर रहा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने कई महीनों या उससे भी अधिक दिनों तक संस्थान में कार्य किया है। आधुनिक सांख्यिकी के एक पथप्रदर्शक सर रोनाल्ड ए० फिशर एक नियमित अतिथि थे जिन्होंने संस्थान को काफी सहारा दिया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आनुवंशिकीविद् प्रोफेसर जे.बी.एस. हाल्डेन सन् 1957 से कई वर्षों तक संकाय सदस्य रहे। प्रख्यात गणितज्ञ नोर्बर्ट वीनर ने दो बार, 1954 और फिर 1955–56 में संस्थान का दौरा किया। अन्य शैक्षणिक व्यक्तित्व जिन्होंने संस्थान के विकास को प्रभावित किया उनमें शामिल हैं – हेरोल्ड होटलिंग, फ्रैंक येट्स, हर्मन वॉल्ड, एडविन हार्पर (जूनियर) और एच क्रेमर, पीटर जे. बिकेल जैसे सांख्यिकीविद, ए.एन. कोल्मोगोरोव, यू. वी. लिनिक, जे.एल. दूब और फिर वॉन एफ.आर.जोन्स जैसे गणितज्ञ वाल्टर श्योहार्ट और जी तागुची जैसे सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञय साइमन कुज्नेट, पॉल ए बारां, जॉन रॉबिन्सन, जेन टिंबर्जेन, निकोलस काल्डोर, आर.एम. गुडविन, डेविड कॉक्स, रूथ ग्लास एवं जे.के. गालब्रेथ तथा हाल के अमर्त्य के. सेन, रॉबर्ट औमान, लोत्फी ए. जादेह, जोसेफ ई. स्टिग्लिज, जेम्स ए मिर्लीस, एरिक स्टार्क मस्किन, ईआई–इची नेगिशी, अदा योनाथ, डेविड जोनाथन ग्रोस्स, जोअकिम फ्रैंक जैसे अर्थशास्त्री, पामेला रॉबिन्सन जैसे भूविज्ञानी; एन. डब्ल्यू पिरी जैसे जीव रसायनज्ञानी और डी. कॉस्टिक जैसे भाषाविद् । हमेशा से संस्थान ने रोनाल्ड फिशर की इस उक्ति पर चलने का प्रयास किया है कि सांख्यिकी सभी वैज्ञानिक प्रयासों के प्रति अपनी अंतरंग प्रासंगिकता की दृष्टि से एक "प्रमुख प्रौद्योगिकी" है जिसमें प्रयोग, माप और नमूना से पूर्णयोग का निष्कर्ष शामिल है।

आईएसआई, कोलकाता परिसर का प्रवेश द्वार

दिनांक 26 नवंबर, 2021 को संविधान दिवस का पालन

दिनांक 01 नवंबर, 2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह

शिक्षण और प्रशिक्षण प्रभाग

5.6 शैक्षणिक सत्र 2021–2022 के दौरान कुल 14666 उम्मीदवारों ने दाखिले के लिए आवेदन किया और उन्हें संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए लिखित चयन परीक्षा हेतु बुलाया गया यथा– सांख्यिकी स्नातक (प्रतिष्ठा); गणित स्नातक (प्रतिष्ठा); सांख्यिकी निष्णातय गणित निष्णात मात्रात्मक अर्थशास्त्र

में विज्ञान निष्णात, गुणवत्ता प्रबंधन विज्ञान में विज्ञान निष्णात, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में विज्ञान निष्णात, कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी निष्णात; गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान में प्रौद्योगिकी निष्णात सांख्यिकीय विधि एवं वैश्लेषिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, व्यवसाय वैश्लेषिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञानय गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान, भौतिकी,विकास अध्ययन, जैविक विज्ञान (कृषि एवं पारिस्थितिक अनुसंधान) और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अनुसंधान शिक्षावृत्ति। इस शैक्षणिक सत्र में दो चरणों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। सभी डिग्री, डिप्लोमा और शोध पाठ्यक्रमों (सांख्यिकी में अनुसंधान पाठ्यक्रम को छोड़कर) के लिए प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई, 2021 को 35 विभिन्न केंद्रों पर और सांख्यिकी में अनुसंधान पाठ्यक्रम की परीक्षा 25 जुलाई, 2021 को 6 विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। कुल 9486 उम्मीदवार अंत में प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। गैर–अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए लिखित परीक्षा में कुल 377 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और उन्हें प्रवेश दिया गया। अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए लिखित परीक्षा में कुल 126 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अकादमिक रिकॉर्ड में प्रदर्शन के आधार पर, 59 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश दिए गए कुल 436 उम्मीदवारों में से, 421 उम्मीदवारों ने विभिन्न अनुसंधान एवं गैर–अनुसंधान पाठ्यक्रमों की समीक्षाधींन शैक्षणिक सत्र के तहत प्रवेश की पेशकश की गई।

5.7 व्यवसाय विश्लेषिकी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीबीए) आईएसआई, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम कलकत्ता द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए जाने वाला दो साल पूर्णकालिक डिप्लोमा कार्यक्रम है। पीजीडीबीए कार्यक्रम (2021–23) में सीटों की संख्या 63 है। 3762 उम्मीदवारों ने पीजीडीबीए प्रवेश 2021 के लिए आवेदन किया था। 3762 उम्मीदवारों में से 1936 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 645 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया था और कुल 60 छात्रों ने कार्यक्रम में दाखिला लिया था।

5.8 नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार की बढ़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुये, सभी नियमित पाठ्यक्रमों के लिए 2019–2020 शैक्षणिक सत्र को अगस्त 2021 तक विस्तारित किया गया। शिक्षण और मूल्यांकन कार्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के आधार पर करना पड़ा। शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए ऑन–लाइन कक्षाएं 20 सितंबर 2021 से शुरू हुईं एवं कुछेक एम. टेक. पाठ्यक्रम 4 अक्टूबर, 2021 से शुरू किए गए थे।

5.9 दिनांक 30 नवंबर, 2021 तक संस्थान के विभिन्न संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 26 प्रशिक्षुओं ने संस्थान की विभिन्न यूनिटों अर्थात एईआरयू, सीवीपीआरयू, ईसीएसयू, ईआरयू, जीएसयू और एमआईयू में चार सप्ताह/छह सप्ताह/दो महीने/तीन महीने/चार महीने और छह महीने का परियोजना प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी)

5.10 अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी) की स्थापना सन् 1950 में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की पहल पर अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) के बीच एक समझौते के माध्यम से कोलकाता में खोला गया, वर्तमान में यह केंद्र भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चलाया जाता है। यह केंद्र एक निदेशक मण्डल के अधीन कार्य करता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एस. पी. मुखर्जी हैं। इस केंद्र का उद्देश्य मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एवं अफ्रीका के राष्ट्रमंडल देशों से चयनित प्रतिभागियों के लिए विभिन्न स्तरों पर सैद्धांतिक

दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को आइसेक द्वारा ई–आइटेक पाठ्यक्रम का समापन अनुसंधान कार्य

और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्राथमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकी (शीर्षक **सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं अनुप्रयोग**) में 10 महीने का एक नियमित पाठ्यक्रम है जिसके परिणामस्वरूप सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, अलग–अलग विषयों पर अलग–अलग अवधि के विशेष पाठ्यक्रम किसी उक्त देश के अनुरोध पर भी आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021–22) में कोविड–19 महामारी के कारण 10 माह का नियमित पाठ्यक्रम संचालित करना संभव नहीं हो पाया है। हालाँकि, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमइए) के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत दो अल्पकालिक विशेषीकृत ई–आईटीईसी पाठ्यक्रम दिनांक 30 अगस्त से 24 सितंबर, 2021 के दौरान "नीति नियोजकों के लिए वृहद डेटा विश्लेषण" पर एक आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु एवं दूसरा कार्यक्रम दिनांक 17–29 जनवरी, 2021 के दौरान "इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के लिए औद्योगिक प्रयोग – इसके अभिकल्प और विश्लेषण" पर आयोजित किया गया।

5.11 संस्थान के अनुसंधान, विकास और परामर्श गतिविधियों को निम्नलिखित शैक्षणिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया:

सैद्धांतिक सांख्यिकी और गणितय अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय, कंप्यूटर और संचार विज्ञान, भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान; जैविक विज्ञान; सामाजिक विज्ञान एवं सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान। उपरोक्त के अतिरिक्त पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान प्रभाग तथा कंप्यूटर एवं सांख्यिकीय सेवा केंद्र, संस्थान को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

5.12 दो राष्ट्रीय सुविधा केंद्र हैं यथा– सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान; एक राष्ट्रीय सुविधा तथा आर.सी. बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलोजी एंड सिक्यूरिटी। "सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्रः एक राष्ट्रीय दक्षता" संस्थान में सॉफ्ट कंप्यूटिंग और मशीन इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के साथ कार्य कर रहा है। आर.सी. बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी राष्ट्र को क्रिप्टोलॉजी और साइबर सुरक्षा में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधा प्रदान करता है।

5.13 उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान में दो अनुसंधान केंद्र भी हैं और वे हैं, दिल्ली केंद्र में जलवायु, खाद्य, ऊर्जा और पर्यावरण अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र (सीइसीएफइइ) और मुख्यालय कोलकाता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग केंद्र (सीएआईएमएल)। कोलकाता मुख्यालय में एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (टीआइएच) भी

काम कर रहा है। सीईसी एफईई केंद्र (सीइसीएफइइ) का कार्य भारत में इन मुद्दों पर काम करने वाले विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं के साथ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के अर्थशास्त्र पर उच्च गुणवत्ता वाली नीति–प्रासंगिक अनुसंधान का संक्रियात्मक एवं एक नेटवर्क का निर्माण करना है, जबकि द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग (सीएआइएमएल) भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसहब बनने के लिए प्रयासरत है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों को सबसे अधिक लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से एआई के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के विकास पर कार्य करेगा। केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा साइंस (डीएस) और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय पैन इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अनुसंधान और शिक्षण की बहु–अनुशासनात्मक प्रकृति का लाभ उठाएगा। डीएसटी, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित अंतः विषयक साइबर भौतिक प्रणाली (एनएम–आईसीपीएस) पर राष्ट्रीय मिशन के तहत भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2020 को एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र शुरू किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य डेटा विज्ञान में चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकों और उपकरणों को विकसित करना है। इसका मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक रूप से संसाधित करना और विभिन्न डोमेन से प्राप्त डेटा से पूरी जानकारी एकत्र करना है।

5.14 मुख्यालय में स्थित कंप्यूटर और सांख्यिकीय सेवा केंद्र (सीएसएससी) संस्थान के आईटी बुनियादी संरचना के प्रबंधन / रखरखाव के प्रति उत्तरदायी है। संस्थान के आईटी बुनियादी संरचना में सर्वर का वर्चुअलाइजेशन (क्लाउड), सॉफ्टवेयर (वीएमवेयर (एक्सीऔर वीसेंटर), मैटलैब, मैथमैटिका, आर्कगिस, आर आदि,, जीपीयू सर्वर, नेटवर्क (वायर्ड और वाई–फाई दोनों), नेटवर्क और इंटरनेट शामिल हैं। एनकेएन द्वारा प्रदान किए गए जीबीपीएस कनेक्शन की मदद से सुरक्षा, आईपी टेलीफोन, वीबेक्स, ई–लाइब्रेरी और इंटरनेट सुविधाएं। यह वीसी एंडपॉइंट, पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों से भागीदारी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान करता है। सीएसएससी में एक स्मार्ट डिस्प्ले है, जिसका उपयोग सम्मेलनों और कक्षाओं सहित विभिन्न प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है।

बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं

5.15 सैद्धांतिक और प्रायोगिक योजना अनुसंधान के अलावा संस्थान ने निम्नलिखित सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की लगभग एक सौ पचपन विभिन्न बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं पर कार्य किया, यथा– सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया; टोक्यो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बेबी सेंसर, नॉर्वेय यूनिवर्सिटी कॉलेज ओस्टफोल्ड, नॉर्वे रसियन फाउंडेशन फॉर बेसिक रिसर्च (आरएफबीआर), मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यूके; पर्यावरण विकास पहल (ईएफडी), स्वीडन; अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी), नेपाल; द नेचर कंजरवेंसी (टीएनसी), यूएसए आईबीएम, यूएसएय आईडब्ल्यूडब्ल्यू एजीई–आईएफएमआर; यूनिसेफ; यूनेस्को; भारत–अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम, इंडो–फ्रेंच अनुप्रयुक्त गणित केंद्र (आईएफसीएएम); भारत इलेक्ट्रॉनिक्सय राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, एम.ओ.एस. और पीआई, भारत सरकार एनएसएसओ (एफओडी) एमओएस एंड पीआई, भारत सरकार विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), डीएसटी, भारत सरकार डीएएडी–डीएसटी, भारत सरकार; डीएसटी (भारत–उज्बेक संयुक्त प्रस्ताव कार्य); जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय, भारत सरकार; विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार; भारतीय नौसेना (परामर्श परियोजना), भारत सरकार; इसरो; डीआरडीओ; सेफिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई); भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत सरकार; रक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार वित्त विभाग (राजस्व) पश्चिम बंगाल सरकार; एमओएल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; सूचना विज्ञान प्रकाशन लिमिटेड की साइट टेक्नोलॉजीज इंक.; एडुप्लसनो, पुणेय शोट–काशा, गुजरात भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई); जनसंख्या परिषद परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड; टाटा इस्पात; एनएआई, गन एंड शेल फैक्ट्री, काशीपुर, कोलकाता; इलेक्ट्रोस्टील

कास्टिंग्स लिमिटेडय इंटेल कॉर्पोरेशनय एल एंड टी – मध; यूपीएल लिमिटेड; हेवलेट पैकार्ड इंकय गूगलय कार्टरपिलर इंडियाय एसईजी ऑटोमोटिवय फिएट, पुणेय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेजय आईटीसी लिमिटेड; इत्यादि।

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों आदि का आयोजन

5.16 वर्ष के दौरान संस्थान ने भारत और विदेशों से प्रमुख शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों की भागीदारी के साथ कई संगोष्ठी, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों का आयोजन किया। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

- दिनांक 14 – 16 अप्रैल, 07 – 09 जुलाई, 22 – 24 सितंबर, 10 – 12 नवंबर, 2021, 19–21 जनवरी और के दौरान "सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट", पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, दिल्ली।

- दिनांक 15 अप्रैल, 2021 को "डेटा एनालिटिक्स हेतु हैंड्सऑन डीप लर्निंग" पर वर्चुअल संगोष्ठी, प्रौद्योगिकी नवाचार हब, कोलकाता।

- दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को "अनौपचारिक क्षेत्र जीडीपी अनुमान वाया कलमन फिल्टर" पर वर्चुअल संगोष्ठी, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 21 अप्रैल, 2021 को "क्वांटम क्वेरी–टू–कम्युनिकेशन सिमुलेशन और समरूपता की भूमिका" पर वर्चुअल संगोष्ठी, उन्नत कंप्यूटिंग और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को "द सोशल कॉस्ट्स ऑफ कीस्टोन स्पीशीज कोलैप्सरू एविडेंस फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया" पर वर्चुअल संगोष्ठी, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट, फूड, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, दिल्ली ।

- दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को "अपने शोध को प्रकाशित करने के बारे में अधिक खोजें", पर वर्चुअल कार्यशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, कोलकाता।

- दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को "उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं के लिए सफल प्रस्तुतियाँ" पर वर्चुअल कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान प्रभाग, कोलकाता।

- अप्रैल–जून 2021 के दौरान "मनोविज्ञान में बहुभिन्नरूपी सांख्यिकी पर अनुसंधान इंटर्नशिप" पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम, मनोविज्ञान अनुसंधान यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 03 मई, 2021 को "डिफरेंशियलिटी एंड सब डिफरेंशियल ऑफ सिम्प्लेक्टिक आइजेनवैल्यूज", पर कार्यशाला, सांख्य–गणित यूनिट, दिल्ली।

- दिनांक 03–22 मई, 2021 के दौरान "सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट" पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, हैदराबाद ।

- दिनांक 05 मई, 2021 को "मिलीमीटर वेव डी2डी संचार में गतिशील बाधाओं की उपस्थिति में स्थानीय रिले चयन" पर वर्चुअल संगोष्ठी, उन्नत कंप्यूटिंग और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 06–10 मई, 2021 के दौरान "डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर स्कूल 2021 (डीएलएआइएसएस);, पर वर्चुअल कार्यशाला प्रौद्योगिकी नवाचार हब, कोलकाता ।

- दिनांक 03–05 जून, 2021 के दौरान सांख्यिकी विभाग (पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय), आईएआई और टीसीजी क्रेस्ट के सहयोग से "क्रिप्टोलॉजी", पर वर्चुअल कार्यशाला, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 14 जून, 2021 को "लोकली डिपेंडेंट नेचुरल इमेज प्रायर्स फॉर नॉन–ब्लाइंड एंड ब्लाइंड इमेज डिकॉनवोल्यूशन" पर वर्चुअल संगोष्ठी, सांख्य–गणित यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 21–26 जून, 2021 के दौरान "स्टोकेस्टिक एनालिसिस एंड हरमाइट सोबोलेव स्पेसेस" पर वर्चुअल रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मेलन, सांख्य–गणित यूनिट, बैंगलोर, एवं विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा आंशिक रूप से समर्थित।

- दिनांक 24–25 जून, 2021 के दौरान आईईईई बैंगलोर सेक्शन जीआरएसएस चौप्टर के सहयोग से ष्स्थानिक डेटा विज्ञानष् पर वर्चुअल कार्यशाला, सिस्टम साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स यूनिट, बैंगलोर ।

- दिनांक 24–26 जून, 2021 के दौरान एडमस विश्वविद्यालय, कोलकाता में "मनोचिकित्सक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपीरू सिद्धांत और अनुप्रयोग", पर राष्ट्रीय कार्यशाला, मनोविज्ञान अनुसंधान यूनिट, कोलकाता, आयोजित की गई।

- दिनांक 27 जून – 01 जुलाई, 2021 के दौरान "वित्त में सांख्यिकीय विधियों", पर छठी कार्यशाला और सम्मेलन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, बंगलौर।

- दिनांक 18–24 जुलाई, 2021 के दौरान "द मेल बियर्ड एज ए क्यू फॉर पर्सिव्ड फेशियल अट्रैक्टिवनेस", मनोविज्ञान अनुसंधान यूनिट, कोलकाता पर मनोविज्ञान की 32वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, प्राग में आयोजित की गई।

- दिनांक 23–26 जुलाई, 2021 के दौरान "टी$_5$रू हैशिंग फाइव इनपुट्स विद थ्री कंप्रेशन कॉल्स", पर सम्मेलन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 26–30 जुलाई, 2021 के दौरान "सिक्स–सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एल एंड टी – माध", पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, मुंबई।

- दिनांक 06–08 और 20–22 अगस्त, 10–12 और 24–26 सितंबर, 8–10 और 29–31 अक्टूबर, 2021 के दौरान "बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग प्रोग्राम", पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, मुंबई ।

- दिनांक 10 अगस्त, 2021 को "भारतीय माल और सेवा कर परिषद में मतदान" पर वर्चुअल संगोष्ठी, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 11 अगस्त, 2021 को "गैर–परमाणु सी बीजगणित के लिए मीट्रिक अनुमान गुण" पर संगोष्ठी, सांख्य–गणित यूनिट, दिल्ली।

- दिनांक 23 अगस्त से 04 सितंबर, 2021 के दौरान "कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स में डेटा विश्लेषण" पर वर्चुअल कार्यशाला, प्रौद्योगिकी नवाचार हब, कोलकाता।

- अगस्त–अक्टूबर, 2021 के दौरान "मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधान इंटर्नशिप" पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम, मनोविज्ञान अनुसंधान यूनिट, कोलकाता ।

- दिनांक 09–10 सितंबर, 2021 के दौरान "मैक्सिमम ट्रिप लेंथ के साथ ट्रेवलिंग टूर्नामेंट प्रोब्लेम हेतु एक बेहतर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम" पर वर्चुअल सम्मेलन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता द्वारा लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित किया गया।

- दिनांक 09, 11, 16 और 18 सितंबर, 2021 के दौरान "वेक्टर बंडलों और विशेषता वर्गों" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांख्य–गणित यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 15–17 सितंबर, 2021 के दौरान मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के लिए "लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट", पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, दिल्ली ।

- दिनांक 27–30 सितंबर, (मॉड्यूल 1), 05–08 अक्टूबर, (मॉड्यूल 2), 23–26 नवंबर, (मॉड्यूल 3), 13–16 दिसंबर, 2021 (मॉड्यूल 4) के दौरान "बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च", पर वर्चुअल प्रमाणन कार्यक्रम, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, दिल्ली में आयोजित किया गया।

- दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 को "हाइड्रोफोबिक/हाइड्रोफिलिक कठोर आंतरिक कोर के साथ नरम कणों का इलेक्ट्रोफोरेटिक परिवहनरू एक सिंहावलोकन", पर संगोष्ठी, भौतिकी और अनुप्रयुक्त गणित यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को "दुनिया के सबसे बड़े प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम से अंतर पीढ़ीगत प्रभाव", पर वर्चुअल संगोष्ठी, अर्थशास्त्र और आयोजना यूनिट, दिल्ली ।

- दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को "भूकंप मापने का पैमाना", पर संगोष्ठी, सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान यूनिट, पूर्वोत्तर केंद्र, तेजपुर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर।

- दिनांक 23 अक्तूबर, 2021 को "इश्तियाकुल इस्लाम स्मारक व्याख्यान" पर संगोष्ठी, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, बैंगलोर ।

- दिनांक 12–13 नवंबर, 2021 के दौरान "घरेलू वायु प्रदूषण के समाधान के रूप में बिजली के चूल्हेः ग्रामीण भारत से साक्ष्य", जलवायु, खाद्य, ऊर्जा और पर्यावरण अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली द्वारा भारतीय चेयरशिप, ब्रिक्स के तत्वावधान में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ आयोजित सम्मेलन, 2021।

- दिनांक 13–15 नवंबर, 2021 के दौरान "जलवायु विज्ञान के लिए एआई और एमएल में हालिया प्रगति", पर भारत–अमेरिका वर्चुअल कार्यशाला प्रौद्योगिकी नवाचार हब, कोलकाता।

- दिनांक 15–18 नवंबर, 2021 के दौरान "15वां पर्यावरण विकास पहल (ईएफडी)" पर वर्चुअल सम्मेलन, जलवायु, खाद्य, ऊर्जा और पर्यावरण के अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली ।

- दिनांक 15 नवंबर, 2021 को "ऑड्स, रिस्क एंड सर्वाइवल रेशियो रिग्रेशन के साथ पर्यावरणीय बायोएसे का स्थानिक विश्लेषण", पर वर्चुअल संगोष्ठी, सांख्य–गणित यूनिट, कोलकाता।

- दिनांक 14–18 दिसंबर, 2021 के दौरान "अनुसंधान पद्धति में सांख्यिकीय तकनीक", पर आयोजित वर्चुअल कार्यशाला, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, मुंबई।

- दिनांक 15–18 दिसंबर, 2021 के दौरान "पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन इंटेलिजेंस (पीआरआरइएमआइ 2021)" पर आयोजित 9वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यंत्र आसूचना यूनिट, कोलकाता।

संस्थान के प्रकाशन

5.17 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के एक आधिकारिक प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रिका सांख्यकी नींव प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस ने 1932 में डाली और उनके संपादकत्व में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। यह संभाव्यता, गणितीय सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मूल शोध लेख के लिए समर्पित है। उपरोक्त क्षेत्रों में समीक्षा और वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा लेख भी इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। सांख्य में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत लेख की स्वीकृति के लिए एक कठोर समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया है। संभाव्यता, सैद्धांतिक सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी पर कई मौलिक लेख सांख्य में प्रकाशित किए गए हैं । यह पत्रिका दो अलग सीरीज़ में प्रकाशित होती है – सिरीज 'ए' और सिरीज 'बी'। प्रतिवर्ष फरवरी और अगस्त में प्रकाशित होने वाले सीरीज 'ए' में संभाव्यता और सैद्धांतिक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है, जबकि प्रतिवर्ष मई और नवंबर में प्रकाशित होने वाले सीरीज 'बी' में अनुप्रयुक्त और अंतःविषयक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है। 2010 के प्रारंभ से, संस्थान स्प्रिंगर के साथ संख्या के अंतरराष्ट्रीय संस्करण को प्रिंट करने और विपणन करने के लिए दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में सहयोग कर रहा है। संपादकीय प्रणाली अब इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। सांख्य के हर संस्करण के लेखों की निः शुल्क पहुँच संचित वेबसाइट (**sankhya.isical.ac.in**) के माध्यम से उपलब्ध है।

5.18 प्रोफेसर सीआर राव के सम्मान में श्रृंखला ए (खंड 83, अंक 2) में प्रोफेसर सौमेंद्र लाहिरी द्वारा संपादित एक विशेष अंक अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रृंखला बी (खंड 83, अंक 1 और 2) में दो नियमित अंक मई और नवंबर 2021 में प्रकाशित किए गए थे। श्रृंखला ए में एक और नियमित अंक (खंड 84, अंक 1) सामान्य पाठ्यक्रम में फरवरी 2022 में प्रकाशन में आएगा। प्रोफेसर सौरभ घोष और सोनाली बसु द्वारा श्रृंखला बी में संपादित एक विशेष अंक में प्रोफेसर सीआर राव के सम्मान भी मार्च 2022 के भीतर प्रकाशित होने की आशा है।

वैज्ञानिक लेख और प्रकाशन

5.19 वर्ष के दौरान लगभग छः सौ उन्नीस वैज्ञानिक लेख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए।

विदेश में वैज्ञानिक कार्य

5.20 संस्थान के दस वैज्ञानिकों ने या तो आमंत्रण पर या सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का दौरा किया अथवा वर्चुअल रूप में उपस्थित हुए। उनमें से अधिकांश ने वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत किए और उन संगोष्ठी और सम्मेलनों में व्याख्यान दिए। इनके प्रतिनिधि देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन, इटली, कोरिया, लक्जेम्बर्ग, पोलैंड,सिंगापुर, स्पेन, यूएसए हैं।

अभ्यागत वैज्ञानिकगण

5.21 कनाडा, हांगकांग, नीदरलैंड, स्वीडन, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत से बावन (52) वैज्ञानिकों ने संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में वर्चुअल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने संस्थान के सहयोगात्मक अनुसंधान, शिक्षण और अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों में भी सहभागिता दर्ज की ।

दिनांक 22 सितंबर, 2021 को डॉ. के सुब्रमण्यम, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, का आईएसआई परिभ्रमण

आईएसआई वैज्ञानिकों का सम्मान

5.22 संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा बनाए रखे गए अनुसंधान के उच्च स्तर और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की प्रशंसा और मान्यता के रूप में कई संकाय सदस्यों को विश्व खाद्य पुरस्कार, आयोवा, यूएसएय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए); इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आइएनएइ); राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी एनएएएस); दस्तावेज विश्लेषण और मान्यता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आइसीडीएआर); एशिया–पैसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन (एएआइए); इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) जियोसाइंस एंड रिमोट सेंसिंग सोसाइटी (जीआरएसएस) सोसाइटी; सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थानय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी); ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के संगठनों द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रशंसा, फैलोशिप प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान/निकायों द्वारा उनकी कई समितियों/संपादकीय बोर्ड आदि में अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य संपादक, संपादक के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनमें से, संकाय सदस्यों द्वारा अर्जित सबसे उल्लेखनीय मान्यताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

- डॉ. किरणमय दास को प्रो. सी.आर.राव राष्ट्रीय युवा सांख्यिकीविद् पुरस्कार, 2021 से सम्मानित किया गया है।

- प्रो. बिमल कुमार रॉय को साइबर सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।

- प्रो. संघमित्रा बंद्योपाध्याय को लीडरशिप इन इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस, कलकत्ता, 2021 केटेगरी में प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- डॉ. त्रिदीब कुमार मंडल को युवा वैज्ञानिक, 2021 के लिए आई एन एस ए (आइएनएसए) पदक प्राप्त हुआ है।

- डॉ. आशीष कुमार चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित पी.सी. गणित और सांख्यिकी और इसके संबद्ध विषयों के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा महालनोबिस पुरस्कार, 2020।

- प्रो. अरूप बोस को उनके प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय योगदान, 2020 की मान्यता के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा प्रशांत चंद्र महालनोबिस पदक से सम्मानित किया गया है ।

- डॉ. मलय भट्टाचार्य को 'एआई फॉर सोशल गुड' में इम्पैक्ट स्कॉलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया ।

- दस्तावेज विश्लेषण और मान्यता (आईसीडीएआर) 2021 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा डॉ. उज्ज्वल भट्टाचार्य को उत्कृष्ट समीक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- प्रो. सुष्मिता मित्रा को द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज (टीडब्ल्यूएएस) और जे.सी. बोस नेशनल फेलोशिप द्वारा फेलो के रूप में चुना गया है ।

- प्रो. शिवा आथ्रेया को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आएनएसए) का फेलो चुना गया है।

- डॉ. शांतनु के. माइति को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एल्सेवियर बीवी और प्लोस बायोलॉजी फॉर डेटाबेस के सहयोग से 2021 में 'विश्व के शीर्ष 2: वैज्ञानिकों' में सूचीबद्ध किया गया है।

- प्रो. शंकर के पाल को एआईसीटीई के प्रतिष्ठित चेयर प्रोफेसर और निर्वाचित फेलो एशिया–पैसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन (एएआईए) चुना गया।

- प्रो. अरुणाभ गोस्वामी को कृषि–नैनो–जैव प्रौद्योगिकी पर अग्रणी कार्य हेतु राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा फेलो के रूप में चुना गया।

- प्रो. शिवा आथ्रेया को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) का फेलो चुना गया है।

- प्रो. उमापद पाल को अनुसंधान योगदान के लिए एशिया–पैसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

एसोसिएशन (एएआईए) का फेलो चुना गया।

- प्रो. सुष्मिता सुर–कोले को कंप्यूटिंग सिस्टम के डिजाइन ऑटोमेशन के लिए एल्गोरिदम के लिए इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आईएनएई) द्वारा फेलो चुना गया।

- डॉ. ऋतुपर्णा सेन को व्यवसाय और उद्योग में एप्लाइड स्टोचस्टिक मॉडल, 2021–24 का संपादक चुना गया है।

- प्रोफेसर आशीष घोष को रिसर्च रिपोर्ट्स इन कंप्यूटर साइंस, वाइजर पब्लिशिंग, सिंगापुर और स्प्रिंगर नेचर कंप्यूटर साइंस द्वारा एसोसिएट एडिटर चुना गया।

- प्रो. नीलाद्रि शेखर दास को लेक्सिकोग्राफिक कंटेंट इवैल्यूएटर,मॉडर्न बंगाली शब्दकोश परियोजना चुना गया हैरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, यूके, अगस्त–अक्टूबर 2021।

- प्रो. जयदेब सरकार कोक्वेशचनेस मैथमैटिक, संपादक संपादकीय मंडल,दक्षिण अफ्रीकी गणितीय सोसायटी जर्नल, का सदस्य चुना गया।

- प्रो. अंतर बंद्योपाध्याय को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान का सदस्य चुना गया।

- प्रो. बी. प्रधान को इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के जर्नल का एसोसिएट एडिटर चुना गया है।

- डॉ. स्वागत दास को सम्मेलन के सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए आईईईई द्वारा एप्लाइड इंटेलिजेंट सिस्टम (आईईए/एआईई), 2021 के औद्योगिक, इंजीनियरिंग अन्य अनुप्रयोगों पर 34वें आईईईई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

- प्रोफेसर उत्पल गराइन को एआईएमएल में विशेषज्ञ हेतु टाइनीएमएल4डी वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (आईसीटीपी) द्वारा संस्थापक सदस्य चुना गया है।

6. अवसंरचना तथा परियोजना निगरानी

6.1 अवसंरचना तथा परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा उनके केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 18 अवसंरचना क्षेत्रों में ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी करता है। विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त है। नियमित निगरानी के न्यायसंगत तालमेल वाला कारगर समन्वय एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे अधिक तीव्रता और कमतर लागत के साथ परियोजनाओं को अधिक दक्षता से सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित होता है।

6.2 परियोजना निगरानी के उद्देश्य

- परियोजना कार्यान्वयन की कारगरता को बढ़ाना;
- प्रभावी–निर्णय लेने के लिए सूचना प्राप्त करने को सुसाध्य बनाना;
- कार्यान्वयन संबंधी बकाया मुद्दों का समाधान करना;
- प्रणाली में सुधार लाना; और
- श्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियों का विकास करना

निगरानी की प्रणालीः

6.3 आईपीएमडी ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के तंत्र के माध्यम से ₹150 करोड़ से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है ।

- ओसीएमएस सरकार–से–सरकार (जी2जी) ओरेकल आधारित फ्रंट एंड डी2 से युक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है;
- यह परियोजना संबंधी रिपोर्टों तथा पूछताछ परिणामों को देखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग तथा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को संपर्क सुविधा उपलब्ध कराता है;
- यह विभिन्न परियोजना निष्पादन एजेंसियों को आवधिक आधार पर वेब–धारित इंटरफेस के माध्यम से परियोजना के प्रगति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने तथा उन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है;
- आंकड़ा प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को तीन–स्तरीय सत्यापन तथा अनुमति से गुजरना होता है;
- ओसीएमएस में असंख्य लक्ष्य सृजित किए जा सकते हैं तथा उनका रख–रखाव किया जा सकता है;
- परियोजना एजेंसियां कुछ पूर्व–ढांचागत कारणों से विलंबों के कारणों का पता लगा सकती हैं अथवा/इसके अलावा परियोजना एजेंसियां विलंब के नए कारणों अथवा अपने अनुभव को भेज सकती हैं;

- तब किसी अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनके द्वारा सभी चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रकाशित किया जाता है;

- किसी भी प्रकार के फाइल (चित्र, मैप, एक्सल शीटों, पीडीएफ, पीईआरटी/सीपीएम चार्ट आदि) को ओसीएमएस पर अपलोड किया जा सकता है;

- इसके तहत समझौता ज्ञापन लक्ष्यों/मानदंडों की निगरानी भी की जाती है;

- यह प्रशासनिक मंत्रालय तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच संचार माध्यम भी उपलब्ध कराता है;

- अधिकतर मंत्रालयों जैसे विद्युत, कोयला, दूरसंचार और पेट्रोलियम आदि ने ओसीएमएस को अपनाया है;

- वास्तविक निष्पादन को लक्ष्यों के संदर्भ में आंका जाता है; और

- आईपीएमडी के निरंतर आग्रह से सूचना देने में सुधार हुआ है तथा अब अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऑनलाइन सूचना दे रहे हैं। तथापि, लक्ष्यों से संबंधित आंकड़े तथा समय व लागतवृद्धि के कारण अभी भी पूर्ण विस्तार के साथ सूचित नहीं किए जा रहे हैं।

6.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार आईपीएमडी ओसीएमएस में सुधार करता रहा है और ओसीएमएस प्रशिक्षण तथा विचार–विमर्शों के दौरान स्पष्टीकरणों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऑनलाइन सूचना भेजने के लिए प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक

6.5 आईपीएमडी का एक महत्वपूर्ण योगदान समय–समय पर परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए क्रमबद्ध सुधार लाना रहा है।

6.6 आईपीएमडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा बैठकों में समय–सारणी से पीछे चल रही अथवा लागतवृद्धि का सामना कर रही परियोजनाओं को रेखांकित/प्रदर्शित करने में सहायक/कार्यसाधक रहा है। यह प्रत्येक परियोजना की बाधाओं को पहचानने में प्रशासनिक मंत्रालयों को सक्षम बनाता है तथा इन बाधाओं को हटाने के लिए सुधारात्मक उपाय भी करता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

6.7 दिनांक 1 दिसंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, ₹26,67,593.85 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 1679 परियोजनाएं मंत्रालय की निगरानी पर थीं। निगरानी के प्रयोजनार्थ, परियोजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (i) मेगा परियोजनाएं जिनमें प्रत्येक की लागत ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है तथा (ii) ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली किन्तु ₹1000 करोड़ से कम लागत वाली बड़ी परियोजनाएं। केन्द्रीय क्षेत्र की चल रही 1679 परियोजनाओं का क्षेत्र–वार ब्यौरा निकटवर्ती पाई–चार्ट में दिया गया है:

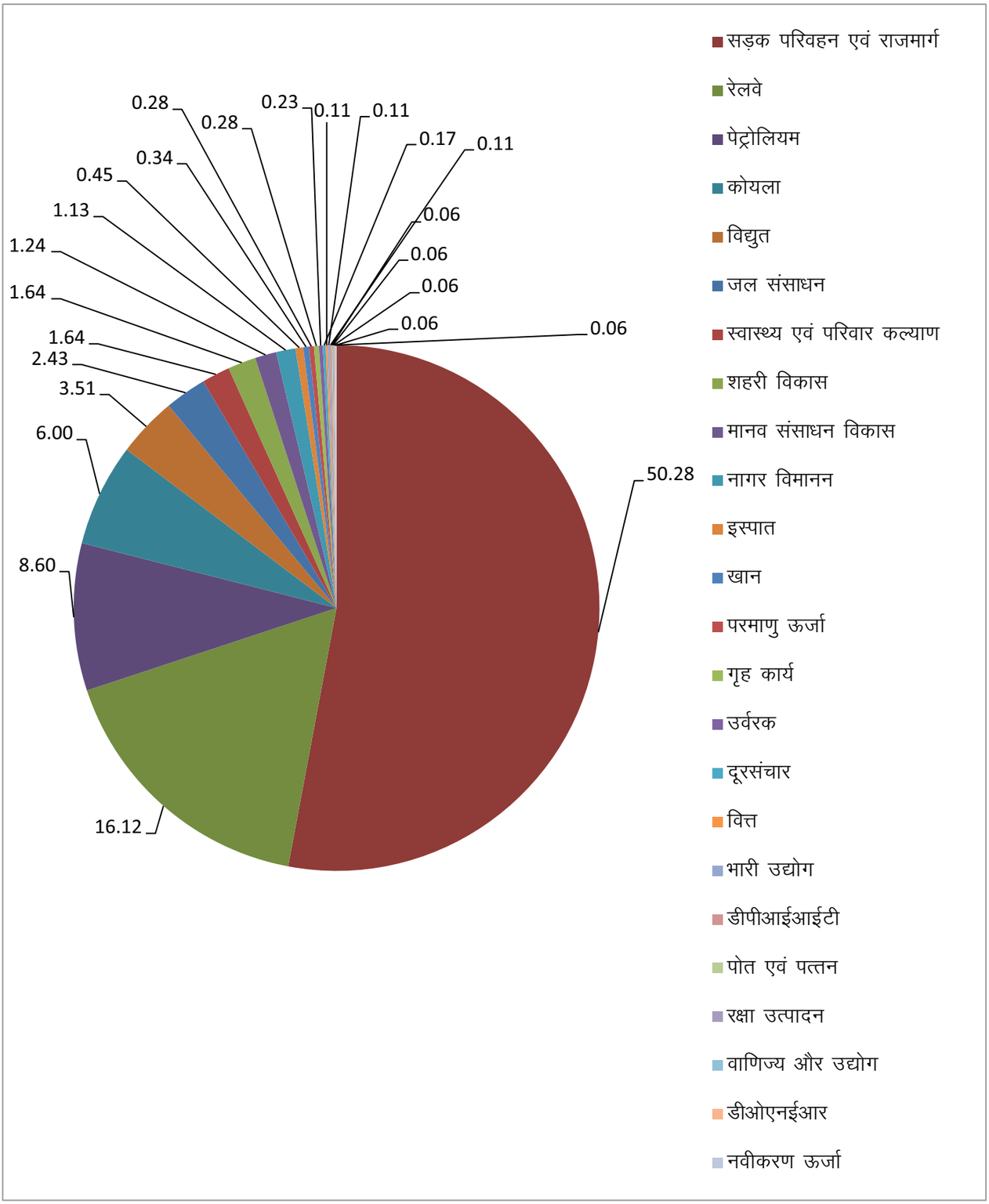
50.28
16.12
8.60
6.00
3.51
2.43
1.64
1.24
1.13
0.45
0.34
0.28
0.28
0.23
0.11
0.11
0.17
0.11
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
रेलवे
पेट्रोलियम
कोयला
विद्युत
जल संसाधन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
शहरी विकास
मानव संसाधन विकास
नागर विमानन
इस्पात
खान
परमाणु ऊर्जा
गृह कार्य
उर्वरक
दूरसंचार
वित्त
भारी उद्योग
डीपीआईआईटी
पोत एवं पत्तन
रक्षा उत्पादन
वाणिज्य और उद्योग
डीओएनईआर
नवीकरण ऊर्जा

दिनांक 01 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है।

परियोजनाओं की आवृत्ति (01 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार)

तालिका 6.1

क्र. सं.	क्षेत्र	मुख्य परि–योजनाओं की संख्या	मूल लागत (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	बड़ी परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
1	परमाणु ऊर्जा	5	116741.00	129969.00		0.00	0.00
2	नागर विमानन	5	7613.90	8303.90	15	6818.07	7206.35
3	कोयला	31	115154.25	120003.52	75	34174.73	33889.04
4	वाणिज्य	0	0.00	0.00	1	302.64	302.64
5	रक्षा उत्पादन	0	0.00	0.00	1	246.31	210.00
6	उच्च शिक्षा विभाग	0	0.00	0.00	22	10139.61	10244.52
7	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	0	0.00	0.00	1	151.33	151.33
8	डीपीआईआईटी	2	17352.09	18990.30	0	0.00	0.00
9	उर्वरक	0	0.00	0.00	4	1101.28	1101.28
10	वित्त	0	0.00	0.00	2	557.77	557.73
11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4	6160.00	6531.00	25	9113.26	9184.78
12	भारी उद्योग	1	1718.00	3727.30	1	1554.00	900.00
13	गृह मंत्रालय	1	1219.21	2000.00	4	806.52	894.62
14	खनन	1	5540.00	5540.00	5	1793.99	1790.54
15	पेट्रोलियम	59	303883.67	314979.30	93	38226.93	38713.23
16	विद्युत	37	195373.11	255798.01	25	11884.13	12305.36
17	रेलवे	150	383038.30	614287.93	135	60001.80	70306.17
18	नवीकरणीय ऊर्जा	0	0.00	0.00	1	271.90	271.90
19	सड़क परिवहन और राजमार्ग	153	232920.01	245556.02	736	305137.48	308479.00
20	पोत परिवहन एवं पत्तन	1	5369.18	4633.81	0	0.00	0.00
21	इस्पात	5	24006.86	30839.01	3	1182.29	1182.29
22	दूरसंचार	1	13334.00	24664.00	2	679.36	671.07
23	शहरी विकास	23	289160.24	311031.10	6	2114.86	2134.53
24	जल संसाधन	1	10151.04	55548.87	42	14551.15	14694.40
	कुल	**480**	**1728734.86**	**2152403.07**	**1,199**	**500809.41**	**515190.78**

- दिनांक 1 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार, ₹ 26,67,593.85 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 1679 परियोजनाएं मंत्रालय की निगरानी पर थीं। निगरानी के प्रयोजनार्थ, इन परियोजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

क्र. सं.	श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ ₹ में)
1.	मेगा (₹1000 करोड़ और उससे अधिक)	480	2152403.07
2.	मुख्य परियोजनाएं (₹ 150 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक)	1199	515190.78
	कुल	**1679**	**2667593.85**

6.8 परियोजनाओं की क्षेत्रीय तथा भू–भौतिकीय आधार पर निगरानी की जाती हैं। निगरानी की गई परियोजनाओं के मुख्य वित्तीय मानदंडों को तालिका 6.2 में नीचे दर्शाया गया है:

राज्यों के बीच केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश परिदृश्य

तालिका–6.2

₹150 करोड़ और उससे लागत वाली केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजनाओं का राज्य–वार स्थिति

(सभी लागत/व्यय ₹करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	संचयी व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	2,888.63	3,159.99	1,631.42
2	आंध्र प्रदेश	69	1,15,349.82	1,61,920.16	82,968.75
3	अरुणाचल प्रदेश	43	23,906.60	37,842.94	20,179.04
4	असम	49	49,143.47	58,539.90	14,106.38
5	बिहार	98	1,23,227.91	1,59,169.38	81,854.50
7	छत्तीसगढ़	46	78,726.75	89,025.67	44,352.25
8	दिल्ली	30	84,192.81	85,286.80	52,624.93
9	गोवा	10	5,332.77	5,343.26	2,804.11
10	गुजरात	59	1,08,152.96	1,18,961.83	55,344.76
11	हरियाणा	36	61,492.56	63,819.18	20,409.82
12	हिमाचल प्रदेश	20	22,264.08	33,301.38	21,056.77
13	जम्मू और कश्मीर	30	48,180.49	74,107.74	48,732.20
14	झारखंड	41	69,363.87	73,055.90	34,179.36
15	कर्नाटक	56	85,354.49	97,065.48	50,509.93
16	केरल	22	30,240.60	35,398.30	12,731.71

17	लद्दाख	8	2,633.23	2,767.29	271.76
18	मध्य प्रदेश	77	68,456.96	77,078.88	34,560.25
19	महाराष्ट्र	231	2,07,304.47	2,30,264.54	1,26,469.56
20	मणिपुर	26	12,108.58	22,615.20	12,913.81
21	मेघालय	13	5,269.68	8,588.18	2,487.86
22	मिजोरम	24	11,957.35	16,911.60	7,547.83
23	बहु राज्य	113	3,46,034.59	4,58,077.69	1,93,432.1
24	नगालैंड	35	15,989.03	20,395.15	5,141.69
25	ओडिशा	78	1,09,287.57	1,17,378.88	50,115.01
26	पांडिचेरी	1	195.00	195.00	16.41
27	पंजाब	28	18,344.99	20,091.84	7,401.76
28	राजस्थान	55	51,403.28	58,056.27	37,814.80
29	सिक्किम	18	7,278.84	14,598.73	3,049.31
30	तमिलनाडु	68	1,70,613.2	1,90,144.19	90,270.40
31	तेलंगाना	51	38,003.46	41,043.05	22,539.46
32	त्रिपुरा	19	5,084.45	5,259.05	2,049.62
33	उत्तर प्रदेश	114	1,53,043.48	1,56,834.84	82,251.91
34	उत्तराखंड	30	35,588.83	50,291.17	25,023.45
35	पश्चिम बंगाल	72	63,129.47	81,004.39	41,715.57
	कुल	**1,679**	**22,29,544.27**	**26,67,593.85**	**12,88,558.49**

वर्ष 2021–22 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

6.9 वर्ष 2021–22 (1 दिसंबर 2021 तक) के दौरान 170 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई । पूरी की गई परियोजनाओं की सूची **अनुबंध–V** में दी गई है ।

6.10 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की समयवृद्धि का क्षेत्र–वार विश्लेषण तालिका 6.3 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 6.3

₹150 करोड़ तथा इससे अधिक लागत वाली मूल अनुसूची के संदर्भ में परियोजनाओं में समयवृद्धि की सीमा (सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में)

						समयवृद्धि वाली परियोजनाएं			
क्र. सं.	क्षेत्र	परियो-जनाओं की संख्या	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि (%)	सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	समय वृद्धि की सीमा (महीनों में)
1	परमाणु ऊर्जा	5	1,16,741.00	1,29,969.00	11.33	4	67,120.00	80,348.00	36 - 145
2	नागर विमानन	20	14,431.97	15,510.25	7.47	19	13,820.17	14,898.45	3 - 45
3	कोयला	106	1,49,328.98	1,53,892.56	3.06	56	76,403.65	79,358.71	12 - 228
4	वित्त	2	557.77	557.73	-0.01	0	0.00	0.00	-
5	उर्वरक	4	1,101.28	1,101.28	0.00	1	426.72	426.72	20 - 20
6	खान	6	7,333.99	7,330.54	-0.05	4	6,633.37	6,633.37	32 - 37
7	इस्पात	8	25,189.15	32,021.30	27.12	5	21,362.73	28,194.88	32 - 80
8	पेट्रोलियम	152	3,42,110.60	3,53,692.53	3.39	86	1,49,587.49	1,55,929.76	1 - 110
9	विद्युत	62	2,07,257.24	2,68,103.37	29.36	42	1,53,355.91	2,12,921.51	6 - 162
10	भारी उद्योग	2	3,272.00	4,627.30	41.42	0	0.00	0.00	-
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29	15,273.26	15,715.78	2.90	5	2,320.28	2,440.28	9 - 46
12	रेलवे	285	4,43,040.10	6,84,594.10	54.52	141	1,84,834.66	3,18,718.46	2 - 324
13	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	889	5,38,057.49	5,54,035.02	2.97	134	67,512.06	69,214.67	5 - 134
14	पोत परिवहन एवं पत्तन	1	5,369.18	4,633.81	-13.70	0	0.00	0.00	-
15	दूरसंचार	3	14,013.36	25,335.07	80.79	3	14,013.36	25,335.07	9 - 80
16	शहरी विकास	29	2,91,275.10	3,13,165.63	7.52	14	1,03,728.10	1,20,242.55	12 - 73
17	जल संसाधन	43	24,702.19	70,243.27	184.36	8	11,797.25	57,131.86	4 - 25
18	रक्षा उत्पादन	1	246.31	210.00	-14.74	1	246.31	210.00	22 - 22
19	वाणिज्य	1	302.64	302.64	0.00	0	0.00	0.00	-
20	उच्च शिक्षा विभाग	22	10,139.61	10,244.52	1.03	14	6,947.65	6,881.46	3 - 84
21	गृह मंत्रालय	5	2,025.73	2,894.62	42.89	3	1,659.44	2,528.33	3 - 44
22	डीपीआईआईटी	2	17,352.09	18,990.30	9.44	1	4,773.00	5,178.00	29 - 29
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	1	151.33	151.33	0.00	0	0.00	0.00	-
24	नवीकरणीय ऊर्जा	1	271.90	271.90	0.00	0	0.00	0.00	-
	कुल	**1679**	**22,29,544.27**	**26,67,593.85**	**19.65**	**541**	**8,86,542.15**	**11,86,592.08**	

6.11 समय वृद्धि के कारण

(1) *केन्द्रीय मंत्रालयों संबंधी मुद्दे*

- भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे;
- वन,पर्यावरण संबंधी अनुमति में देरी
- अवसंरचना सहयोग और लिंकेज की कमी
- परियोजना वित्तपोषण के टाई–अप में देरी
- विस्तृत इंजीनियरिंग को अंतिम रूप दिये जाने में देरी
- विषय क्षेत्र में परिवर्तन
- निविदाकरण, आदेश देने, और उपस्करों की आपूर्ति में देरी
- कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दे;
- भूवैज्ञानिक गतिविधियां
- प्री–कमीशनिंग संबंधी शुरुआती समस्याएं
- संविदात्मक मुद्दे
- अतिक्रमण
- अपर्याप्त जनशक्ति
- तकनीकी अनुमति में देरी
- कोविड–19 के कारण राज्यवार लॉकडाउन

6.12 लागत वृद्धि के कारण

- मूल लागत का न्यूनानुमान
- विदेशी मुद्रा की दरों और सांविधिक कर्तव्यों में परिवर्तन
- पर्यावरण सुरक्षा उपायों एवं पुनर्वास उपायों की उच्च लागत
- भूमि अधिग्रहण लागत का पेंचदार होना
- परियोजनाओं के विषय क्षेत्र में परिवर्तन
- उपकरण सेवाओं के वेंडरों द्वारा एकाधिकारवादी मूल्यनिर्धारण
- सामान्य कीमतों में वृद्धि / मुद्रास्फीति
- बाधित स्थितियां
- समय का अधिक लगना

6.13 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की लागतवृद्धि का क्षेत्र–वार विश्लेषण तालिका 6.4 में नीचे दर्शाया गया है ।

तालिका 6.4

₹150 करोड़ तथा इससे अधिक लागत वाली मूल लागत (क्षेत्र–वार) के संदर्भ में परियोजनाओं में समयवृद्धि की सीमा (सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में)

						समयवृद्धि वाली परियोजनाएं			
क्र. सं.	क्षेत्र	परियो-जनाओं की संख्या	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि (%)	सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि की सीमा (महीनों में)
1	परमाणु ऊर्जा	5	1,16,741.00	1,29,969.00	11.33	3	27,271.00	40,499.00	48.51
2	नागर विमानन	20	14,431.97	15,510.25	7.47	4	3,288.50	4,403.06	33.89
3	कोयला	106	1,49,328.98	1,53,892.56	3.06	19	37,788.39	44,026.48	16.51
4	वित्त	2	557.77	557.73	-0.01	0	0.00	0.00	0.00
5	उर्वरक	4	1,101.28	1,101.28	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	खान	6	7,333.99	7,330.54	-0.05	0	0.00	0.00	0.00
7	इस्पात	8	25,189.15	32,021.30	27.12	2	17,207.85	24,040.00	39.70
8	पेट्रोलियम	152	3,42,110.60	3,53,692.53	3.39	29	66,399.38	90,818.23	36.78
9	विद्युत	62	2,07,257.24	2,68,103.37	29.36	22	1,03,919.23	1,66,878.72	60.59
10	भारी उद्योग	2	3,272.00	4,627.30	41.42	1	1,718.00	3,727.30	116.96
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29	15,273.26	15,715.78	2.90	12	5,589.39	6,374.57	14.05
12	रेलवे	285	4,43,040.10	6,84,594.10	54.52	202	2,35,845.84	4,84,636.84	105.49
13	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	889	5,38,057.49	5,54,035.02	2.97	120	88,613.94	1,10,923.62	25.18
14	पोत परिवहन एवं पत्तन	1	5,369.18	4,633.81	-13.70	0	0.00	0.00	0.00
15	दूरसंचार	3	14,013.36	25,335.07	80.79	1	13,334.00	24,664.00	84.97
16	शहरी विकास	29	2,91,275.10	3,13,165.63	7.52	7	93,659.03	1,15,628.76	23.46
17	जल संसाधन	43	24,702.19	70,243.27	184.36	8	12,236.47	58,101.66	374.82
18	रक्षा उत्पादन	1	246.31	210.00	-14.74	0	0.00	0.00	0.00
19	वाणिज्य	1	302.64	302.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20	उच्च शिक्षा विभाग	22	10,139.61	10,244.52	1.03	4	1,715.81	1,889.72	10.14
21	गृह मंत्रालय	5	2,025.73	2,894.62	42.89	3	1,659.44	2,528.33	52.36
22	डीपीआईआईटी	2	17,352.09	18,990.30	9.44	2	17,352.09	18,990.30	9.44
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	1	151.33	151.33	0.00	0	0.00	0.00	0.00
24	नवीकरणीय ऊर्जा	1	271.90	271.90	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	कुल	**1679**	**22,29,544.27**	**26,67,593.85**	**19.65**	**439**	**7,27,598.36**	**11,98,130.59**	**64.67**

परियोजनाओं में समय और लागतवृद्धि–रूझान विश्लेषण

6.14 पिछले 7 वर्षों की वास्तविक समय सारणी की तुलना में समयवृद्धि का विश्लेषण नीचे दिए हुए ग्राफ में देखा जा सकता है:

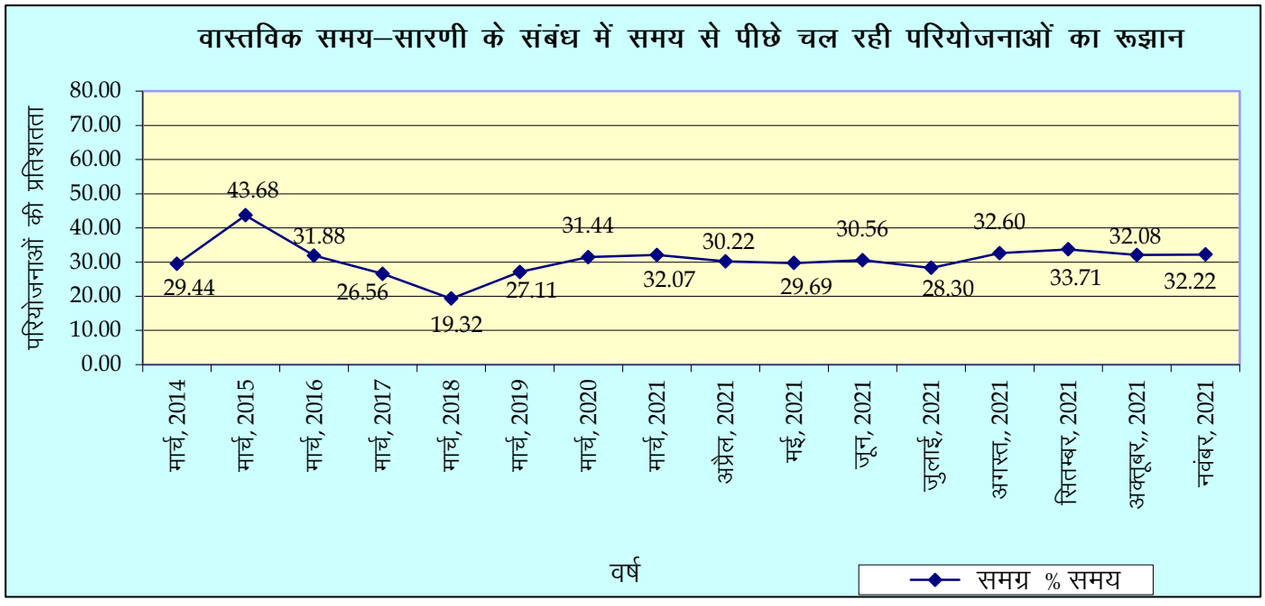

परियोजनाओं में लागत अधिक होने की प्रवृत्ति

6.15 पिछले 7 वर्षों में मूल रूप से अनुमोदित लागत के संबंध में लागतवृद्धि का विश्लेषण नीचे दिए हुए ग्राफ में देखा जा सकता है:

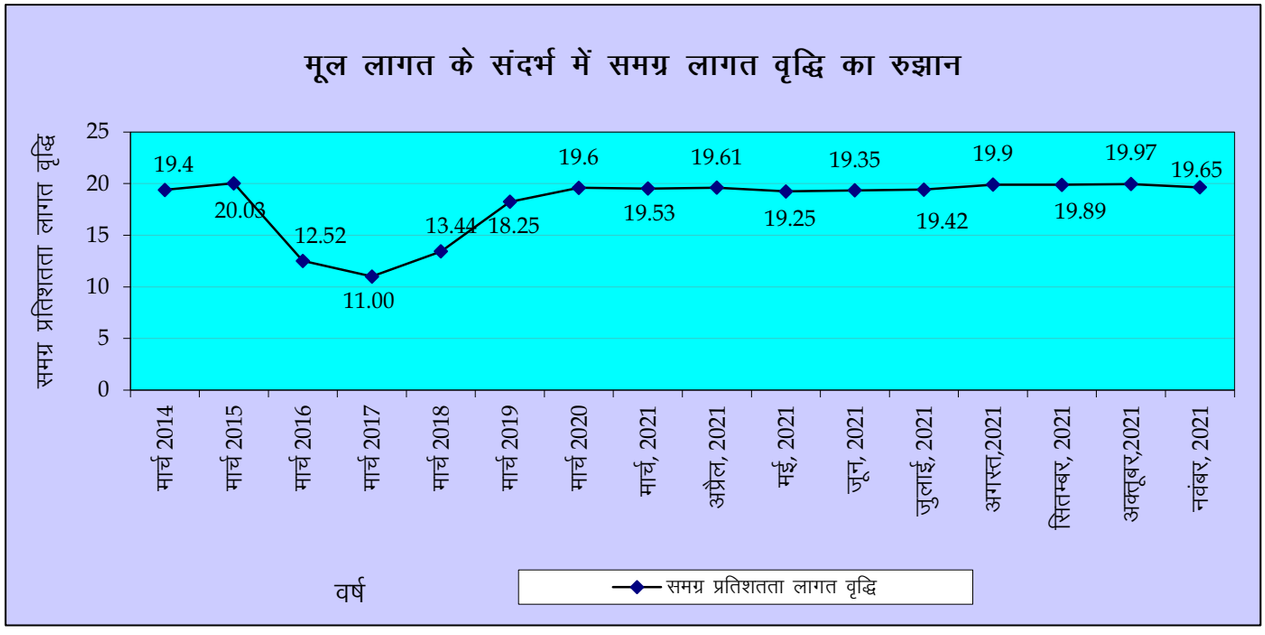

उपचारात्मक उपाय / व्यवस्थागत सुधार

6.16 अवसंरचना परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) द्वारा समय–समय पर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने के लिए व्यवस्थागत सुधार लाए गए, इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) ₹150 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के समय तथा लागत वृद्धि की नियमित निगरानी;

(ii) त्रैमासिक आधार पर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा;

(iii) समय और लागत वृद्धि के लिए जवाबदेही का निर्धारण करने हेतु संबंधित मंत्रालयों / विभागों में सरकार द्वारा अपर सचिव की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन करना:

(iv) परियोजनाओं का कड़ाई से मूल्यांकन;

(v) कम्प्यूटर नेटवर्क पर आधारित निगरानी को अपनाना; और

(vi) सीपीएसयू के परियोजना प्रबंधन तथा इसके परियोजना प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देना।

(vii) प्रमुख परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सरल बनाने तथा रुकावटों को हटाने के लिए मुख्य सचिवों के अधीन राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन करना।

वर्ष के दौरान की गई पहलें

6.17 केंद्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी):

मंत्रालय राज्य सरकारों को उनके राज्यों में सीपीएसयू द्वारा सामना किए जा रहे परियोजना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी) गठित करने की सलाह दे चुका है। अब तक, सताईस राज्य इस प्रकार की सीएसपीसीसी का गठन कर चुके हैं। सीएसपीसीसी तंत्र राज्य सरकारों से संबंधित भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण और पुनर्स्थापन तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्दों को सुलझाने में बहुत प्रभावी रहा है। 2021 में दो राज्यों ने सीएसपीसीसी की बैठक भी आयोजित की है।

6.18 मंत्रालयों के सामने मामले उठानाध्क्षेत्रों की समीक्षा:

प्रधानमंत्री कार्यालय और व्यय विभाग में ओसीएमएस पोर्टल पर परियोजनाओं को अद्यतन और अपलोड करने से संबंधित बैठकें आयोजित की गई थी। संबंधित मंत्रालय / विभाग को बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और विलंबित परियोजनाओं से संबंधित मुख्य बातें रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाई गई थी।

6.19 समझौता ज्ञापन / समीक्षा / ईबीआर बैठकों में सक्रिय सहभागिता:

आईपीएमडी सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित

एमओयू वार्ता–बैठकों में समय व लागत वृद्धि एवं परियोजना प्रबंधकों की क्षमता विकास के मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाता रहा है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए लोग उद्यम विभाग द्वारा कार्यबल संचालित किए गए।

6.20 ओसीएमएस की पुनः डिजाइनिंग और पुनर्विकासः

मंत्रालय ओसीएमएस की पुनः डिजाइनिंग और पुनर्विकास कर रहा है। मंत्रालय के एनआईआईपी पोर्टल के माध्यम से ओसीएमएस सॉफ्टवेयर को नया रूप दिया जा रहा है।

6.21 अवसंरचना कार्य निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करनाः

मंत्रालय बेहतर निगरानी के उद्देश्य से एनएनआईपी के तहत अवसंरचना कार्य निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में है।

6.22 अवसंरचना निष्पादन निगरानी

देश में महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों की निगरानी प्रणाली निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के समक्ष निष्पादन की झलक एवं उपलब्धियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह मंत्रालय अवसंरचना के ग्यारह प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़क, रेलवे, पत्तन, नागर विमानन और दूरसंचार के निष्पादन की निगरानी करता है। इन क्षेत्रों के निष्पादन का विश्लेषण किसी माह विशेष तथा किसी संचयी अवधि के लिए पूर्व–निर्धारित लक्ष्यों एवं पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह और संचयी अवधि के दौरान की उपलब्धियों के संदर्भ में किया जाता है।

6.23 अवसंरचना निष्पादन रिपोर्ट अवसंरचना क्षेत्र के कार्य–निष्पादन संबंधी पुनरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है।

अवसंरचना क्षेत्र का समग्र कार्य–निष्पादन

6.24 पिछले तीन वर्षों और 2021–22 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान अवसंरचना क्षेत्र के उत्पादन कार्य के निष्पादन का ब्यौरा अनुबंध–IV में दिया गया है।

वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान अवसंरचना निष्पादन

6.25 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान समग्र अवसंरचना निष्पादन में वृद्धि के मिले– जुले रुझान सामने आए हैं । इस अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, कोयला, तैयार इस्पात , सीमेंट, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, राजस्व अर्जित करने वाले रेलवे में माल यातायात, एनएचएआई द्वारा राजमार्गों का उन्नयन (मौजूदा कमजोर फुटपाथ को चार/छह/आठ लेन तक चौड़ा/मजबूत करना), निर्यात और आयात कार्गो और यात्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर यातायात, प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो और कोयले का संचालन और दूरसंचार (अप्रैल–सितंबर 2021 के दौरान प्रदान किए गए नेट न्यू वायर लाइन फिक्स्ड टेलीफोन कनेक्शन) सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के निष्पादन के मुकाबले सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, अप्रैल–अक्तूबर, 2021 की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, विद्युत उत्पादन, एयरपोर्ट पर हैंडल किए गए आयात और निर्यात कार्गो को छोड़कर अधिकतर क्षेत्र इस अवधि में उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहे हैं। पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान समग्र अवसंरचना निष्पादन में बढ़ोतरी संबंधी रुझान अनुबंध–IV पर दिए गए हैं। क्षेत्र–वार ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

विद्युत

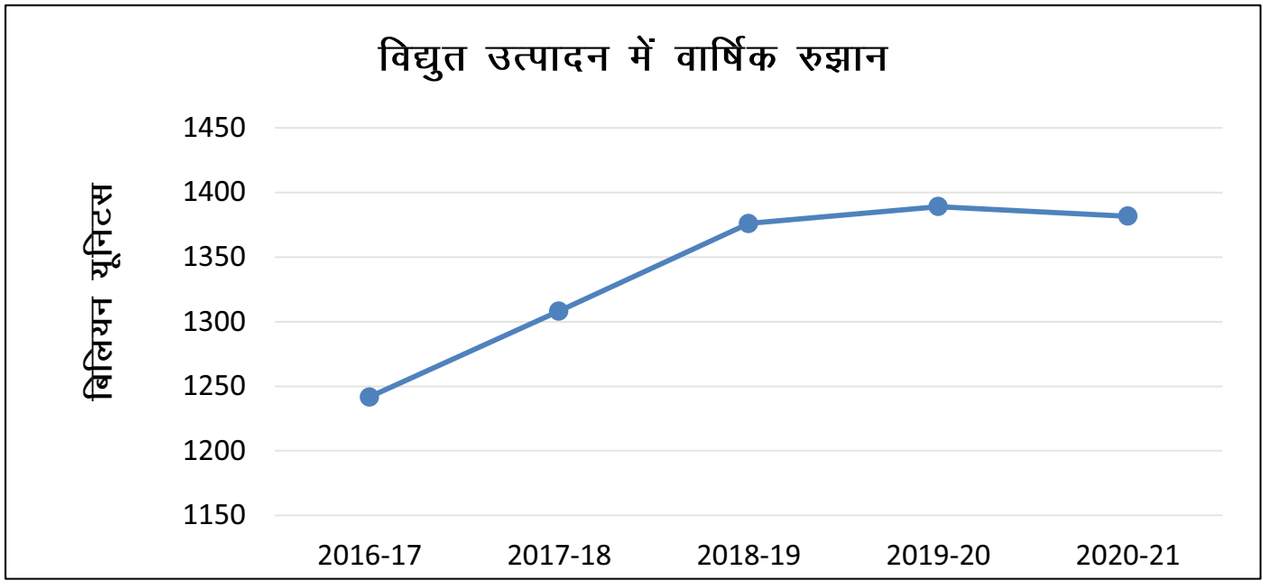

6.26 विगत पांच वर्ष के दौरान समग्र विद्युत उत्पादन परिदृश्य में लगातार वृद्धि दिखाई दी है, जैसा कि दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है। (अप्रैल–मार्च) 2020–21 के दौरान, विद्युत उत्पादन में 1381.68 बिलियन यूनिट (बी. यू.) की वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2020–21 के विद्युत उत्पादन की तुलना में 0.54% अधिक है। 0.54% की यह वृद्धि गत वर्ष (2020–21) की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त 0.95% की वृद्धि की तुलना में कम थी। वर्ष 2020–21के दौरान थर्मल पॉवर स्टेशनों (टीपीएस) का अखिल भारतीय संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 54.49% था, जो वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त 55.99% पीएलएफ की तुलना में कम रहा।

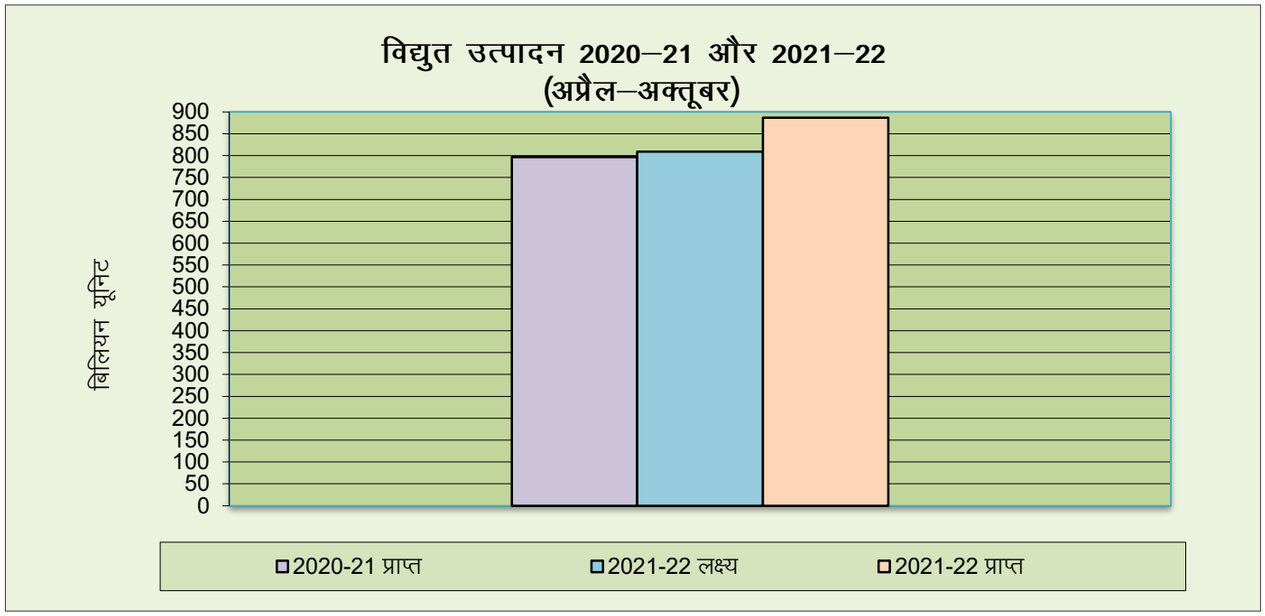

6.27 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान देश में विद्युत उत्पादन 886.87 बिलियन यूनिट (बी.यू.) था जो इस अवधि के लिए निर्धारित 809.07 बी.यू. के लक्ष्य से 9.61% अधिक था तथा इसमें विगत वर्ष की तदनुरूपी

अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की तुलना में 11.34% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। निकटवर्ती चार्ट लक्ष्य की तुलना में विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं पिछले वर्ष की उपलब्धि को दर्शाता है। थर्मल उत्पादन 640.72 बी.यू. रहा और इसमें 13.81% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई, और यह उक्त अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य 669.97बी.यू. से 4.37% कम था। पीएलएफ 54.49% पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त 55.99% के पीएलएफ से कम था। जहां तक क्षेत्र–वार थर्मल उत्पादन का संबंध है, निजी क्षेत्र,राज्य और केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में क्रमशः 12.61% , 18.59ः और 5.93% कम था। परमाणु विद्युत उत्पादन 42.95 बी.यू. उस अवधि के लिए लक्षित लक्ष्य से कम था परंतु पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह उत्पादन क्रमशः 1.64% तथा 0.38% अधिक था।

कोयला

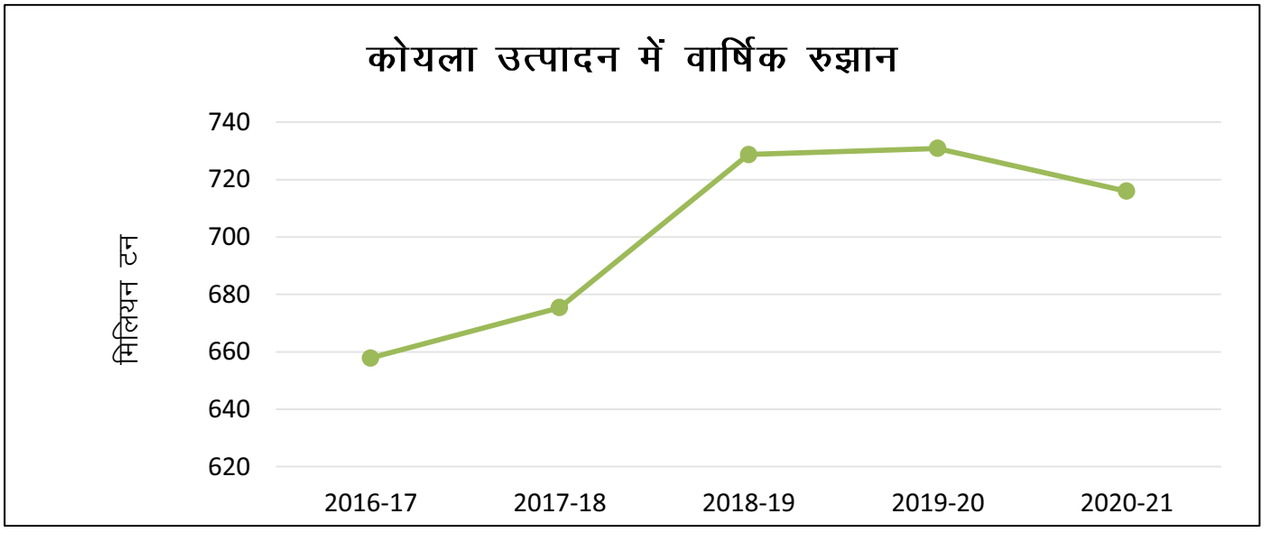

6.28 वर्ष 2019–20 के दौरान कोयला उत्पादन 715.95 मिलियन टन (मि.टन) रहा जो वर्ष 2019–20 के दौरान हुए 730.87 मि.टन के उत्पादन की तुलना में 2.04% कम था। पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है।

6.29 वर्ष 2021–22 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान समग्र कोयला उत्पादन 379.60 एमटी था जो इस अवधि के लक्ष्य से कम था लेकिन और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 338.19 एमटी उत्पादन की तुलना में क्रमशः 12.60% तथा 12.24% अधिक था । कुकिंग कोल के उत्पादन 23.97 एमटी में 8.16% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और वॉष्ड कोल का उत्पादन 0.523 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 6.39% अधिक था। वर्ष 2021–22(अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान कोयले का समग्र प्रेषण 448.096 एमटी रहा जो इस अवधि के लिए 531.22 एमटी के लक्ष्य से कम था परंतु पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए प्रेषण की तुलना में क्रमशः 15.65% और 23.44% कम था।

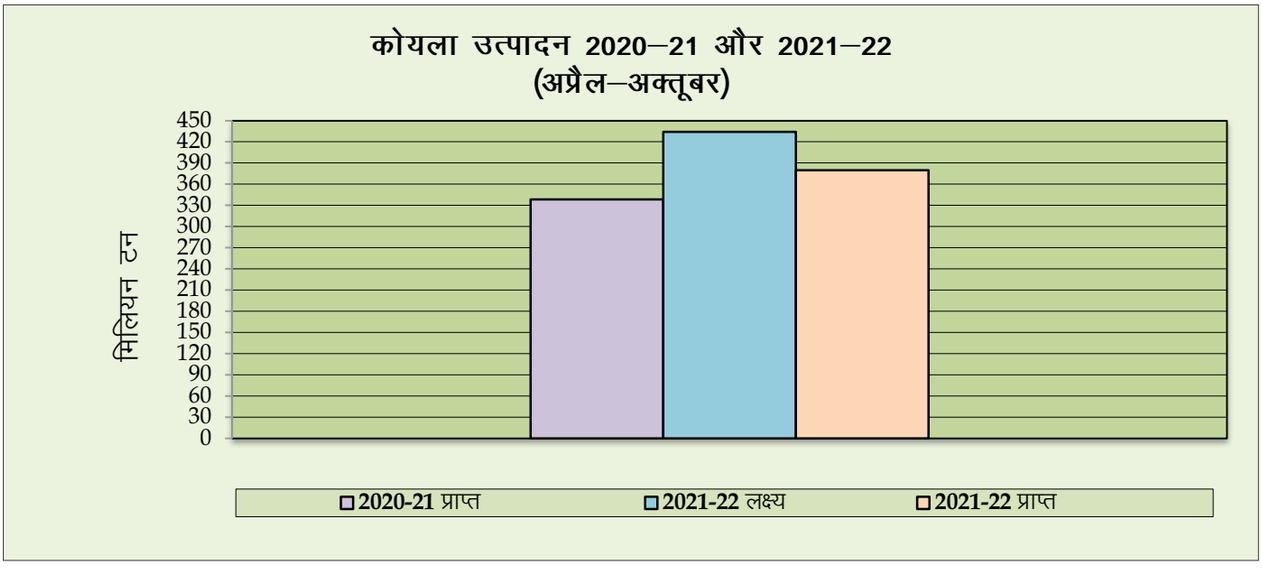

इस्पात

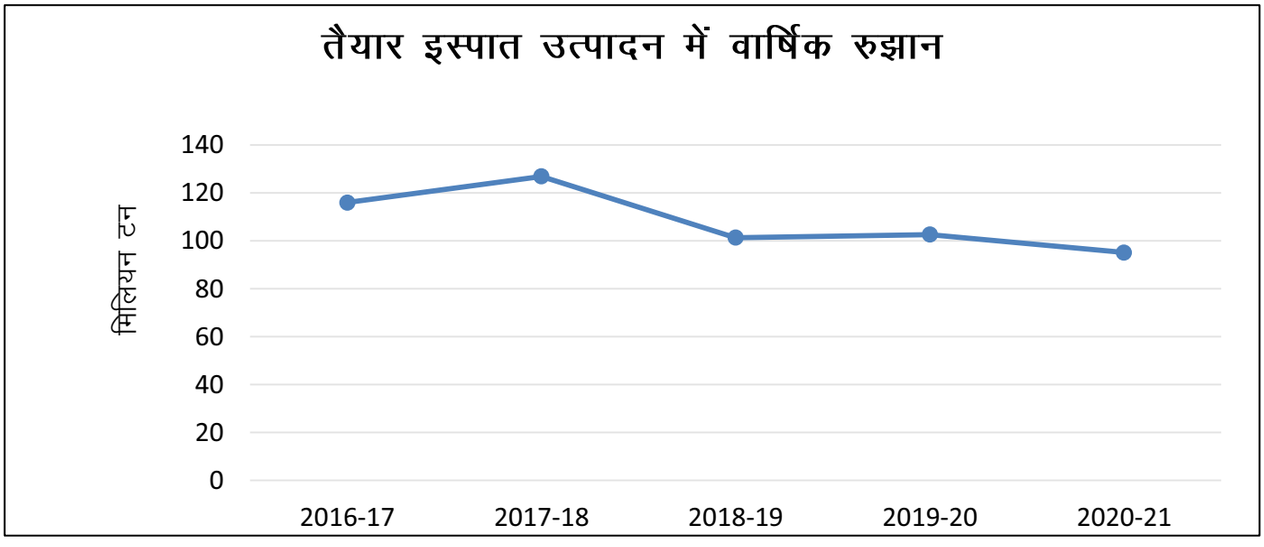

6.30 वर्ष 2020–21 के दौरान तैयार इस्पात का समग्र उत्पादन 95.121 एमटी था, जिसमें वर्ष 2019–20 के दौरान 102.622 एमटी उत्पादन की तुलना में 6.31% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। गत पांच वर्षों के दौरान तैयार इस्पात में उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है।

6.31 वर्ष 2021–22 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन 62.878 एमटी रहा जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 48.405 एमटी के उत्पादन की तुलना में 29.90% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

सीमेंट

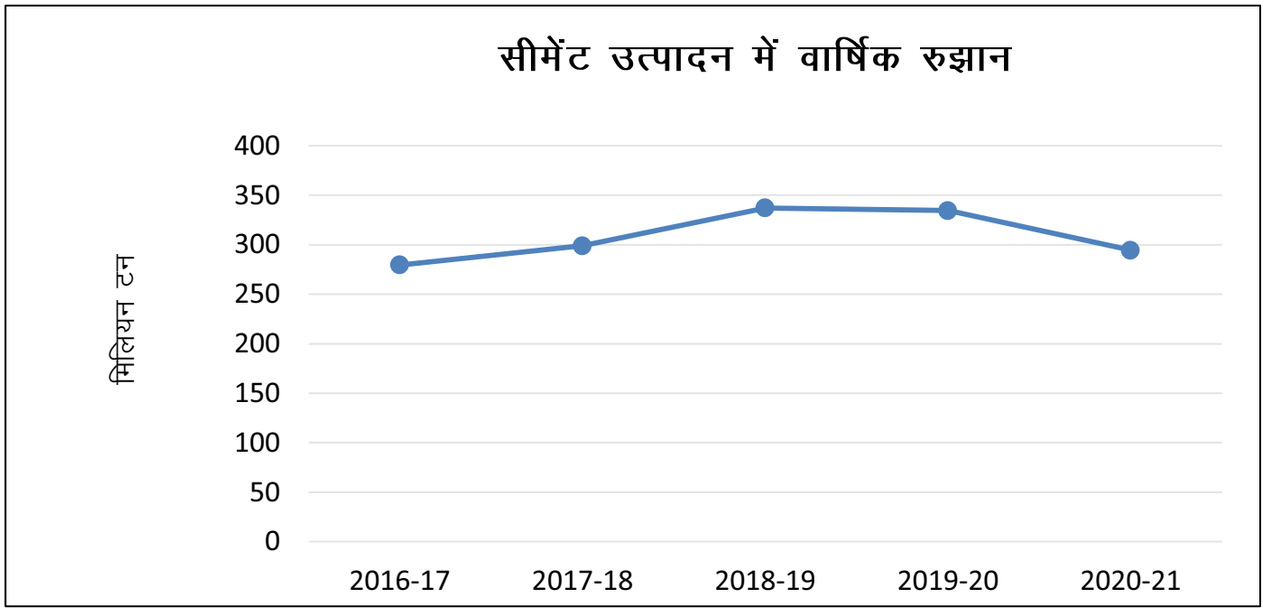

6.32 वर्ष 2020–21 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 294.47 एमटी रहा जो विगत वर्ष के दौरान 338.48 मि.टन के उत्पादन से 11.96% कम रहा। वर्ष 2019–20 के दौरान 0.84% की तुलना में वृद्धि दर 11.96% कम रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए सीमेंट उत्पादन का रुझान निकटवर्ती चार्ट में दर्शाया गया है।

6.33 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान सीमेंट का उत्पादन 199.72 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 149.39 मि.टन के उत्पादन से 33.69% अधिक था।

उर्वरक

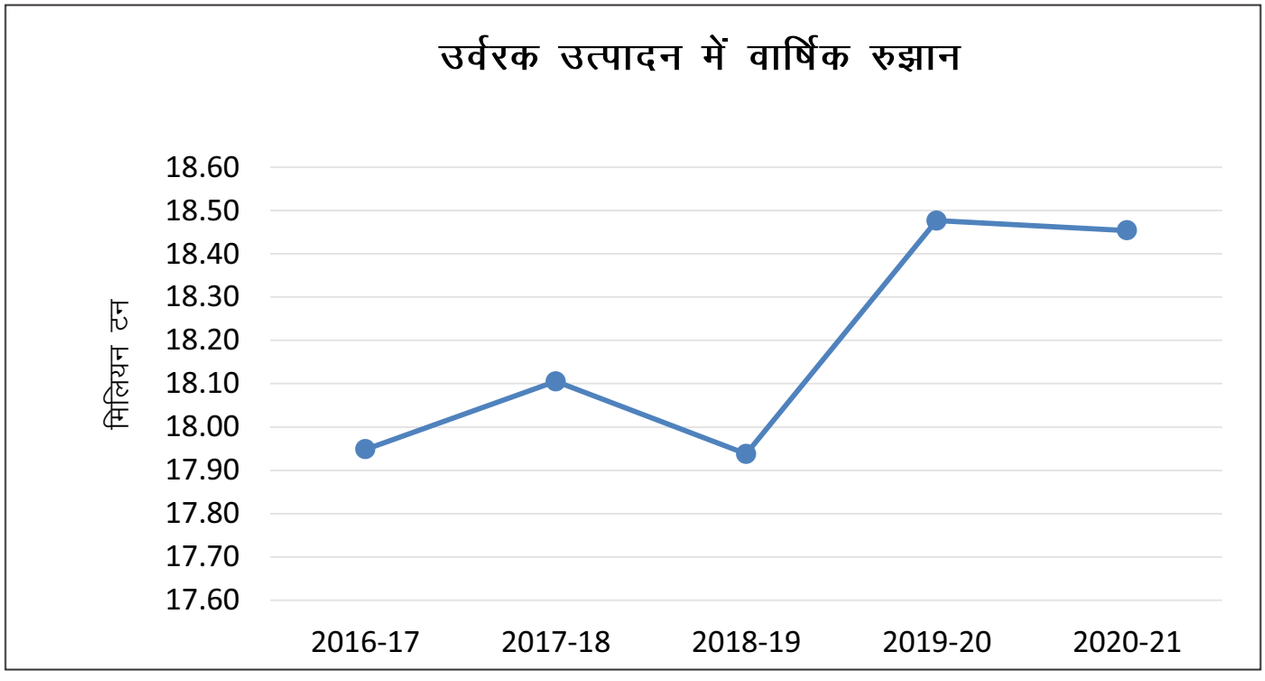

6.34 वर्ष 2020–21 के दौरान उर्वरकों (नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट) का समग्र उत्पादन 18.45 एमटी था जो वर्ष 2019–20 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 0.12% कम था। वर्ष के दौरान, समग्र क्षमता उपयोग (नाइट्रोजऩ फॉस्फेट) 86.80% था जो वर्ष 2019–20 के दौरान 86.90% के क्षमता उपयोग से कम था।

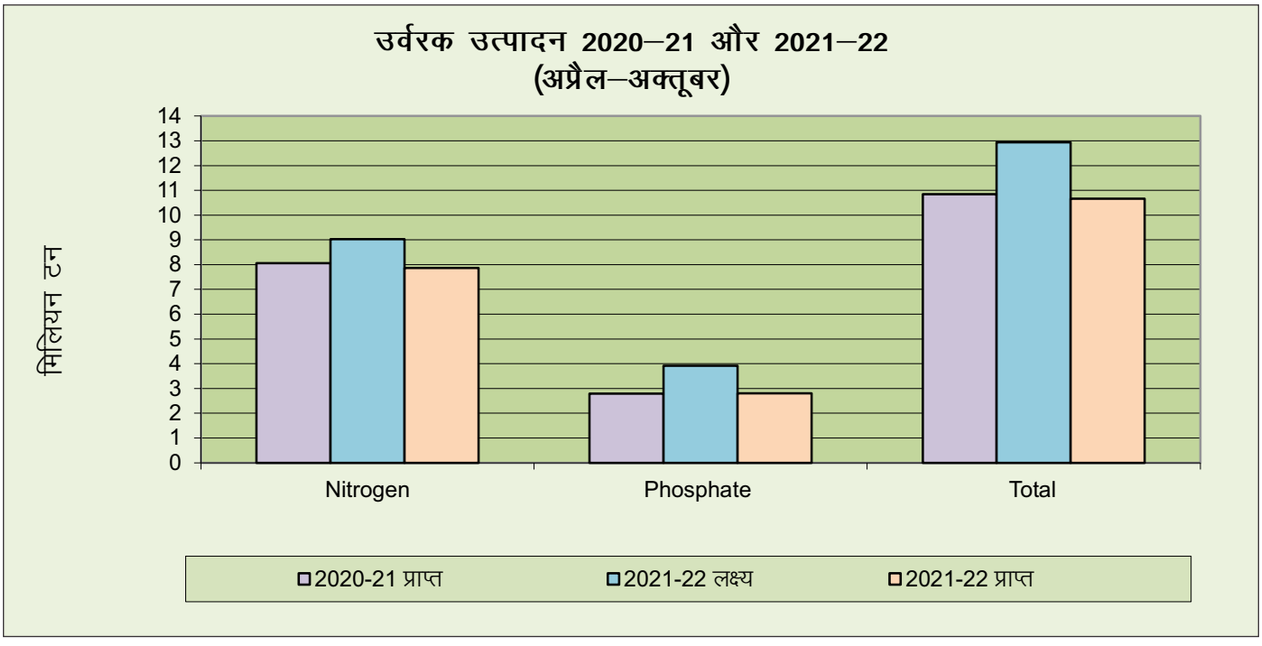

6.35 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर), के दौरान उर्वरक उत्पादन 10.66 एमटी रहा जो उस अवधि के लक्ष्य से 16.55% कम था और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 1.58% कम था। समग्र क्षमता उपयोग 80.40% था जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उपयोग की गई क्षमता 81.70% से अधिक था। नाइट्रोजन का 6.86 एमटी उत्पादन इस अवधि के लक्ष्य से 12.82% कम और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 2.27% कम था । फास्फेट उर्वरक का उत्पादन 2.79 एम टी था जो इस अवधि के लक्ष्य से 28.47% कम और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान लक्ष्य से 0.43% अधिक था। वर्ष 2020–21 और 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान उर्वरक (नाइट्रोजन और फॉस्फेट) का उत्पादन निकटवर्ती ग्राफ में दर्शाया गया है।

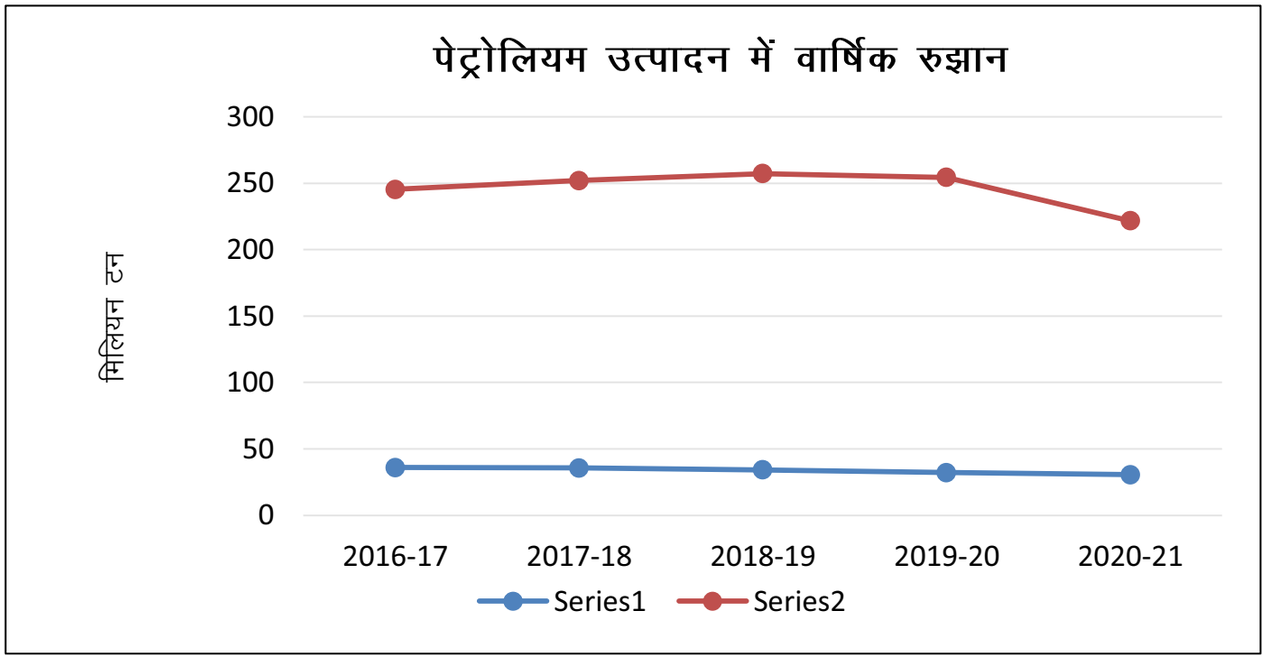

6.36 कच्चा तेलः वर्ष 2020–21 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 30.49 मिलियन टन (एमटी) रहा जो 32.31 एमटी के लक्ष्य तथा वर्ष 2019–20 के दौरान 32.169 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 5.65% और 5.22% से कम था। पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल और रिफाइनरी के उत्पादन का रुझान निकटवर्ती चार्ट में दिया गया है।

6.37 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 16.43 एमटी रहा जो इस अवधि के दौरान 18.167 एमटी के लक्ष्य से कम था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 16.94 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 4,02% और 2.81% रहा।

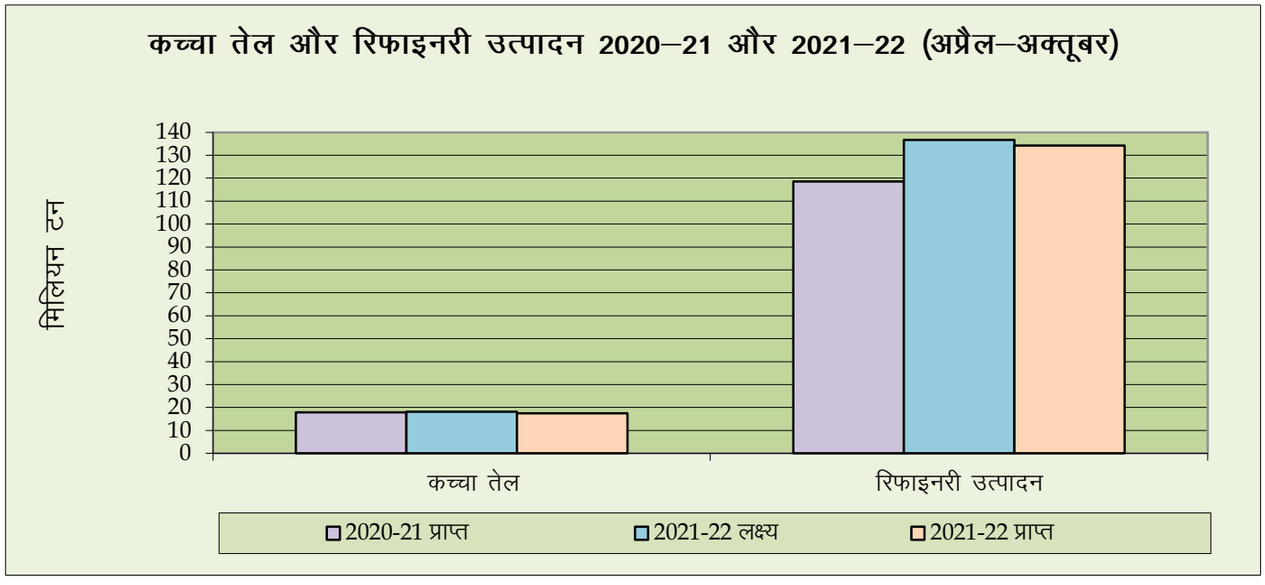

6.38 वर्ष 2021–22 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान रिफाइनरी का उत्पादन 134.24 मीट्रिक था जो 136.61 मीट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक था लेकिन पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि के दौरान 118.55 मीट्रिक टन से अधिक था जो क्रमशः 1.73% और 13.24% था। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उपयोग की गई क्षमता की तुलना में कुल क्षमता का उपयोग 91.60% था जो 80.90% से अधिक था। निकटवर्ती ग्राफ कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाता है।

6.39 रिफाइनरी उत्पादनः वर्ष 2020–21 के दौरान रिफाइनरी उत्पादन (पूर्णतया कच्चे तेल के संदर्भ में) 221.77 एमटी था जो लक्ष्य 251.664 एमटी के लक्ष्य से कम था तथा 2019–20 के दौरान उत्पादन 254.38 एमटी का उत्पादन में क्रमशः 11.88% और 12.82% था। वर्ष 2020–21 के दौरान समग्र क्षमता उपयोग 88.80% पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त 102.00% से कम था।

6.40 प्राकृतिक गैसः वर्ष 2020–21 के दौरान कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन मिलाकर 28,670 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) था जो 33,571 मिलियन क्यूबिक मीटर के लक्ष्य से 14.60% कम था और वर्ष 2019–20 के दौरान हुए 31,184 मिलियन क्यूबिक मीटर उत्पादन की तुलना में 8.06% कम था।

6.41 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 19,907 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) था, जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 21441 मिलियन क्यूबिक मीटर के लक्ष्य से कम था तथा हुए 16,372 मिलियन क्यूबिक मीटर के उत्पादन से क्रमशः 6.15% तथा 21.59% अधिक था।

सड़कें

6.42 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा राज्य लोक निर्माण विभाग एवं सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन में लगे हुए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएचएआई ने 4570.00 कि.मी. के लक्ष्य तथा वर्ष 2019–20 के दौरान 3979 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में चार/छः/आठ लेनों के 4218 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण किया है। राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 239.39 कि.मी. को चार/छः/आठ लेन का और 2741 कि.मी. को दो लेन का बनाया है तथा 4527 कि.मी. के वर्तमान खराब पैदल मार्गों को सुदृढ़ बनाया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2378 कि.मी. राजमार्ग की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया है। राजमार्गों के उन्नयन के एक भाग के रूप में, 63 पुलों का भी पुनर्स्थापन/निर्माण किया गया।

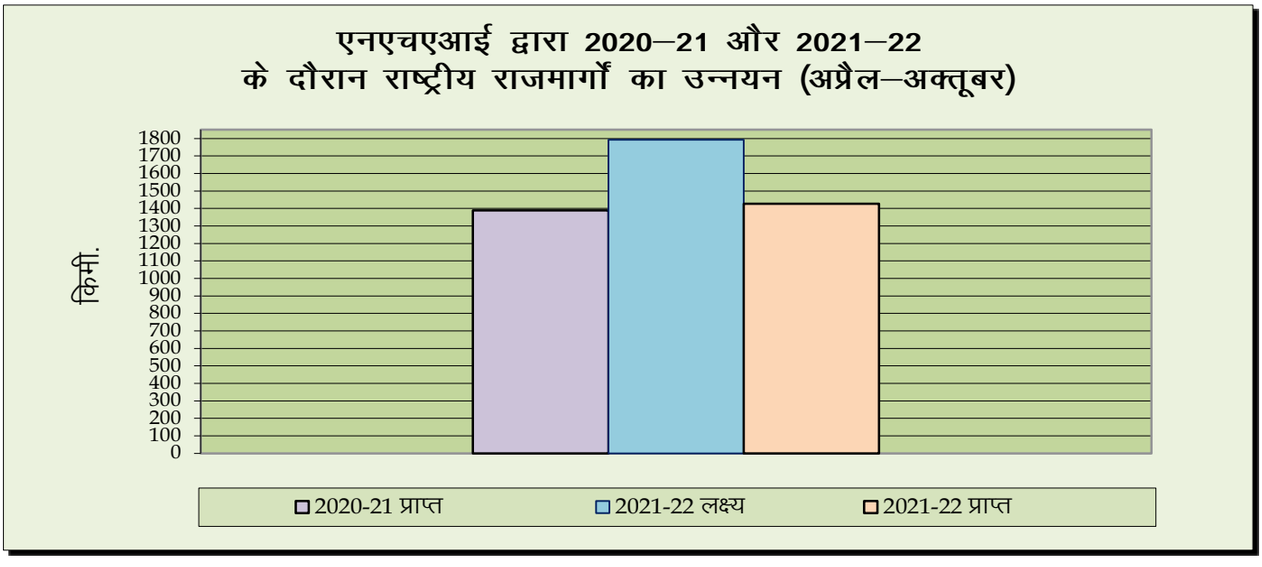

6.43 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1793.00 कि.मी. के लक्ष्य तथा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 1793.00 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में, 1427 .00 कि.मी. राजमार्ग को चौड़ा/सुदृढ़ किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का रुझान निकटवर्ती ग्राफ में दिया गया है। राज्य पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 122.86 कि.मी. को चार/छह/आठ लेन का बनाया, 1011.08 कि.मी. को दो लेन का बनाया और मौजूदा 1163.60 कि.मी. कमजोर पैदल मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया । उन्होंने राजमार्गों के 402 कि.मी. की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया। उन्नयन के एक भाग के रूप में, इस अवधि के दौरान 22पुलों के लक्ष्य के मुकाबले 22 पुलों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण भी किया गया। राजमार्ग को चौड़ा/सुदृढ़ बनाया।

रेलवे

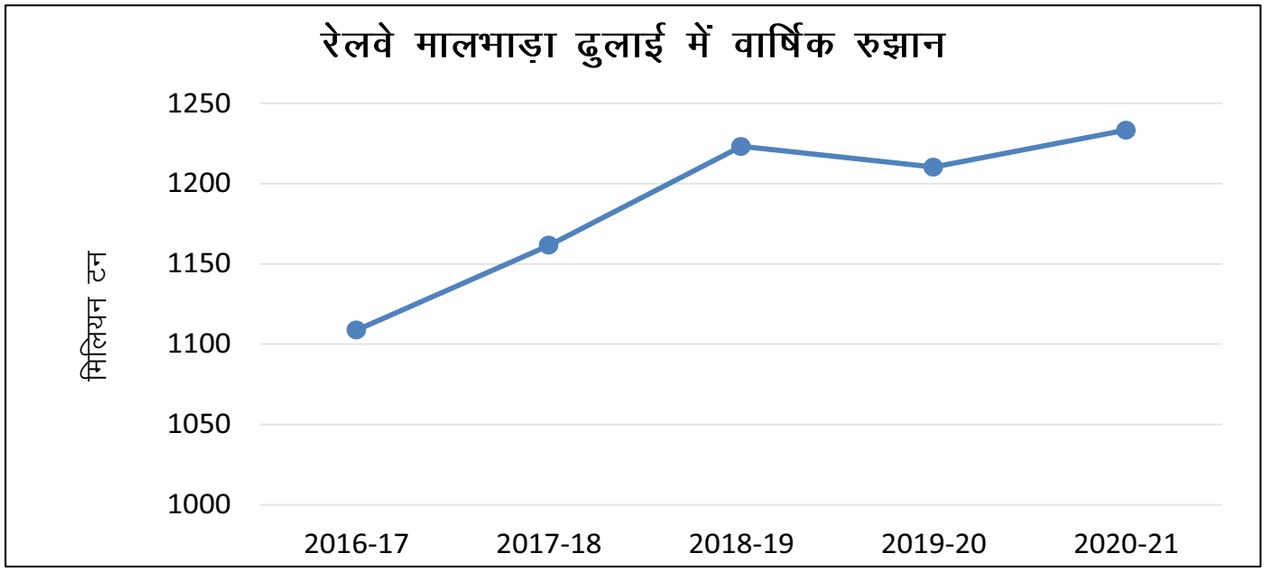

6.44 वर्ष 2020–21 के दौरान रेलवे ने 1233 एमटी राजस्व अर्जक मालभाड़े की ढुलाई की जिससे वर्ष 2019–20 के मालभाड़ा ढुलाई की तुलना में 1.90% की वृद्धि दर्ज हुई लेकिन यह इस वर्ष के 1267 एमटी के लक्ष्य से भी 2.68% कम था। गत पांच वर्षों के दौरान माल भाड़े ढुलाई का वार्षिक रुझान निकटवर्ती चार्ट में दिया गया है।

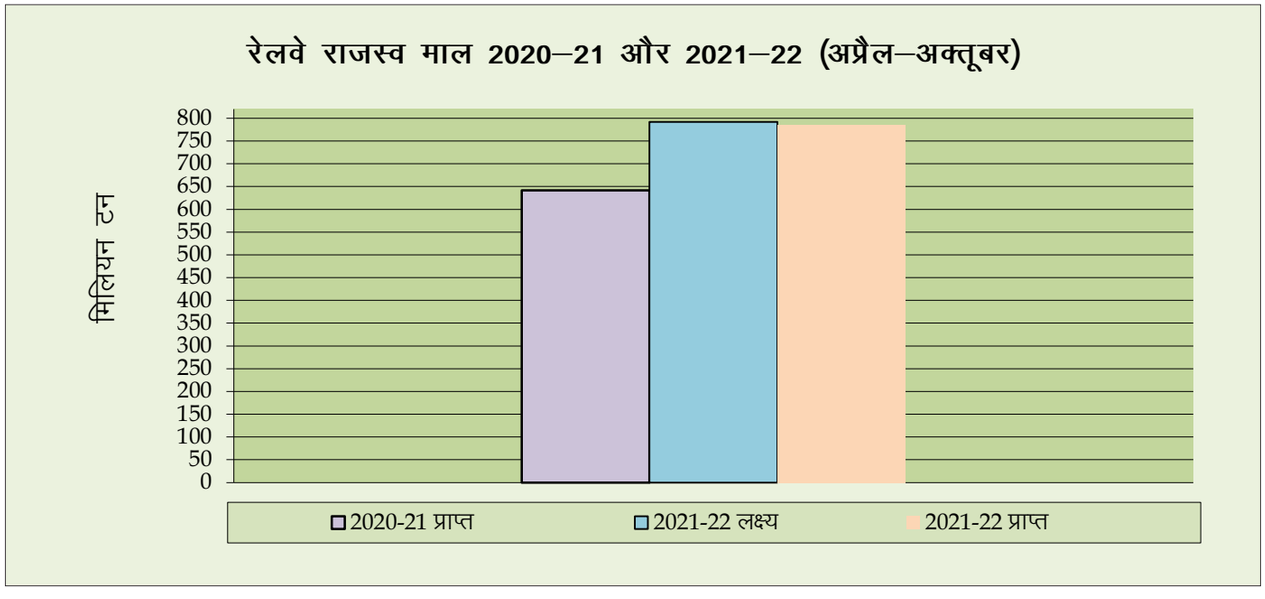

6.45 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान रेलवे द्वारा ढोया गया माल 786.30 एमटी था जो 791.90 एमटी के लक्ष्य से कम था लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 641.93 एमटी माल ढुलाई से क्रमशः 0.71% तथा 22.49% अधिक था। संलग्न चार्ट इस अवधि हेतु लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उपलब्धि की तुलना में रेलवे के कार्य निष्पादन को इंगित करता है ।

पोत परिवहन एवं पत्तन

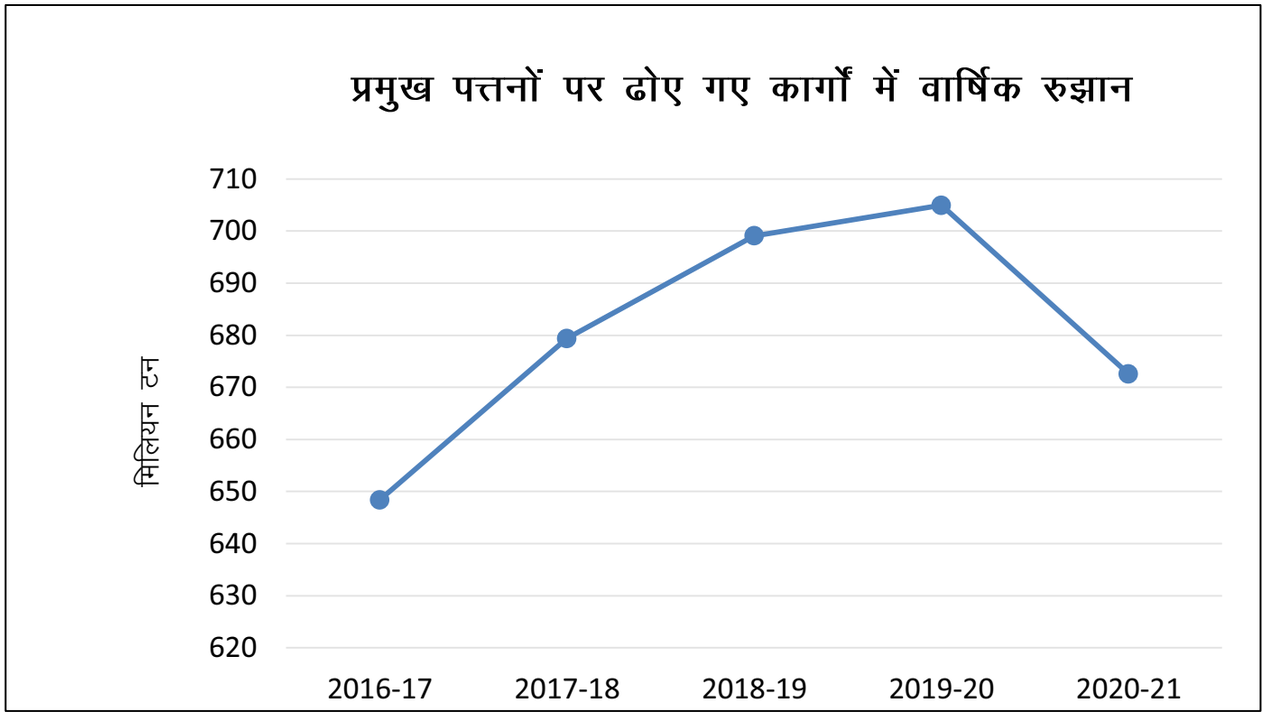

6.46 वर्ष 2020–21 के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों पर 672.60 एमटी कार्गो ढोया गया जो पिछले वर्ष की उपलब्धि से 4.59% कम था। मुख्य बंदरगाहों पर ढोया गया कार्गो का रुझान निकटवर्ती चार्ट में इंगित किया गया है।

6.47 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर 406.98 एमटी कार्गो ढोया गया जिससे पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोये गये 355.160 एमटी कार्गो की तुलना में 14.59% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

6.48 वर्ष 20–21 20 के दौरान, प्रमुख बंदरगाहों पर कोयला (तापीय तथा कोकिंग) की ढुलाई 132.08 एमटी थी जो पिछले वर्ष की 149.31 एमटी ढुलाई की तुलना में 11.54% कम रही । वर्ष 2021–22 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर, कोयले की समग्र ढुलाई 88.49 एमटी थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 66.45 एमटी ढुलाई की तुलना में 25.24% अधिक रही।

नागर विमानन

6.49 वर्ष 2020–21 के दौरान सभी हवाई अड्डों द्वारा 8,48,459 टन निर्यात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य से 18.29% अधिक था तथा वर्ष 2019–20 के दौरान ढ़ोया गया कार्गो से 29.24% कम था। इस अवधि के

दौरान, इन हवाई अड्डों द्वारा 6,72,965 टन आयात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य से 39.42% अधिक था तथा वर्ष 2020–21 के दौरान ढोए गए आयात कार्गो से क्रमशः 16.48% कम था। निकटवर्ती ग्राफ हवाई अड्डे पर कार्गो की ढुलाई संबंधी लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाता है।

इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर 2020–21 और 2021–22 में हेंडल किया गया कार्गो (अप्रैल–अक्तूबर)

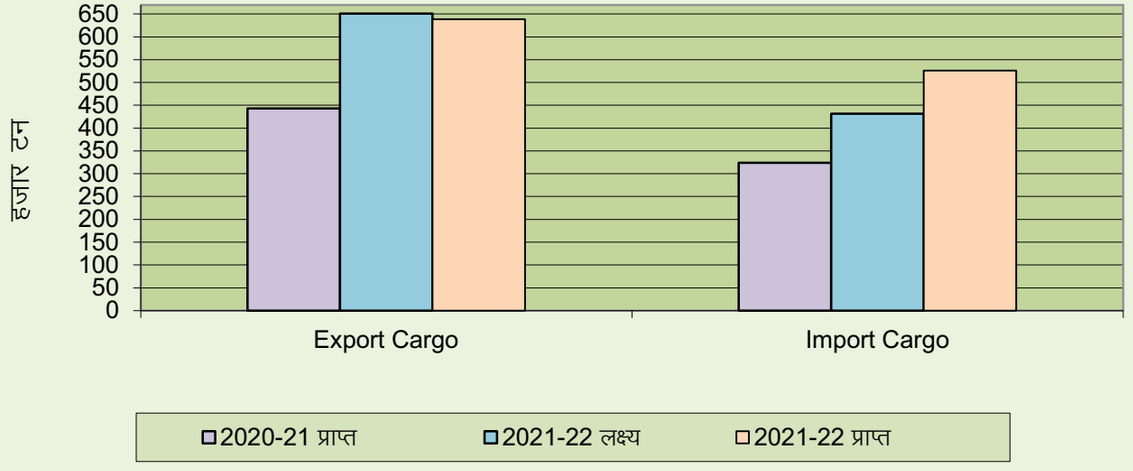

6.50 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर 2021) के दौरान, सभी हवाई अड्डों द्वारा 6,38,664 टन निर्यात कार्गो ढोया गया जो 6,51,269 टन के लक्ष्य से कम लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोया गया 4,42,919 टन निर्यात कार्गो की तुलना में क्रमशः 1.94% तथा 44.19% अधिक था। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान इन हवाई अड्डों द्वारा 5,26,256 टन आयात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य 4,31,921 टन से 22.02% अधिक था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोया गया 3,23,863 टन कार्गो से भी 62.49% कम था।

6.51 वर्ष 2020–21 के दौरान सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 101.28 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो 2019–20 के दौरान यात्रियों और लक्ष्यों से क्रमशः 59.49% और 84.78% कम थे। वर्ष 2021–22 के दौरान, इन हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 1052.51 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्यों से 39.86% कम था और वर्ष 2019–20 के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों से क्रमशः 61.67% कम था।

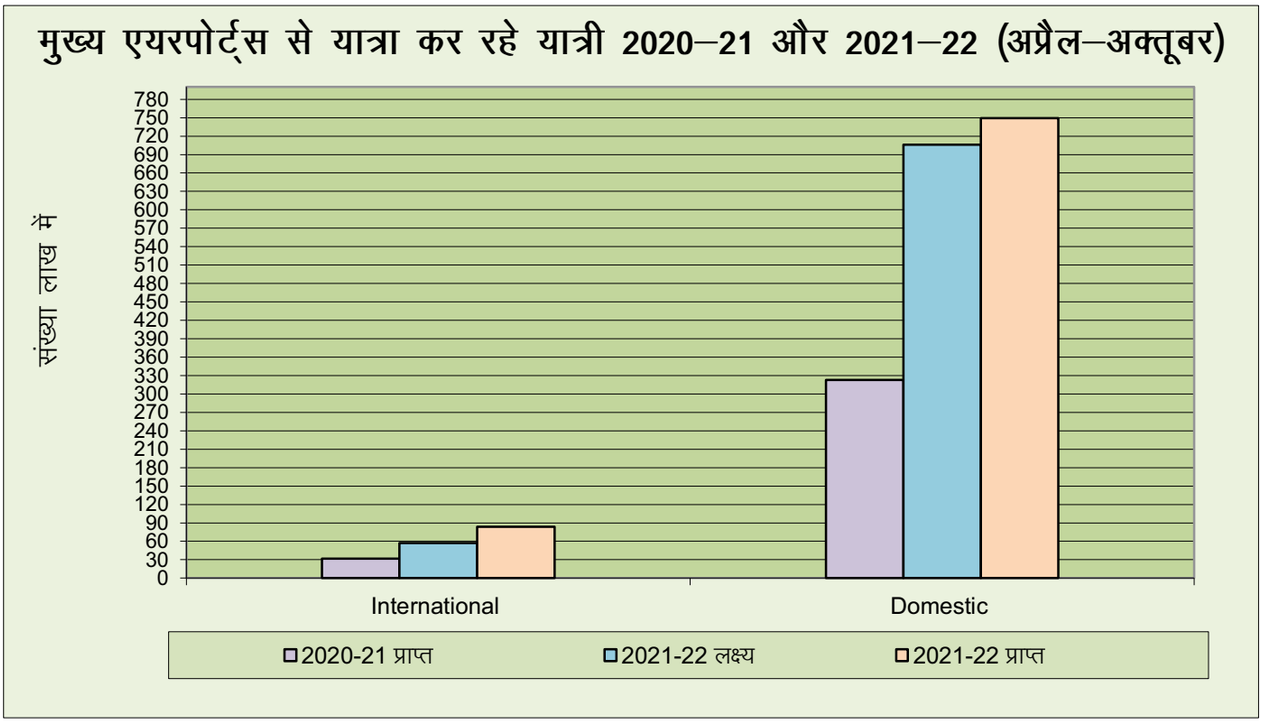

6.52 वर्ष 2021–22 (अप्रैल– अक्तूबर) के दौरान इन हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 83.88 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्य से अधिक था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों से क्रमशः 46.85% तथा 162.29% था। हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 749.184 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो इस अवधि के लक्ष्यों से 6.11% अधिक था और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यात्रियों की आवाजाही के लक्ष्य से 132.10% अधिक था। निकटवर्ती ग्राफ से हवाई अड्डे के यात्रियों की आवाजाही के लक्ष्य और उपलब्धि का पता चलता है।

दूरसंचार

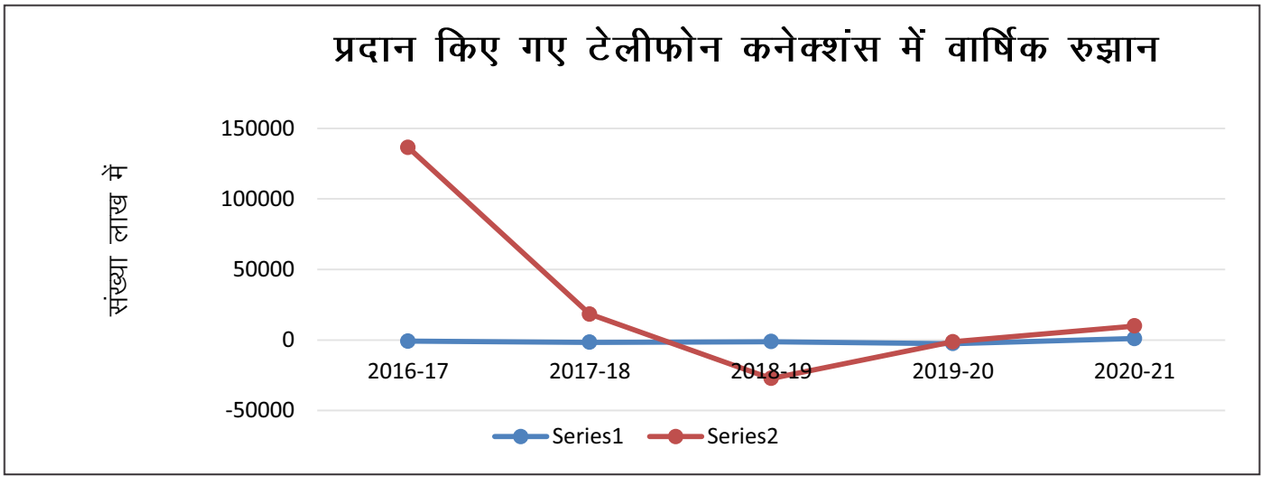

6.53 वर्ष 2020–21 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता में राष्ट्रीय स्तर पर 33.80 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई और 2019–20 के दौरान भी 26.218 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई थी । वर्ष 2020–21 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 15.44 लाख नए नेट फिक्स्ड (वायर्ड) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए और 2019–20 के दौरान 40.55 कनेक्शन प्रदान किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में 2019–20 के दौरान, 25.90 लाख कनेक्शन लौटा दिए गए। वर्ष 2019–0 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 40.55 लाख नए (नेट) सेलफोन (मोबाइल) कनेक्शन लगाई/प्रदान किए तथा वर्ष 2019–20के दौरान भी 245.15 लाख नए सेलफोन कनेक्शन प्रदान किए/जोड़े गए थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में 80.99 लाख कनेक्शन हटाए/डिसकनेक्ट किया गया जबकि 240.83 लाख सेलफोन कनेक्शन लौटाए गए थे। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 66.13 लाख कनेक्शन (फिक्सड़ सेल फोन) सरेंडर किए गए। पिछले पांच वर्षों के दौरान लैंडलाइन तथा सेल फोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी वार्षिक रुझान निकटवर्ती चार्ट में दर्शाया गए हैं।

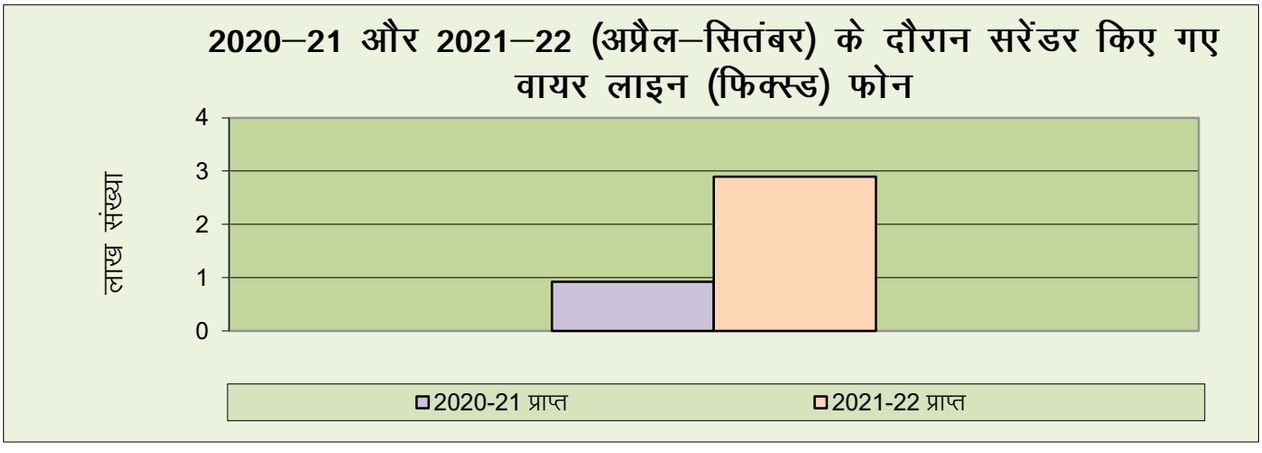

6.54 वर्ष 2021–22 (अप्रैल–सितंबर) के दौरान निजी क्षेत्र पर नए नेट फिक्स्ड (वायर्ड) टेलीफोन कनेक्शन की 18.09 लाख लाइनें दी गई और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 19.74 लाख कनेशन प्रदान/कनेक्टड की गई । पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 10.82 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए साथ ही 10.49 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे। निकटवर्ती ग्राफ वायरलाइन (फिक्स्ड) फोन कनेक्शनों संबंधी उपलब्धियों के रुझान को दर्शाता है।

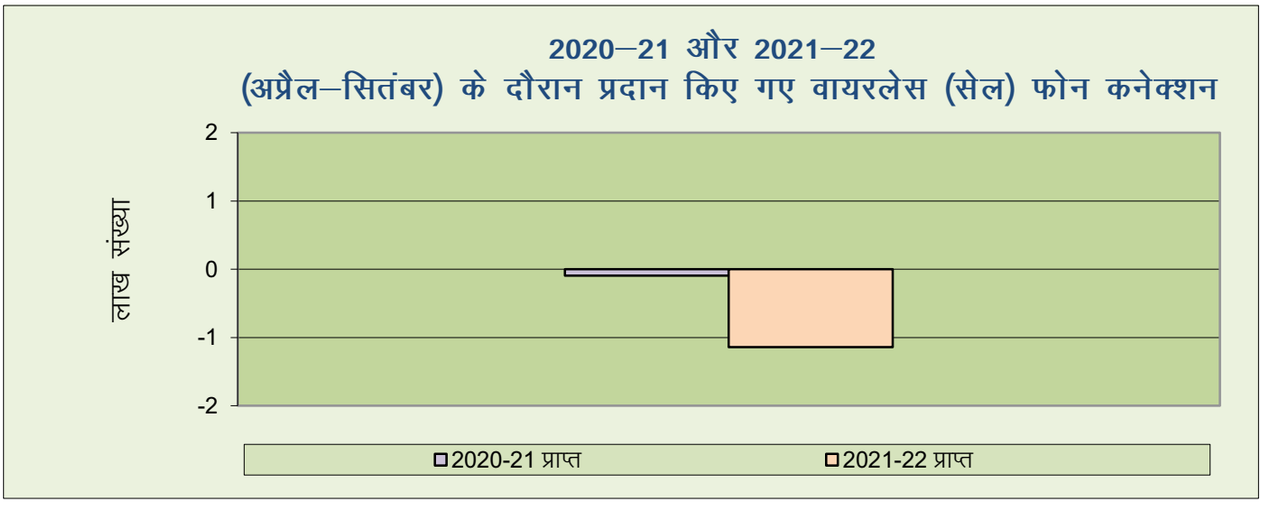

6.55 वर्ष (अप्रैल–सितंबर) 2020 21 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 96.31 लाख नए (नेट) सैलफोन कनेक्शन सरेंडर किए गए थे जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान भी 82.62 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे। इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 49.38 लाख सेल फोन सरेंडर किए और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 9.56 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे। निकटवर्ती ग्राफ वायरलेस (फिक्स्ड) फोन कनेक्शनों संबंधी उपलब्धियों के रुझान को दर्शाता है।

6.56 वर्ष 2021–22 (अप्रैल–सितंबर) के दौरान, कुल 116.78 लाख टेलीफोन कनेक्शन (फिक्स्ड+सेल+ फोनस) कनेक्शन सरेंडर किए गए जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 82.95 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे।

7. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 1993 में शुरू की गई थी ताकि स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने एवं उनके निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में शुरू किए जाने के लिए स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना सहित बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके। शुरूआत में, एमपीलैड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंप दिया गया था। एमपीलैड्स से संबंधित विषय को अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। योजना, दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जा रही है जिन्हें समय–समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। वर्तमान दिशानिर्देश जून, 2016 में जारी किए गए थे।

7.1 एमपीलैड योजना की मुख्य विशेषताएंः

(क) एमपीलैड्स एक केन्द्रीय योजना है जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित की जाती है जिसके अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं।

(ख) योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां अव्यपगत हैं अर्थात किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों को पात्रता के अध्यधीन आगामी वर्षों में ले जाया जाता है। वर्तमान में, प्रति संसद सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक पात्रता ₹5 करोड़ है।

(ग) एमपीलैड्स के अंतर्गत, संसद सदस्य की भूमिका कार्यों को सिफारिश करने तक सीमित है । तत्पश्चात, संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर स्वीकृत, क्रियान्वित और पूर्ण करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का है ।

(घ) निर्वाचित लोक सभा सदस्य कार्यों की सिफारिश अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकते हैं। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन वाले राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देशभर में कहीं भी कार्यों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं।

(ङ) न्यासों/सोसाइटियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.5.1 और पैरा 3.21.5 में उल्लिखित कुछ अपवादों के साथ प्रत्येक न्यास/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए ₹50 लाख की सीमा है। एक संसद सदस्य न्यासों/सोसाइटियों से संबंधित कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों में से एक वित्तीय वर्ष में केवल ₹100 लाख तक की निधियों की सिफारिश कर सकता है।

(च) बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान, बादल फटने, कीटों के आक्रमण, भूस्खलन, रेतीले तूफान, भूकंप, अकाल, सुनामी, आग और जैविक, रासायनिक, विकिरणीय संकटों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के गैर–प्रभावित क्षेत्रों के संसद सदस्य भी उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए ₹ 25 लाख की अधिकतम सीमा तक अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

(छ) देश के किसी भी भाग में गहन प्राकृतिक आपदा (जो भारत सरकार द्वारा निर्णीत और घोषित की गई है) के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकाधिक ₹1 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है। इस मामले में निधियों को प्रभावित राज्य के राज्य नोडल विभाग के संबंधित सांसद अनुमत्य कार्यों के निष्पादन के लिए जारी किया जाएगा क्योंकि इस बारे में दिनांक 26.10.2018 के मंत्रालय के का.ज्ञा. सं सी–19/2017/एमपीलैड्स के संदर्भ में इस बारे में संशोधन किया गया था।

(ज) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की बसावट वाले क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से एमपीलैड्स निधियों का 15% अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों तथा 7.5% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। यदि किसी लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी अपर्याप्त हो तो इस तरह की निधि को अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में और विलोमतः प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी अपर्याप्त हो तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (दोनों को एक साथ रखकर) क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए काम करने की सिफारिश कर सकते हैं लेकिन उनके चुनाव वाले राज्य के भीतर।

(झ) यदि एक निर्वाचित संसद सदस्य अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर अथवा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा दोनों हेतु एमपीलैड्स निधियों का योगदान देने की आवश्यकता महसूस करता है तो सांसद इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में पात्र कार्यों के लिए अधिकाधिक ₹ 25 लाख तक की सिफारिश कर सकता है। संसद सदस्य के यह भाव लोगों में राष्ट्रीय एकता, सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को बुनियादी स्तर पर बढ़ावा देगा ।

(ञ) संसद सदस्य तिपहिया साइकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित/मोटर चालित), मोटर चालित/बैटरी संचालित पहिएदार कुर्सी तथा कृत्रिम अंगों और दृष्टि एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सहायता/सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सहायतार्थ प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 20 लाख तक सिफारिश कर सकता है ।

(ट) संसद सदस्य सहायता–प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों और स्कूलों के मामले में जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथा कॉलेजों के मामले में जो राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हों और छात्रों से व्यावसायिक शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हों। इस प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सभी अनुमत्य मदों के लिए बिना किसी उच्चतम सीमा के एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं। सहायता–प्राप्त और गैर–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं और न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं। संबंधित शिक्षण संस्थान का संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष दिशानिर्देशों के तहत न्यासों/सोसाइटियों पर लगाई गई अधिकतम सीमा अर्थात ₹50 लाख की शर्त लागू होगी (पैरा 3.21)।

(ठ) ऊर्जा किफायती सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों, शवदाहगृहों और कब्रिस्तानों/शवदाह भूमियों पर निर्माणों तथा सामुदायिक प्रयोग के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को भी अन्य बातों के

साथ–साथ दिशानिर्देशों के अनुबंध IV (ई) के सेक्टर VI और VII में शामिल किया गया है । स्टेबल क्लियरिंग और सूपर सीडर मशीनों की खरीद कुछ शर्तों की पूर्ति के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत भी अनुमेय है।

(ड) संसद सदस्य 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी योजना जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए निधियों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(ढ) संसद सदस्य शैक्षणिक संस्थानों, गांवों और चुनिंदा स्थलों पर वाई–फाई प्रणाली की संस्थापना के लिए कुछ शर्तों के अधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं। कुछ शर्तों के अधीन लैपटॉप की खरीद, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अनुमेय है।

(ण) एमपीलैड योजना के उद्देश्य से प्रत्येक सांसद के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां जिला प्रशासनों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों (आईडीबीआई बैंकों सहित)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंकों), जो उनके प्रायोजक के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं, में जमा कराई जाती हैं।

(त) एमपीलैड योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों और क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों की भूमिका एमपीलैड संबंधी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।

7.2 प्रभाव

प्रारंभ से ही योजना ने स्थानीय लोगों को उनकी विभिन्न विकासात्मक प्रकृति की आवश्यकताओं जैसे पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर परंपरागत ऊर्जा, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड/स्टाप, सड़कें, फुटपाथ और पुल, खेल इत्यादि को पूरा करके उन्हें लाभान्वित किया है। इन कार्यों को एमपीलैड्स दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है।

7.3 योजना का निष्पादन

7.3.1 वास्तविक निष्पादन

योजना की शुरूआत से अर्थात जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के संकलन; 30.11.2021 की स्थिति के अनुसारः

- योजना की शुरूआत से 24,69,479 कार्यों की सिफारिश की गई है ।
- योजना की शुरूआत से 2191672 कार्य स्वीकृत किए गए ।
- योजना की शुरूआत से 1988761 कार्य पूरे किए गए ।

7.3.2 योजना की शुरूआत से स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूरे किए गए कार्यों का प्रतिशत 90.74 है।

7.3.3 वर्तमान वित्त वर्ष में, कुल 14858 कार्यों की अनुशंसा की गई, 13935 कार्य स्वीकृत किए गए (पिछले वर्षों के दौरान अनुशंसित किए गए कार्यों सहित) और 22196 कार्य पूरे किए गए (पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए कार्यों सहित)।

7.3.4 वित्तीय निष्पादन (शुरुआत से और 30–11–2021 तक)

- योजना की शुरूआत से कुल ₹ 55809.75 करोड़ जारी किए जा चुके हैं ।
- योजना की शुरूआत से व्यय के ₹54243.36 करोड़ उपगत किए गए हैं ।
- योजना की शुरूआत से लेकर 30.11.2021 तक जारी निधियों की तुलना में व्यय का प्रतिशत 97.19 है ।
- इस मंत्रालय के व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 08.04.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई–4/2020–एमपीलैड्स (भाग II) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एमपीलैड्स योजना को परिचालित न करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप एमपीलैड योजना के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बजटीय परिव्यय को आर्थिक और कोविड –19 का प्रसार होने के कारण आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया है ।
- तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड योजना की बहाली और वित्त वर्ष 2025–26 तक एमपीलैड को जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिनांक 10.11.2021 को दी थी और इसकी सूचना दिनांक 25.11.2021 के इस मंत्रालय के परिपत्र सं. सी–22/2021–एमपीलैड्स के माध्यम से जिला प्राधिकारियों और माननीय लोक सभा और राज्यसभा के सांसदों को दी गई है।

7.3.5 योजना की शुरूआत से, इसके अंतर्गत वर्ष–वार जारी की गई निधि नीचे दी गई है:

वर्ष	जारी की गई निधियां (₹ करोड़ में)	जारी संचयी निधि (₹ करोड़ में)
1993-1994	37.80	37.80
1994-1995	771.00	808.80
1995-1996	763.00	1571.80
1996-1997	778.00	2349.80
1997-1998	488.00	2837.80
1998-1999	789.50	3627.30
1999-2000	1390.50	5017.80
2000-2001	2080.00	7097.80
2001-2002	1800.00	8897.80
2002-2003	1600.00	10497.80
2003-2004	1682.00	12179.80

2004-2005	1310.00	13489.80
2005-2006	1433.90	14923.70
2006-2007	1451.50	16375.20
2007-2008	1470.55	17845.75
2008-2009	1580.00	19425.75
2009-2010	1531.50	20957.25
2010-2011	1533.32	22490.57
2011-2012	2507.68	24998.25
2012-2013	3722.00	28720.25
2013-2014	3937.00	32657.25
2014-2015	3350.00	36007.25
2015-2016	3502.00	39509.25
2016-2017	3499.50	43008.75
2017-2018	3504.00	46512.75
2018-2019	3949.50	50462.25
2019-2020	3640.00	54102.25
2020-2021	**1107.5**	**55209.75**
2021-2022 (नवंबर 2021 तक)	**600**	**55809.75**

7.3.6 योजना का तुलनात्मक निष्पादनः

विभिन्न समयावधियों पर तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	2019-20	2020-21
अवधि के दौरान जारी निधि (₹करोड़ में)	3640.00	1172.5
अवधि के दौरान व्यय की गई निधि (₹ करोड़ में)	2491.45	2041.66
जारी निधि की तुलना में निधि का उपयोग (% में)	68.44	174.12
कार्यों की स्वीकृति (संख्या में)	53365	13935
कार्यों का समापन (संख्या में)	62236	22196

7.3.7 एमपीलैड्स योजना की बहाली और निरंतरता

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एमपीलैड्स योजना को केंन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में संचालन न करने के लिए कोविड–19 के प्रतिकूल आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का प्रबंधन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक बजटीय परिव्यय को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया है। तत्पश्चात, मंत्रालय को माननीय सांसदों और अन्य हितधारकों से एमपीलैड्स की बहाली के लिए अनुरोध करने वाले कई संदर्भ/अनुरोध प्राप्त हुए। अतः दिनांक 10–11–2021 को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड योजना को बहाल कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2025–26 तक एमपीलैड जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए अर्थात दिनांक 10–11–2021 से 31–03–2022 तक के लिए, मंत्रालय मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी करने के लिए मानदंडों को पूरा करने पर एक किस्त में प्रति सांसद ₹ 2 करोड़ की दर से एमपीलैड्स निधियां जारी करेगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 की अवधि के दौरान, मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, प्रति संसद सदस्य (एमपी) की वार्षिक पात्रता ₹ 5 करोड़ रहेगी, जो प्रत्येक ₹2.5 करोड़ की दो किस्तों में जारी की जाएगी। इसकी सूचना इस मंत्रालय के एमपीलैड्स पोर्टल पर दिनांक 25.11.2021 के परिपत्र सं. सी–22/2021–एमपीलैड्स के माध्यम से जिला प्राधिकारियों और माननीय सांसदों को दी गई है।

7.4 एमपीलैड योजना संबंधी एकीकृत सॉफ्टवेयर

एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइट को आधुनिक प्रौद्योगिकी मंच पर निहित सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया गया है। यह नई वेबसाइट राज्य और जिला अधिकारियों को एमपीलैड्स योजना की प्रभावी और कुशल निगरानी तथा पर्यवेक्षण में सहायता प्रदान करेगी।

नया एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही पर भी बल देता है तथा ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। एमपीलैड्स वेबसाइट **www.mplads.gov.in** निम्नलिखित रिपोर्टें/सुविधाएं प्रदान करती हैं:

- निधि निर्मोचन की निर्मुक्ति संबंधी विवरण (राज्यवार, सांसद वार और तिमाही)
- व्यय रिपोर्ट (सारांश और राज्यवार विवरण)
- प्राथमिकता क्षेत्र रिपोर्टें (क्षेत्रवार और राज्यवार)
- प्रोफाइल (राज्य और जिला प्रोफाइल)
- नागरिक सुझाव
- एमपीलैड्स दिशानिर्देश एवं परिपत्र
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- दस्तावेज प्रारूप
- कार्य निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) रिपोर्ट

- वार्षिक रिपोर्टें
- पॉकेट–बुक

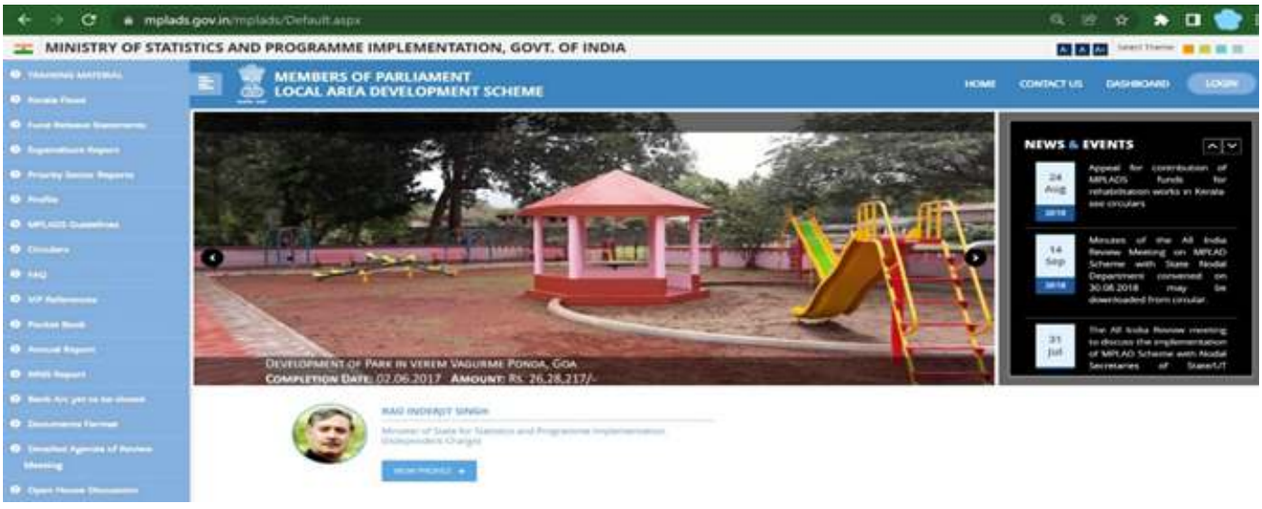

नया एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करता रहा है:

- अंतर–सरकारी जी2जी समाधान लोक सभा और राज्य सभा पोर्टल से सदस्यों के विवरण को स्वतः शामिल करने सहित जिला और मंत्रालय स्तर पर निधियों के यथासमय उपयोग के लिए लघु/बृहत (कार्यों, निर्मुक्ति और व्यय) स्तर पर रिपोर्टिंग और निगरानी सुनिश्चित करता है ।

- नागरिक केन्द्रित सी2जी समाधान लोक सुझावों का संसद सदस्यों की ऑनलाइन सिफारिशों में रुपांतरण उपलब्ध कराता है तथा सदस्यों और जिला प्राधिकारियों के बीच मैसेजिंग/ब्लॉग, ऑफलाइन संचार भी प्रदान करवाएगा ।

- सभी हितधारकों– संसद सदस्यों, जिलों, राज्यों, मंत्रालय और आम जनता के लिए एकल संदर्भ बिंदु ।

- नोडल जिलों और कार्यान्वयन कर रहे जिलों में उपलब्ध कुल शेष धनराशि का पता लगाया जाता है, इस प्रकार जिलों में उपलब्ध उपयोग न की गई निधियों की यथासमय निगरानी सुनिश्चित की जाती है ।

- किसी परियोजना की समस्त महत्वपूर्ण उपलब्धियां जैसे कि परियोजना स्वीकृति, निधियों की निर्मुक्ति आदि के संबंध में ई–मेल की सहायता से आवश्यक सचेतक/सूचना प्रदान की जाती है ।

इस पोर्टल के माध्यम से, जिलों (नोडल प्राधिकारियों) में कार्य प्रवाह प्रणाली स्थापित की गई है तथा इसे भारत सरकार की निर्मुक्ति प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। वास्तविक समय आधार पर नियमित रूप से अद्यतन किए जाने पर, स्वीकृति आदेश और मासिक प्रगति रिपोर्ट स्वचालित रूप से तैयार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एमपीआर की ऑनलाइन उपलब्धता ने अन्य अपेक्षित पात्र दस्तावेजों की उपलब्धता के अध्यधीन निधियों की यथासमय निर्मुक्ति को सुसाध्य बनाया है।

7.5 निगरानी

- राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई गहन समीक्षा तथा दौरों के फलस्वरूप एमपीलैड्स के कार्यान्वयन में सुधार हुआ है ।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों को जारी करने और योजना के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के संबंध में वार्षिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से राज्य नोडल विभागों के सचिवों के साथ आयोजित की जाती है ।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। मंत्रालय नई विकसित एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइटों को क्रियाशील बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ।

बाह्य एजेंसियों द्वारा वास्तविक निगरानी से योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों में सहायता मिली है। एमपीलैड योजना के क्रियान्वयन में समग्र सुधार का श्रेय वर्षों के दौरान प्राप्त सामंजस्य तथा प्रचालनात्मक अनुभव, सामुदायिक सहभागिता तथा निगरानी को जाता है।

7.6 एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का संशोधन और एमपीलैड्स पोर्टल में सुधार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को संशोधित करने और मुख्य धारा में लाने तथा एमपीलैड्स पोर्टल में सुधार करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को नीति आयोग, नई दिल्ली में 'एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का प्रस्तावित संशोधन और एमपीलैड्स पोर्टल का पुनरुद्धार' पर एक दिवसीय इंटरैक्टिव कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राव इंद्रजीत सिंह ने की थी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली राज्यों में एमपीलैड्स के कार्यों को संभालने वाले अधिकारियों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रतिभागियों ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया

और अपने बहुमूल्य इनपुट, मत, विचार और अनुभव साझा किए। कार्यशाला बहुत ही उपयोगी और लाभदायक थी। प्रतिभागियों के सुझावों और फीडबैक से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को मुख्य धारा में लाने और एमपीलैड्स पोर्टल का सुधार करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

8. राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग (राजभाषा)

8.1 संघ की राजभाषा नीति के अनुसार और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने प्रभागों/अनुभागों तथा सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रुप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार करने के लिए निरंतर और ठोस प्रयास कर रहा है । मंत्रालय का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 में यथा निर्धारित सांविधिक उपबंधों एवं नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और देख–रेख के लिए उत्तरदायी है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में विभिन्न चेक पॉइंट विकसित किए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

8.2 संयुक्त सचिव (प्रशासन), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुपालन और हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही समीक्षा करती है। मंत्रालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही और वार्षिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं। वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण, वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई और बैठकों के कार्यवृत्त ऑनलाइन जारी किए गए।

राजभाषा निरीक्षण

8.3 राजभाषा अनुभाग के अधिकारी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति के साथ–साथ राजभाषा नीति का जायजा लेने के लिए सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का समय–समय पर निरीक्षण करते हैं और उनमें पाई गई त्रुटियों पर आवश्यक निर्देश देते हैं।

इस वर्ष मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों/प्रभागों का निरीक्षण किया गयाः

(i) आईएसआई मुख्यालय, कोलकाता

(ii) आईएसआई, दिल्ली केंद्र

(iii) एनएसओ, (एस.आर.ओ.), वाराणसी

(iv) एनएसओ, (आर.ओ.), लखनऊ

(v) एनएसओ, (जेड.ओ.), लखनऊ

(vi) प्रशिक्षण यूनिट, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय

(vii) एनएसएसटीए, ग्रेटर नोएडा

(viii) प्रशासन–II अनुभाग, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय

(ix) पीआईजीआर/आरटीआई अनुभाग, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय

(x) सतर्कता अनुभाग, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय

(xi) अंतर, अंतरा और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय अनुभाग(आईआईआईसीयू), सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय

(xii) समन्वय और संसद अनुभाग, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

8.4 पिछले वर्षों की तरह, दिनांक 14–28 सितंबर, 2021 की समयावधि को "हिन्दी पखवाड़े"के रूप में मनाया गया । कार्यालयी काम काज में हिन्दी प्रयोग करने हेतु मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय गृह मंत्री और कैबिनेट सचिव के संदेश ई–ऑफिस पोर्टल पर प्रसारित और प्रदर्शित किए

गए । इस संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव द्वारा एक अपील जारी की गई थी। मंत्रालय के विभिन्न भवनों में हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्यांशों को दर्शाने वाले बैनर भी प्रदर्शित किए गए थे।

पखवाड़ा के दौरान, मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और कई अधिकारियों और पदाधिकारियों ने इन प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। मंत्रालय के कुल 21 विजेता प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों में सांख्यिकी और कार्य. कार्या. मंत्रालय के सचिव के साथ–साथ महानिदेशक (सी और ए) और संयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2021 को हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2021 में

नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिन्दी में मूल टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना इस वर्ष भी जारी रही।

राजभाषा पर संसदीय समिति

8.5 क्रमशः दिनांक 16 अगस्त, 2021, 26 अक्टूबर, 2021 और 31 दिसम्बर, 2021 को संसदीय राजभाषा की तीसरी उप–समिति द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केन्द्र, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गुवाहाटी का क्षेत्रीय कार्यालय और राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, गंगटोक का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशासन) ने सहायक निदेशक (राजभाषा) के साथ इस बैठक में हिस्सा लिया।

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सीओएलआईसी)

8.6 मंत्रालय ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में आयोजित की गई केंद्रीय सचिवालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सीओएलआईसी) की बैठक का प्रतिनिधित्व भी किया और समिति द्वारा इंगित की गयी सभी त्रुटियों के संबंध में ध्यान देने के लिए मंत्रालय के सभी संबंधितों को आदेश जारी किए गए।

हिन्दी सलाहकार समिति

8.7 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन दिनांक 12 अक्तूबर, 2021 को किया गया है और भारत के राजपत्र, भाग–I, संस्करण 2 में दिनांक 28 अक्तूबर, 2021 को प्रकाशित किया गया है। इस समिति में कुल 30 सदस्य हैं जिसमें सरकारी और गैर–सरकारी सदस्य और लोक सभा और राज्य सभा के 6 माननीय सांसद शामिल हैं और माननीय मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं।

हिन्दी प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं

8.8 मंत्रालय के प्रशासन प्रभागों से 30.11.2021 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी अधिकारी/कर्मचारी या तो हिंदी में प्रवीण हैं या उन्हें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। सभी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं। मंत्रालय में सभी आशुलिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी हिंदी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षित हैं। "हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा कैसे भरें" पर भी दिनांक 27 सितंबर, 2021 को मंत्रालय में कार्यशाला आयोजित की गई और अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ इन कार्यशालाओं में भाग लिया।

डीआईआईडी में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का कार्यान्वयन

8.9 संघ की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपर महानिदेशक डीआईआईडी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति हिंदी की प्रगति और राजभाषा अधिनियमों और इसके अंतर्गत नियमों के अनुपालन की समीक्षा करती है । प्रत्येक तिमाही में, इस समिति की बैठकों का सफल आयोजन किया गया। डीआईआईडी के कर्मचारियों/अधिकारियों को राजभाषा और संबंधित नीतिगत मामलों का कार्य साधक ज्ञान प्रदान करने के लिए 2021–22 के दौरान कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय में सितंबर 2021 में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिंदी में मूल कार्य के लिए राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना इस साल भी जारी रही ।

9. अन्य कार्यकलाप

9.1 मंत्रालय का सतर्कता अनुभाग, संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रभागीय प्रमुख के रूप में निम्नलिखित कार्यों को संभालते हैं:

- ग्रुप 'क','ख' और 'ग' अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मामले जैसे, भ्रष्टाचार के मामले, कदाचार और ईमानदारी की कमी;

- विविध उद्देश्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता निकासी पर काम करना/जारी करना;

- केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1964 का कार्यान्वयन;

- प्रोबिटी पोर्टल पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सतर्कता मामलों की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

9.2 सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित कार्यकलापों का भी संचालन करता है:–

- प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इसे सुव्यवस्थित बनाना जिसमें भ्रष्टाचार या कदाचार से निपटने के प्रावधान शामिल हों तथा भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए अन्य उपाय खोजना एवं मंत्रालय तथा इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को दण्डित करना;

- संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति।

9.3 व्यक्तियों तथा अन्य संगठनों यथा सीबीआई/सीवीसी/प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित प्रशासनिक प्रभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। आरंभिक जांच–पड़ताल शिकायतों के गुण–दोष का पता लगाने के लिए की जाती है और यदि शिकायतों का कोई आधार पाया जाता है तो उन पर नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

9.4 वर्ष 2021–22 (अप्रैल 2021–नवंबर 2021) के दौरान 19 नई शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु जांच की गई । पूर्वोक्त अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग में 12 अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी मामलों पर कार्रवाई की गई जो छानबीन/जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

9.5 इस अवधि (अप्रैल 2021–नवंबर 2021) के दौरान, कोई प्रमुख या सूक्ष्म चार्जशीट जारी नहीं की गई है।

9.6 उपर्युक्त के अतिरिक्त, संघ लोक सेवा आयोग/सीवीसी से परामर्श कर कोई छोटी शास्ति नहीं लगाई गई तथापि, 4 अनुशासनात्मक मामले में बड़ी शास्ति लगाई गई है।

9.7 वर्ष 2021–22 के दौरान, लगभग 2215 सतर्कता निकासी मामलों पर कार्रवाई की गई/जारी किए गए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 08 आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील प्राप्त की गई और उनका निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटान किया गया।

9.8 26–10–2021 से 01–11–2021 की अवधि के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। यह शपथ ग्रहण समारोह के साथ आरंभ हुआ। इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय ''स्वतंत्र भारत @75; ईमानदारी से आत्मनिर्भरता''

था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने से संबंधित बैनर मंत्रालय में प्रमुख जगहों पर लगाए गए । नस्टा में दिनांक 27/10/2021 को रोकथाम सतर्कता पर एक संगोष्ठी आयोजित की गयी थी । संगोष्ठी का उद्घाटन सचिव (कार्यक्रम और कार्यान्वयन) के संबोधन से किया गया । सीवीसी और आईएसटीएम से अतिथि वक्ता ने भी संगोष्ठी का संबोधन किया।

लोक शिकायत निवारण

9.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का जनसाधारण से संपर्क नगण्य है । तथापि, इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी (लोक शिकायत) के पर्यवेक्षण में एक शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है। शिकायतें मंत्रालय के जन शिकायत पोर्टल या विभिन्न नोडल एजेंसियों जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) आदि से प्राप्त होती हैं। मंत्रालय के नोडल अधिकारी द्वारा मंत्रालय के पी. जी. पोर्टल के माध्यम से जन शिकायत (सीपीजीआरएएमएस) और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (सीपीईएनजीआरएएमएस) की नियमित रुप से निगरानी की जाती है। 01 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, 45 शिकायतें लंबित थीं। वर्ष 1 दिसंबर, 2020 से लेकर 30 नवंबर, 2021 तक के दौरान कुल 884 शिकायतें प्राप्त की गईं और 853 शिकायतों का निपटान किया गया। सभी पूर्वोक्त मामलों के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों/प्रभागों को शीघ्र निपटान के लिए अनुस्मारक के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, उपरोक्त अवधि के दौरान "कोविड–19" श्रेणी से संबंधित कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी 45 शिकायतों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सुलझा लिया गया है।

सूचना का अधिकार संबंधी मामले

9.10 सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन/पहली अपील सामान्यतः पीआईजीआर अनुभाग में प्राप्त किए जाते हैं और तब इन्हें निपटान हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को भेजा जाता है। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 37 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा उपसचिव/निदेशक स्तर के एक आरटीआई नोडल अधिकारी को नामित किया है। मंत्रालय ने 83 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को भी मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नामित किया है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) कोलकाता के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा एक सीपीआईओ नामित किया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 1 दिसंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक 12 माह की अवधि में प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की संख्या इस प्रकार हैः

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत 1 दिसम्बर, 2020 से लेकर 30 नवंबर, 2021 तक के दौरान प्राप्त अनुरोध/अपील की संख्या

क्रम सं.	माह का नाम	अनुरोध/आवेदन				अपील			
		सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित	सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित
1	20-दिसंबर	227	151	238	140	90	10	7	93
2	21-जनवरी	140	115	148	107	93	9	10	92
3	21-फरवरी	107	147	106	148	92	14	7	99
4	21-मार्च	148	101	154	95	99	13	17	95
5	21-अप्रैल	95	103	98	100	95	8	10	93
6	21-मई	100	174	106	168	93	13	9	97
7	21-जून	168	205	218	155	97	10	20	87
8	21-जुलाई	155	219	196	178	87	11	11	87
9	21-अगस्त	178	253	183	248	87	6	9	84
10	21-सितंबर	248	128	249	127	84	12	37	59
11	21-अक्टूबर	127	85	119	93	59	3	27	35
12	21-नवंबर	93	104	96	101	35	5	16	24
	कुल	**227***	**1785**	**1911**	**101****	**90***	**114**	**180**	**24****

सीएफ : पिछले माह के लंबित से अग्रेषित (कैरी फारवार्ड)

प्राप्त : माह के दौरान प्राप्त

निपटान : माह के दौरान निपटाए गए

* : 01 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार अग्रेषित लंबित

* : 30 नवंबर, 2021 को लंबित

सामान्य अनुभाग :

9.11 कार्य: सामान्य प्रशासन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालयों के संचालन और सुचारू कार्यकरण में सहायता प्रदान करता है।

9.12 स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छ भारत मिशन के सफल कार्यान्वयन और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सांखयिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समग्र प्रयास कर रहा है तथा समय–समय पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाता रहता है।

9.13 ई–अधिप्रापण: निविदा की ई–अधिप्रापण और ई–प्रकाशन विधि मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्ण रूप से प्रचलन में है।

9.14 सरकारी ई–मार्केट प्लेस: जीईएम के तहत उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के प्रापण हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। उत्पादों और सेवाओं का प्रापण पूर्ण रूप से प्रचलन में है तथा जीईएम पर उपलब्ध सभी उत्पादों एवं सेवाओं का प्रापण जीईएम के माध्यम से किया जा रहा है।

9.15 ई–ऑफिस परियोजनाः– सरकारी प्रकिया और सेवा प्रदान करने के तंत्र की तत्परता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मॉड परियोजना में ई–ऑफिस परियोजना शामिल है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने फिजिकल फाइलों का 100% तक डिजीटलीकरण कर लिया है।

9.16 कोविड–19: कोविड –19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. सभी कमरों सहित कार्यालय परिसर का नियमित रूप से सेनिटाईजेशन।

ख. पर्याप्त स्थानों पर सेनिटाईजेशन शिविर की स्थापना।

ग. इस मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों की एक टीम को दैनिक आधार पर कार्यालय परिसर के नियमित सेनिटाईजेशन की निगरानी करने के लिए गठित किया गया।

घ. कोविड–19 के लिए जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना।

9.17 ऑनलाइन स्टेशनरी प्रबंधन प्रणाली: उपयोग, रिकॉर्ड और भावी आवश्यकताओं पर नजर रखने के लिए सभी कर्मचारियों को स्टेशनरी ऑनलाइन स्टेशनरी प्रबंधन प्रणाली के जरिए जारी की जा रही है।

9.18 पीएफएमएस: सभी भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी किए जा रहे हैं और किसी भी विक्रेता या कर्मचारी को कोई नकद भुगतान नहीं किया जा रहा है।

9.19 ईएचआरएमएस: मानव सम्पदा (किसी भी सरकार, संगठन या कंपनी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानव पूंजी के लिए उचित नाम) सरकारी क्षेत्र के लिए एक मानक आईसीटी समाधान है, जो कर्मियों के प्रबंधन से संबंधित राज्य सरकारों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करता है। मानव सम्पदा का पहला और मूल उद्देश्य इलेक्ट्रोनिक सेवा रिकार्ड के माध्यम से कर्मियों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य/केंद्र सरकार के संगठनों को एक सामान्य उत्पाद आधारित समाधान प्रदान करता है। यह कर्मचारियों की सटीक संख्या, सेवानिवृत्ति के पैटर्न, नियोजन भर्ती के लिए आने वाले वर्ष में अतिरिक्त आवश्यकताओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए धन की आवश्यकता, राज्य के भीतर अन्य विभागों/संगठनों को अधिशेष कर्मचारियों का पुनः आवंटन, एसीआर/संपत्ति वापसी की स्थिति, वरिष्ठता सूची आदि को जानने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुख्यालय के कर्मचारियों के नामांकन की प्रगति 100% तक पहुँच गयी है।

9.20 आजादी का अमृत महोत्सव: माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस संबंध में एक सप्ताह 27 जून से 3 जुलाई, 2022 तक इस मंत्रालय को आबंटित किया गया है। इस सप्ताह के दौरान, वार्षिक 'सांख्यिकी दिवस' मनाने के अलावा आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित कुछ अन्य कार्यकलाप भी पंक्तिबद्ध हैं। आबंटित सप्ताह के दौरान प्रदर्शित किए गए कार्यकलापों के अतिरिक्त, मंत्रालय में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उत्सव के एक भाग के रूप में एक साल के कार्यकलाप की भी योजना बनाई गई है। ये कार्यकलाप सीपीआई के संकलन, आजादी से डाटा संग्रहण/प्रसार में उपलब्धि और प्रगति, एनएसओ के कार्य और स्वतंत्र भारत में उसका योगदान, एफओडी की भूमिका, एनएसओ और जन सहयोग के महत्व पर संगोष्ठी/वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। वर्षभर के उत्सव के दौरान कुछ प्रकाशन जारी किए जाने का भी प्रस्ताव है। ये प्रकाशन हैं एनवी स्टैट्स इंडिया संस्करणः पर्यावरण सांख्यिकी, 2021 भारत में महिला और पुरूष, सतत विकास लक्ष्य–राष्ट्रीय सूचकांक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, 2022, राष्ट्रीय सूचकांक रूपरेखा–2022, उप–राष्ट्रीय स्तर के एसडीसी पर अनुवीक्षण रूपरेखा पर मार्गदर्शन, उर्जा सांख्यिकी भारत।

अनुबंध-I क

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का संगठन चार्ट

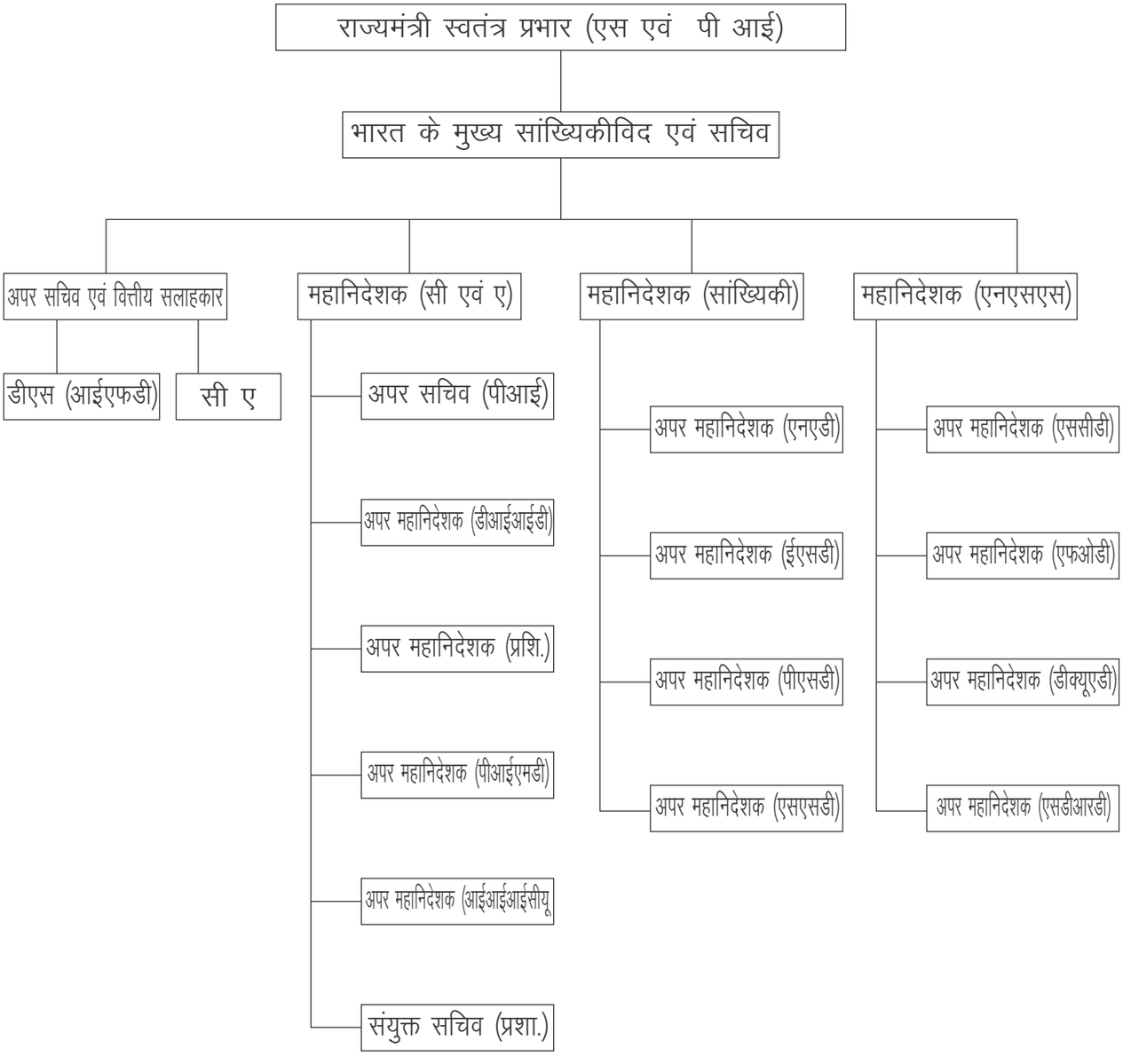

अनुबंध-I ख

संगठन चार्ट
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

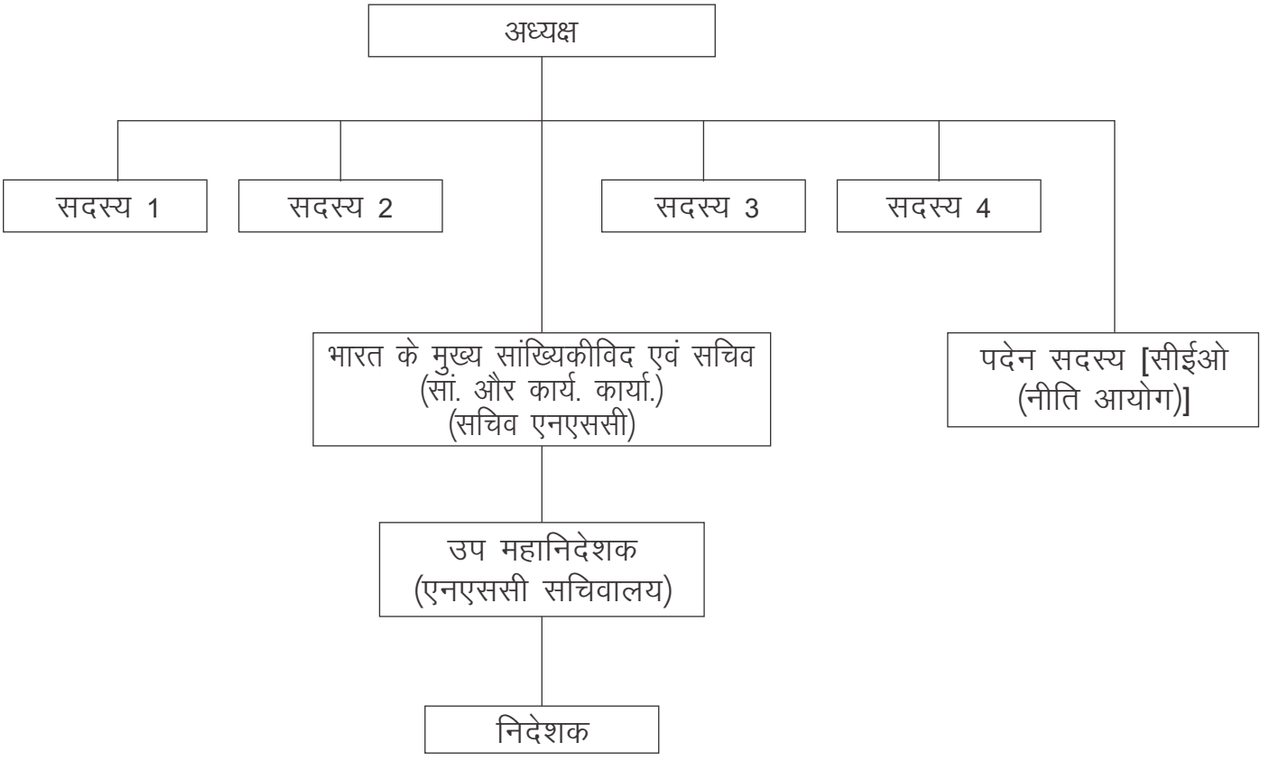

एनएससी : राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

सीएसआई : भारत के मुख्य सांख्यिकीविद

अनुबंध-।ग

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

एएस व एफए	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकर
एएसआई	औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण
स. नि .	सहायक निदेशक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीपीडी	समन्वय और प्रकाशन प्रभाग
सी और प्रशा	समन्वय और प्रशासन
कोर्डि.	समन्वय
म. नि. एवं सीईओ	महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नि .	निदेशक
उ. म. नि.	उप महानिदेशक
डीओ	डेस्क अधिकारी
डीपीडी	समंक विधायन प्रभाग
उ. स.	उप सचिव
उप. स.	उप सचिव
उप. सलाह.	उप सलाहकार
उप.ले.नि.	उप लेखा नियंत्रक
उप.नि.	उप निदेशक
उप. वि.सलाह.	उप वित्तीय सलाहकार
ईएसडी	पर्यावरण सांख्यिकी प्रभाग
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एचओडी	विभागाध्यक्ष
एचओओ	कार्यालय का प्रधान
सं.सलाह	संयुक्त सलाहकार
सं.नि.	संयुक्त निदेशक
जेसीएम	संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी
सं.नि.	संयुक्त निदेशक
आईसीटी	अंतर्राष्ट्रीय समन्वय एवं प्रशिक्षण

आईपीएमडी	अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग
आईएसडी	औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग
आईएसआई	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
आईएसएस	भारतीय सांख्यिकीय सेवा
आईएसविंग	भारतीय सांख्यिकीय स्कंध
आईडब्ल्यूएसयू	आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई
एमडीजी	सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य
एमपीलैडस	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एनएडी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीएमपी	राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम आयोग
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
ओएल	राजभाषा
ओ और एम	संगठन और पद्धति
पीएओ	भुगतान और लेखा कार्यालय
पीसीएल	मूल्य और जीवनयापन लागत
पीजी	लोक शिकायत
पीआईएमडी	नीति कार्यान्वयन और निगरानी प्रभाग
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससी/एसटी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
एसडीआरडी	सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग
एसएसडी	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
एसएसएस	अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
प्रशि.	प्रशिक्षण
अ.स.	अवर सचिव

अनुबंध-II

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित कार्य

I. सांख्यिकी स्कंध

1. देश में सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास की योजना बनाने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है

2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वय न करना ताकि आंकड़ा अन्तरालों तथा सांख्यिकीय कार्य में दोहरीकरण की पहचान की जा सके और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाना ।

3. सांख्यिकी के क्षेत्र में मापदण्ड और मानक बनाना और उनका अनुरक्षण, आंकड़ा संग्रहण की अवधारणाएं, परिभाषाएं और कार्य प्रणाली विकसित करना, आंकड़ों का संसाधन और परिणामों का प्रचार–प्रसार ।

4. सांख्यिकीय कार्य प्रणाली तथा आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना।

5. राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय आय, सकल/निवल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अन्तिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा स्थिर पूंजी उपभोग, सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान तैयार करना एवं उन्हें प्रकाशित करना, राष्ट्रीय इनपुट–आउटपुट लेन–देन तालिका तैयार करना, घरेलू उत्पाद एवं अधि–क्षेत्रीय क्षेत्रों के स्थाई पूंजी निर्माण के राज्य स्तरीय अनुमान तैयार करना, प्रचलित मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनीय अनुमान तैयार करना।

6. त्वरित अनुमानों के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन एवं उन्हें जारी करना, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) का आयोजन तथा सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना ताकि संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) क्षेत्र के विकास, गठन एवं संरचना में परिवर्तनों का आकलन और मूल्यांकन हो सके।

7. पर्यावरण सांख्यिकी का विकास, कार्य प्रणाली और अवधारणाओं का विकास तथा भारत का राष्ट्रीय संसाधन लेखा तैयार करना।

8. अखिल भारतीय आर्थिक गणना तथा अनुवर्ती प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आवधिक आयोजन व संचालन।

9. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति, ऋण एवं निवेश, भूमि एवं पशुधन होल्डिंग, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, असंगठित विनिर्माणकारी एवं सेवाओं आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक पहलुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन ताकि विकास, अनुसंधान, नीति–निर्माण एवं आर्थिक आयोजन हेतु अपेक्षित आंकड़ा आधार प्रदान किया जा सके।

10. तकनीकी संवीक्षा एवं प्रतिदर्श जांचों के माध्यम से सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और डाटा सेटों की गुणवत्ता जांच एवं लेखा परीक्षा का आयोजन तथा यदि आवश्यक हो तो, शुद्धिकारक और वैकल्पिक अनुमान तैयार करना ।

11. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों और आर्थिक गणना का अनुवर्ती सर्वेक्षण एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहित सर्वेक्षण–आंकड़ों का संसाधन करना।

12. अनेक नियमित अथवा तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से सरकारी, अर्ध–सरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं/अभिकरणों को सांख्यिकीय सूचना का प्रचार–प्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, एशिया एवं प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अनुरोध पर आंकड़ों का प्रचार–प्रसार करना।

13. पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों और प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं को विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण करने, सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान देना तथा सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्तपोषण करना।

14. प्रशिक्षण, कैरियर नियोजन तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित सभी मामलों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर कार्य करना और संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

15. भारतीय सांख्यिकीय संस्था नअधिनियम, 1959 (1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का कार्यपालन सुनिश्चित करना।

16. शहरी गैर–श्रम कर्मचारियों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन और प्रकाशन करना ।

17. लघुक्षेत्र–अनुमानों सहित बेहतर प्रतिचयन तकनीकें और आकलन प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए कार्य प्रणालीगत अध्ययन और प्रायोगिक सर्वेक्षण करना।

II कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध

18. देश के ग्यारह मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों अर्थात विद्युत, कोयला, स्टील, रेलवे, दूरसंचार, बंदरगाह, उर्वरकों, सीमेंट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रोड और नागरिक उड्डयन के निष्पादन की निगरानी;

19. ₹150 करोड़ अथवा उससे अधिक की लागत वाले सभी केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की निगरानी करना; और

20. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अनुबंध-IIIक

बजट अनुमान का विवरण (एसबीई)–वार्षिक योजना 2021–22
मंत्रालय/विभागः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	स्कीम	वार्षिक योजना 2021–22 (बीई)			पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित परिव्यय 2021-2022 (बीई)
		सकल बजट सहायता (जीबीएस)	आंतरिक एवं बाह्य बजट संचालन (आईईबीआर)	कुल	
1	2	3	4	5	6
(क) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें (सीएस)					
1	क्षमता विकास	598.36	0	598.36	40.10
2	एनपीआईक्यूएसआई	28.52	0	28.52	0.00
कुल (क)		**626.88**	**0**	**626.88**	**40.10**
(ख) ब्लॉक अनुदान					
1	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)	20.10*	0	20.10	0
कुल (क+ख)		**646.98**	**0.00**	**646.98**	**40.10**

* वर्ष 2019–20 के लिए लंबित देनदारियों के निकासी के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत पूंजीगत संपत्ति के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच के अंतर्गत ₹1172.50 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई थी।

अनुबंध-IIIख

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2020–21 (बीई एवं आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

(₹ करोड़ में)

योजना स्कीम का नाम	2020–21 के दौरान पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान			पूर्वोत्तर राज्य	व्यय
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय		
1	2	3	4	5	6
1. क्षमता विकास (कुल)	3200.00	2057.00	1960.23		1960.23
(क) क्षमता विकास (एनएसओ का क्षमता विकास–उत्तर–पूर्व क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता अनुदान) i	1500.00	1500.00	1448.68	अरुणाचल प्रदेश	399.74
				मणिपुर	273.98
				मिजोरम	118.23
				सिक्किम	62.32
				त्रिपुरा	323.41
				नागालैंड	97.12
				असम	145.66
				मेघालय	28.22
(ख) सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता	1700.00	557.00	471.00	नागालैंड	371.00
				अरुणाचल प्रदेश	100.00
(ग) आर्थिक गणना	0.00	0.00	40.55	असम	19.00
				मणिपुर	10.90
				मिजोरम	4.35
				त्रिपुरा	6.30
2. एमपीलैड्स (कुल)	0.00	0.00	2250.00		**2250.00**
				अरुणाचल प्रदेश	250.00
				असम	0
				मणिपुर	0
				मेघालय	750.00
				मिजोरम	
				नागालैंड	
				सिक्किम	750.00
				त्रिपुरा	500.00
कुल योग	**3200.00**	**2057.00**	**4210.23**		**4210.23**

अनुबंध-III ग

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2021–22 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

(₹ लाख में)

योजना स्कीम का नाम	2021–22 के दौरान पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान			पूर्वोत्तर राज्य	व्यय
	बीई	आरई	(30.11.2021 तक वास्तविक व्यय)		
1	2	3	4	5	6
1. क्षमता विकास (कुल)	4010.00	-	975.81		**975.81**
(क) क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास–उत्तर–पूर्व क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता अनुदान)	2200.00		950.11	सिक्किम	54.28
				नागालैंड	187.86
				असम	461.10
				मेघालय	246.87
(ख) सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता	1810.00	-	15.50	अरुणाचल प्रदेश	15.50
(ग) आर्थिक गणना	0.00	-	10.20	अरुणाचल प्रदेश	0.60
				नागालैंड	9.60
2. एमपीलैड्स (कुल)	0.00	-	6750.00		**6750.00**
				अरुणाचल प्रदेश	250.00
				असम	5250.00
				मणिपुर	500.00
				मिजोरम	250.00
				नागालैंड	500.00
कुल योग	**4010.00**	**-**	**7725.81**		**7725.81**

अनुबंध-IV

अवसंरचनात्मक क्षेत्र निष्पादन संबंधी मुख्य बिंदु अप्रैल–अक्तूबर 2021 की अवधि तथा पिछले तीन वर्षों (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान प्राप्त वृद्धि

क्षेत्र	उपलब्धि					वृद्धि प्रतिशत			
	अप्रैल–अक्टूबर 2017	अप्रैल–अक्टूबर 2018	अप्रैल–अक्टूबर 2019	अप्रैल–अक्टूबर 2020	अप्रैल–अक्टूबर 2021	अप्रैल–अक्टूबर 2018	अप्रैल–अक्टूबर 2019	अप्रैल–अक्टूबर 2020	अप्रैल–अक्टूबर 2021
1	4	5	6	6	6	8	9	10	10
विद्युत (बी यू)	777.282	830.463	843.743	796.553	886.865	6.84	1.60	-5.59	11.34
कोयला (एमटी)	335.267	371.403	349.044	338.198	379.607	10.78	-6.02	-3.11	12.24
इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी)	71.730	57.863	59.726	48.405	62.878	-19.33	3.22	-18.95	29.90
सीमेंट (एमटी)	167.14	190.85	189.74	149.39	199.72	14.18	-0.58	-21.27	33.69
उर्वरक (एमटी)	10.513	10.241	10.566	10.840	10.668	-2.59	3.18	2.59	-1.58
पेट्रोलियम :-									
i) कच्चा तेल (एमटी)	21.063	20.295	19.110	17.941	17.437	-3.65	-5.84	-6.12	-2.81
ii) रिफाइनरी (एमटी)	144.605	150.541	147.654	118.555	134.249	4.11	-1.92	-19.71	13.24
iii) प्राकृतिक गैस (एमसीएम)	19221	19052	18646	16373	19908	-0.88	-2.13	-12.19	21.59
सड़कें #									
राजमार्गों को चौड़ा करना एवं सुदृढीकरण									
i) एनएचएआई (किमी)	1375.00	1578.00	1821.00	1389.00	1427.70	14.76	15.40	-23.72	2.79
ii) राज्य पीडब्ल्यूडी तथा बीआरओ (किमी)	1720.10	2708.84	2743.36	2976.28	2297.54	57.48	1.27	8.49	-22.80
अर्जित रेलवे राजस्व									
माल भाड़ा आवाजाही (एमटी)	652.34	691.34	680.78	641.93	786.30	5.98	-1.53	-5.71	22.49
पोत परिवहन एवं पत्तन									
i) प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो (एमटी)	383.059	403.605	405.201	355.160	406.983	5.36	0.40	-12.35	14.59
ii) प्रमुख पत्तनों पर संचालित कोयला (एमटी)	77.616	93.369	84.537	67.451	84.473	20.30	-9.46	-20.21	25.24
नागर विमानन :									
i) प्रमुख विमान पत्तन पर संचालित निर्यात कार्गो (टन)	732314	749134	724936	442919	638664	2.30	-3.23	-38.90	44.19
ii) प्रमुख विमान पत्तन पर संचालित आयात कार्गो (टन)	516565	564178	480187	323863	526256	9.22	-14.89	-32.55	62.49

iii) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही (लाख)	366.673	392.516	394.387	31.981	83.882	7.05	0.48	-91.89	162.29
iv) अंतर्राज्यीय टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही (लाख)	1344.275	1589.575	1601.694	322.778	749.184	18.25	0.76	-79.85	132.10
दूरसंचार- (सित.'21) :									
i) स्विचिंग क्षमता में वृद्धि (फिक्स्ड+ डब्ल्यूएलएल=जीएसएम) ('000 लाइंस)	-853.284	-1415.538	1852.943	$	$	65.89	-230.90	-	-
ii) न्यू नेट फिक्स्ड / वायर्ड टेलीफोन कनेक्शन ('000 न.)	-872.104	-697.961	-1062.655	924.385	2891.853	-	-	-	212.84
iii) न्यू नेट सेल फोन (डब्ल्यूएलएल+जीएसएम) कनेक्शन ('000 No.)	7992.417	-19483.565	11901.112	-9219.594	-14670.349	-343.78	-161.08	-177.47	-
बीयू: बिलियन यूनिट	एमसीएमः मिलियन क्यूबिक मीटर								
एमटीः मिलियन टन	किमी. : किलोमीटर		** सितंबर 2021 तक का दूरसंचार डाटा है।						
# : इसमें चार / छह / आठ तथा दो लेन का चौड़ीकरण और कमजोर पटरियों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।									
$: स्विचिंग क्षमता को सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।									

अनुबंध-V

वर्ष 2021–22 के दौरान ₹150 करोड़ और उससे ऊपर की लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माहवार सूची

क्र. सं	परियोजना का नाम	मूल लागत (₹ करोड़)	आरंभ करने की मूल तिथि
	मई, 2021		
	पेट्रोलियम		
1	एमएमपीएल पाइपलाइन रिरूटिंग परियोजना (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) – [एन16000261]	449.58	12/2019
2	पुणे पोल स्टोरेज डिपो (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) – [एन16000313]	282.64	08/2020
	सड़क परिवहन और राजमार्ग–		
3	डीबीएफओटी टोल (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) पर 238.695 किमी से 307.00 किमी तक एनएच –71 के पंजाब हरियाणा सीमा–जींद खंड की 4–लेनिंग – [एन 24000664]	639.79	03/2020
4	गूटी–तादिपत्री दो खंड के 424.650 किमी से 487.693 किमी तक एनएच 67 का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य पीडब्ल्यूडी)–[एन 24000930]	378.24	01/2018
5	राष्ट्रीय राजमार्ग–67 का 641.000 किमी से 695.000 किमी तक का पुनर्वास और उन्नयन [एन 24001183]	251.55	02/2015
	जून, 2021		
	पेट्रोलियम		
6	कोच्चि रिफाइनरी (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में बीएसवीआई एमएस का उत्पादन करने के लिए मोटर स्पिरिट ब्लॉक प्रोजेक्ट (एमएसबीपी) – [एन16000263]	3,313.00	02/2020

	विद्युत		
7	कामेंग जल विद्युत परियोजना (नीपको) (पूर्वोत्तर विद्युत निगम) – [180100239]	2,496.90	12 / 2009
	जल संसाधन		
8	जगजीतपुर और सराय (उत्तराखंड पेय जल निगम) में सीवेज उपचार संयंत्र–[एन3000003]	273.37	08 / 2019
9	पटना बिहार (बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड) के लिए सैदपुर एसटीपी और उससे जुड़ा नेटवर्क – [एन30000038]	184.93	04 / 2020
	जुलाई, 2021		
	सड़क परिवहन और राजमार्ग		
10	एनएच–111 का 82.500 किमी से 163.400 तक (काठघोरा से शिवनगर खंड ईपीसी का पुनर्वास और उन्नयन। (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)) – [एन 24000287]	485.44	12 / 2015
11	हुनली–अनीनी रोड तक (इथुनब्रिज के पास) मौजूदा 37.500 कि.मी. से 2–लेन सड़क का निर्माण। (राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड) –[एन 24000617]	198.00	10 / 2016
12	एनएच 200 का 127.500 किमी से 178.944 किमी दरीघाट से बनारी खंड तक का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001220]	491.52	09 / 2016
	अगस्त, 2021		
	पेट्रोलियम		
13	मधुबन में निर्जलीकरण सुविधा और प्रवाह उपचार संयंत्र के साथ माध्यमिक टैंक फार्म–(ऑयल इंडिया लिमिटेड) [एन 16000167]	352.56	03 / 2017
14	मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड)–[एन16000281]	4,199.00	03 / 2020

15	हरियाणा के हिसार जिले में गांव के आंकड़ों पर एक नए पोल डिपो का निर्माण (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड)–[एन16000312]	255.00	11 / 2020
	विद्युत		
16	मौडा एसटीपीपी चरण 2 (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) – [एन18000132]	7,921.47	09 / 2016
17	लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज–**I** (2 **X** 800 एमवी) (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) – [एन18000140]	11,846.00	10 / 2017
18	गडरवारा सुपर ताप विद्युत परियोजना स्टेज–**I** (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) – [एन1800151]	11,638.55	01 / 2018
19	टांडा टीपीपी चरण–**II** (2**X**660 मेगावाट) (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) – [एन18000175]	9,188.98	07 / 2019
20	दारलीपल्ली एसटीपीपी चरण–**I** (2**X**800 मेगावाट) (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)–[एन18000176]	12,532.44	12 / 2018
21	एमयूएनपीएल –मेजा टीटीपी–जीवी (2**X**660 मेगावाट) ज्वाइंट वेंचर (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)–[एन18000193]	9,750.89	02 / 2017
22	खरगोन एसटीपीपी चरण **I** (1320 मेगावाट) (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) – [एन18000205]	9,870.51	01 / 2020
23	140 मेगावाट बिल्हौर सौर पीवी परियोजना बिल्हौर उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) – [एन18000273]	587.44	09 / 2020
24	85 मेगावाट बिल्हौर सौर पीवी परियोजना बिल्हौर उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) – [एन18000274]	349.00	11 / 2020

	सड़क परिवहन और राजमार्ग		
25	एनएच–4ए (एनएच–748) को 118 किमी से 125 किमी फोर लेन सहित खंडापार ब्रिज ईपीसी का फोर लेनिंग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000251]	297.00	04 / 2018
26	इंद्रावती नदी एनएच–63 (पूर्व में एनएच –16) के पार राजमार्ग पुल का निर्माण और निर्माण मद दर (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000276]	156.26	–
27	मौजूदा किलोमीटर 267+500 से के. ईपीसी से पक्के शोल्डर के साथ एनएच–65 को चार लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000294]	269.22	01 / 2015
28	मौजूदा ईपीसी से पक्के शोल्डर के साथ एनएच –65 को दो लेन में चौडीकरण और सुदृढ़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000295]	257.09	01 / 2015
29	पक्के शोल्डर के साथ दो एलएनईएस–2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन और मद दर का संरूपण और मजबूत करना (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000297]	376.52	04 / 2014
30	मौजूदा 173 / 0 किमी से 24 किमी तक ईपीसी से पक्के शोल्डर के साथ एन एच –15 के दो लेन का चौडीकरण और सुदृढ़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000298]	383.40	03 / 2015
31	अरुणाचल प्रदेश मद दर में मौजूदा 27.00 किमी से 75.00 किमी के तदनुरूप गोबोक–सिजोन नल्ला के दो लेन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000311]	207.03	05 / 2012
32	ईपीसी एमओ ईपीसी पर पक्के शोल्डर के साथ 0–1–66–20 से 2 लेन तक एनएच 226 ई का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) –[एन 24000317]	157.18	07 / 2015

33	0–0–51–0 I–ईपीसी से मौजूदा कैरिजवे को सुदृढ़ करने सहित पक्के शोल्डर का निर्माण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) –[एन24000318]	154.14	08 / 2015
34	कोटा–दाराह ईपीसी पर 256 / 550 किमी से 289 / 500 किमी तक सीसी फुटपाथ के साथ पक्के शोल्डर के साथ 4 लेन का चौड़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000333]	621.43	06 / 2018
35	रुधौली से घाघरा पुल खंड एनएच –233 के उत्तर प्रदेश में 65 / 870 किमी से 122 / 270 किमी तक ईपीसी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000371]	445.89	03 / 2017
36	"मधुगिरि–मुल्ब ईपीसी के विन्यास के साथ पक्के शोल्डर सहित 2 लेन / 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000376]	219.40	01 / 2018
37	भोजपुर–छताब ईपीसी के विन्यास के साथ पक्के शोल्डर सहित 2 लेन / 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000379]	218.63	10 / 2017
38	ईएक्सआईएस ईपीसी से एनएच –71 (नया एनएच–52) के शाहकोट–मोगा खंड के पक्के शोल्डर के साथ चार लेन का विकास (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000385]	766.36	–
39	उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा से धौली खंड तक एनएच–233 के 0 / 0 किमी से 65 / 870 किमी ईपीसी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000388]	497.05	05 / 2017
40	एनएच –71 के लैंब्रा–शाहकोट खंड को 12.00 किमी से 44.600 किमी तक ईपीसी का 4 लेनिंग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)– [एन 24000389]	847.02	–

41	बांकुआरा–पुरुल के पक्के शोल्डर के विन्यास के साथ 2 लेन/2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000397]	322.00	03/2018
42	अनीसाबाद–औरंग मद दर पक्के शोल्डर के विन्यास के साथ 2 लेन/2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000402]	358.22	10/2016
43	नबरंगपुर–कोक के पक्के शोल्डर के विन्यास के साथ 2 लेन/2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य पीडब्ल्यूडी) – [एन 24000414]	229.41	05/2018
44	ईपीसी में एनएच–149 का 0.00 किमी से 68.280 किमी तक (पल्लाहारा–पितरी जंक्शन) का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)– [एन 24000417]	342.05	01/2017
45	चित्तौड़गढ़ के एनएच 79 नीमच मध्य प्रदेश सीमा 183000 किमी से 221–400 किमी तक पक्के शोल्डर के साथ चार लेन वाला एक बीओटी (टोल) (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000467]	511.00	10/2013
46	चित्तौड़गढ़ के एनएच 79 नीमच मध्य प्रदेश सीमा तक 4 लेनिंग और एनएच 113 निंबाहेरा प्रतापगढ़ 2 लेनिंग बीओटी (टोल) (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000470]	511.00	10/2013
47	चंडीगढ़ – खरड़ क 4 लेनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन24000503]	447.29	12/2017
48	ओडिशा ईपीसी में विजयवाड़ा रांसी मार्ग के 100/700 किमी से 186/700 किमी तक 2 लेन का विस्तार और सुधार (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000523]	159.39	11/2017

49	हरिके–जीरा ईपीसी के पक्के साइड शोल्डर के साथ मौजूदा टू–लेन कैरिजवे को चार लेन तक चौड़ा करना (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)– [एन 24000524]	892.17	–
50	अनीश के पक्के शोल्डर के विन्यास और सुदृढ़ीकरण के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000537]	278.39	08 / 2014
51	महुलिया बहरागोड़ा–झारखंड / पश्चिम बंगाल सीमा खंड का 4–लेनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000548]	997.15	03 / 2019
52	पक्के शोल्डर और जेमेट्रिक आईएमपीआर के साथ मौजूदा 2–लेन से टू लेन के काम को सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)– [एन 24000580]	206.80	07 / 2016
53	ईपीसी मोड के अंतर्गत एनएच –80 के 124 / 175 किमी से 140 / 200 किमी तक भागलपुर बाईपास का निर्माण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)– [एन 24000581]	288.24	11 / 2015
54	यूपी / हरियाणा एनएच–73 को चार लेन का निर्माण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)– [एन24000608]	248.97	05 / 2019
55	इफको चौक पर 28.211 किमी का मौजूदा जंक्शनों के सुधार के लिए फ्लाईओवर / अंडरपास का निर्माण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन24000625]	1,004.67	05 / 2019
56	मौजूदा एकल इंटरमीडिएट लेन कैरिजवे से 2 लेन कैरिजवे डब्ल्यू का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000640]	326.63	04 / 2018

57	मौजूदा एसएल आईएल डीएल से 2 लेन में पक्के शोल्डर के साथ कैरिजवे का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000641]	239.91	10 / 2017
58	एनएच–149 का 0.00 किमी से 68.280 किमी तक (पल्लाहारा–पितरी जंक्शन) का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000644]	342.05	01 / 2017
59	मौजूदा आईएल डीएल को 2–लेन में 1.5 ड पक्के शोल्डर के साथ 0.0 किमी से 45.750 किमी (बोलंग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) के साथ चौड़ा करना – [एन 24000646]	157.30	06 / 2018
60	एनएच–7 (लंबाई 28.70 किलोमीटर) के सिवनी–एमपी / एमएच बॉर्डर से 624.480 किलोमीटर (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) तक के लिंक्ड स्ट्रेच को चार लेन का बनाना – [एन24000727]	960.24	–
61	एनएच –02 के सड़क कॉरिडोर घटक के लिए प्रस्तावित विकास जिसमें एनएच–327बी, एनएच –31सी, एनएच–31 एनएच –10 ओ शामिल हैं। (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)–[एन24000871]	600.87	11 / 2017
62	एनएच–48 के सड़क कॉरिडोर घटक के लिए प्रस्तावित विकास जिसमें एनएच–717, एनएच –31, एनएच –31सी, एनएच –317ए ओ शामिल हैं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000873]	823.20	11 / 2017
63	इंटरमीडिएट लेन फ्लेक्सिबल पेवमेंट का 2 लेन पक्के शोल्डर रिजिड का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000878]	235.91	02 / 2018

64	एनएच–31सी का 10 किमी तक न्यूनतम 2–लेन के साथ पक्के शोल्डर कॉन्फिगरेशन के साथ अपग्रेडेशन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000879]	202.69	11 / 2019
65	एनएच–75 के मध्य प्रदेश राज्य में 57+400 से किमी 155+000 किमी तक सतना खंड के लिए बमीठा को 2 लेन का बनाना (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000884]	191.21	11 / 2019
66	2एलपीएस 81 से 175 तक पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000895]	287.34	01 / 2019
67	एनएच के अबोहर–सीतोगुन्नो–डबवाली सड़क के पक्के शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000905]	322.48	07 / 2020
68	मुडकी–जवाहर सिंह वाला खंड के पक्के शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000906]	173.24	06ध्2020
69	सीओएनएसटीएन 69.00 किमी से 100.00 किमी तक 4 लेन का डिजाइन आरडी 94.600 से 125.920 पैकेज IV (ईपीसी) (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000908]	276.01	03 / 2019
70	एनएच–26 के 181 / 0 से 239 / 28 (भवानीपटना से कोकसारा) तक 2 एलपीएस तक चौड़ीकरण। (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000911]	165.06	12 / 2016
71	एनएच–42 का 76 / 000 किमी से 102 / 130 किमी (डिजाइन सीएच. 76 / 000 से 99.971 को छोड़कर पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000936]	244.95	08 / 2018

72	नए एनएच–544 डीडी (पुराना एसएच–30) का डिजाइन चेनेज 0.000 किमी से 56.000 किमी तक का ((सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000938]	297.12	07 / 2018
73	एनएच–76 से 2–लेन का हरपालपुर–सुगिरा का 89.600 किमी से 133.520 किमी तक का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000942]	208.50	11 / 2019
74	एनएच –86 के पीएस 131 से 189 के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24000962]	178.23	09 / 2018
75	एनएच 2सी पर ईपीसी मोड पर 0.00 किमी से 40.00 किमी तक पक्के शोल्डर के साथ 2 लेन का चौड़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24000999]	230.34	10 / 2019
76	ईपीसी के अंतर्गत बिहार में एनएच–104 के 0 किमी से 40 किमी तक मौजूदा सिंगल लेन से डबल लेन कैरिजवे की वैंड (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)– [एन 24001001]	199.98	08 / 2016
77	मजलगांव से कैज (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24001036]	413.99	07 / 2019
78	अक्कलकोट से दुधनी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24001120]	211.42	02 / 2019
79	एनएच –730 के 323.745 किमी से 351.000 किमी तक बलरामपुर–तुलसीपुर का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001131]	212.99	06 / 2020
80	राष्ट्रीय राजमार्ग–76 से पीए के साथ 2 लेन मऊ–जसरा से 326.000 किमी से 379.555 किमी से का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) के साथ– [एन24001139]	218.94	03 / 2020

81	एनएच–730 के 0.00 किमी से 38.00 किमी तक पीलीभीत से रूपनपुर क्षेत्र का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001143]	176.94	10 / 2018
82	एनएच–76ई के 2 तक 400.78 किमी से 450.000 किमी तक इलाहाबाद–मिर्जापुर का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001147]	239.63	02 / 2019
83	एनएच –96 एफ के प्रतापगढ़–इलाहाबाद बाईपास सड़क और जंक्शन खंड का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)– [एन24001148]	599.34	01 / 2020
84	एनएच –53 आईएनएएसएसएएम पर सिलचर बाईपास का निर्माण –(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24001153]	197.37	02 / 2014
85	एनएच–167 हागरी जडेचेरला क्षेत्र के 125.626 किमी से 155 किमी तक पक्के शोल्डर के साथ दो लेन का चौड़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001155]	175.20	01 / 2017
86	एनएच–8 पर धौला कुआँ जंक्शन में सुधार (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन24001184]	269.69	09 / 2019
87	एनएच–730 से 2–एलए तक का बहराइच–श्रावस्ती का 248.400 किमी 310.000 किमी का पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24001202]	388.83	12 / 2019
88	आर एंड यू से 385.00 किमी से 420,000 किमी तक पीएस के साथ से 2–लेन (आरओबी और 404 किमी पर इसके पहुंच को छोड़कर) (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग)) – [एन 24001205]	209.10	10 / 2019

89	एनएच 221 पर सुकुमा से कोंटा तक 2 लाख किमी से 107–184.80 तक का चौड़ीकरण। (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001223]	179.89	03 / 2013
90	एनएच 16 का एसएल से 2 लाख किलोमीटर 287.0 किमी से 292.0, किमी 322.0 किमी से 342.0 किमी और 352.0 किमी से 400.0 किमी सहित 1 तक का चौड़ीकरण। (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001225]	169.26	01 / 2019
91	0 / किमी में मौजूदा कैरिजवे के 4 लेन पक्के शोल्डर के साथ सुदृढ़ीकरण सहित 4 लेन का चौड़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001237]	162.72	09 / 2016
92	604 / 252 किमी से 607 / 060 किमी (मार्थंडम जंक्शन) और 630 / 116 किमी से 631 / किमी तक फ्लाईओवर का निर्माण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन 24001238]	307.70	01 / 2017
	<u>शहरी विकास</u>		
93	प्रगति मैदान से सटी भूमि पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त परिसर का निर्माण (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)– [एन 28000079]	884.30	12 / 2015
94	लोक सभा के माननीय सांसदों के लिए डॉ. बी.डी. मार्ग नई दिल्ली में 76 एनओएस एमएस फ्लैटों का निर्माण (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) – [एन28000123]	218.72	11 / 2020
	<u>उच्च शिक्षा विभाग</u>		
95	आईआईटी रोपड़, पंजाब के लिए चरण–1बी के अंतर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण – (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) –[एन28000102]	294.00	04 / 2019

	सितंबर, 2021		
	इस्पात		
96	कन्वर्टर शेल्स को बॉटम स्टिरिंग सिस्टम के साथ बदलना और सेकेंडरी ई को लगाना (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) – [एन 1200121]	263.36	09 / 2020
	विद्युत		
97	टी.आर. मुंद्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत् परियोजना से जुड़ी प्रणाली (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000061]	4,824.12	10 / 2012
98	एसआर ग्रिड का सिस्टम सुदृढ़ीकरण **XIII** (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000109]	487.49	06 / 2014
99	ईस्टर्न रीजन सुदृढ़ीकरण योजना–**V** (पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000155]	1,364.52	04 / 2016
100	छत्तीसगढ़ में आईपीपीएस के लिए डब्ल्यूआर–एनआर ट्रांसमिशन कॉरिडोर में ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन 180000168]	5,151.37	03 / 2018
101	टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)– [एन 180000181]	871.62	10 / 2017
102	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली का सुदृढ़ीकरण–**XXIII** (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000182]	203.28	07 / 2017
103	हरित ऊर्जा गलियारे – अंतर राज्य संचरण योजना भाग–डी (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000218]	3,519.59	05 / 2019

104	दक्षिणी क्षेत्र आई. ई. वॉरो में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर क्षेत्रीय एसी लिंक के साथ संबद्ध एस/एस कार्य (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन 18000238]	283.72	11/2019
105	तुमकुर (पवागड़ा) कर्नाटक चरण–II (भाग II) में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा के लिए पारेषण प्रणाली (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000239]	408.46	01/2019
106	वेमागिरी से परे ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करने के साथ संबद्ध उप स्टेशन कार्य (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)– [एन 18000240]	608.24	04/2019
107	वेमागिरी केंद्रीय क्षेत्र परियोजना से परे ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)– [एन18000257]	3,654.00	04/2019
108	बनासकांठा (राधानेस्दा) गुजरात केंद्रीय क्षेत्र परियोजना में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)–[एन18000261]	175.64	09/2018
109	तुमकुर (पवागडा) कर्नाटक चरण– II (भाग–ख) केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली (इंडिया लिमिटेड के पावर ग्रिड निगम) – [एन 18000263]	445.89	02/2019
110	400 केवी डी/सी बहरामपुर (पीजी)–भेरामेरे (बदेश) लाइन सीकेटी II (इंडिया पोर्शन) (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000267]	198.49	09/2019
111	बनासकांठा (राधानेस्दा) गुजरात में यूएमएसपीपी के लिए अनुपूरक ट्रांसमिशन प्रणाली (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) – [एन18000269]	193.14	06/2019

	रेलवे		
112	गोंदिया–जबलपुर (जीसी), (एसईसीआर) (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) – [220100186]	511.86	04 / 2020
113	नांदयाल–येरगुंटला (एनएल), एससीआर (दक्षिण मध्य रेलवे) – [220100192]	164.36	02 / 2009
114	हरिदासपुर–पारादीप (एनएल) (रेल विकास निगम लिमिटेड) – [220100285]	1,185.64	12 / 2017
115	इटावा–मैनपुरी (एनएल), एनसीआर एनसीआर (उत्तर मध्य रेलवे) – [220100318]	120.00	12 / 2008
116	छिंदवाड़ा – नागपुर (जीसी) (एसईसीआर) (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) – [220100324]	383.79	–
117	बर्धमान–कटवा (जीसी) (पूर्वी रेलवे) – [एन22000091]	1,106.62	12 / 2010
118	50 बीजी कोच पीओएच प्रति माह (डब्ल्यूआर) के लिए भावनगर–कार्यशाला सुविधाएं (पश्चिमी रेलवे) – [एन 22000125]	117.36	03 / 2011
119	बंगुरग्राम–गुड़िया पैच दोहरीकरण (उत्तर पश्चिमी रेलवे) – [एन 2200137]	246.08	12 / 2019
120	थियात हमीरा–सानू (उत्तर पश्चिमी रेलवे) – [एन22000149]	236.93	10 / 2018
121	अजमेर–बांगुरग्राम (उत्तर पश्चिमी रेलवे) – [एन22000155]	213.39	11 / 2019
122	अलवर–बांदीकुई दोहरीकरण (उत्तर पश्चिमी रेलवे) – [एन2200157]	242.09	02 / 2019
123	मनोहरपुर–बोंडामुंडा तीसरी लाइन दोहरीकरण (दक्षिण पूर्व रेलवे) – [एन2200165]	258.20	12 / 2018
124	हाजीपुर–रामदयालुनगर दोहरीकरण (पूर्व मध्य रेलवे) – [एन2200182]	213.01	–
125	वृद्धाचलम जीसी (दक्षिणी रेलवे) के माध्यम से कुड्डालोर–सलेम – [एन 2200187]	198.68	–

126	अंबरी फलकता से न्यू मायानागुरी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) – [एन2200210]	314.00	03/2019
127	पीरपैंती–भागलपुर (पूर्वी रेलवे) – [एन22000222]	261.38	–
128	हंसदिहा–गोड्डा एनएल (पूर्वी रेलवे) – [एन22000236,	542.18	03/2020
129	हरिद्वार–लक्सर (उत्तरी रेलवे) – [एन22000289]	219.83	–
130	राजखरस्वां–चक्रधरपुर तीसरी लाइन (20 किमी) झारखंड (दक्षिण पूर्व रेलवे) – [एन2200323]	148.77	12/2016
131	ओमालुर–मेट्टुर्डम– विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण 28.93 किमी (दक्षिणी रेलवे) – [एन22000373]	187.26	04/2014
132	स्टेशन के हवाई क्षेत्र पर 300 कमरों के होटल के निर्माण के साथ–साथ गांधीनगर स्टेशन का पुनर्विकास (पश्चिमी रेलवे)– [एन 22000433]	243.60	–
133	अत्तिपट्टू – कोरुक्कुपेट्टई रू तीसरी लाइन (18 किमी) दोहरीकरण (दक्षिणी रेलवे) – [एन22000444]	257.00	03/2018
134	पीलीभीत – शाहजहांपुर गेज परिवर्तन (उत्तर पूर्वी रेलवे) – [एन2200461,	622.50	04/2017
135	राजगीर हिसुआ तिलैया (46 किमी) आईएनसीएल एमएम नटेश्वर इस्लामपुर (पूर्व मध्य रेलवे) – [एन22000475]	180.82	–
136	चंपा–झारसुगुड़ा तीसरी लाइन (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) – [एन2200483]	872.00	12/2019
137	मेहसाणा–तरंगा हिल्स सामग्री संशोधन के जीसी सहित भील्दी–विरामगम गेज रूपांतरण (पश्चिमी रेलवे) – [एन 22000487]	551.51	03/2019

138	दभोई–चंदोद (17.07 किमी) –जीसी केवड़िया (32.68 किमी) तक विस्तार के साथ = 49.75 किमी (पश्चिमी रेलवे) – [एन 22000494]	691.84	03 / 2020
	सड़क परिवहन और राजमार्ग		
139	सोनपुर से गुवाहाटी (एएस–3) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000044]	245.00	03 / 2008
140	नलबारी से बिजनी (एएस–6) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000047]	225.00	06 / 2008
141	नलबारी टी बिजनी (एएस –7) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000048]	208.00	04 / 2008
142	धरमतुल से सोनापुर, 205–183 किमी (एएस –20) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000049]	160.00	05 / 2008
143	ब्रह्मपुत्र ब्रिज, एनएच नं –31 (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000063]	217.61	04 / 2010
144	वडोदरा–सूरत खंड (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) –[एन 24000361]	503.16	08 / 2016
145	औरंगाबाद को चार लेन का बनाना – येदिशी पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000508]	1,871.34	01 / 2018
146	बिहारशरीफ के पीएस के साथ दो लेन – बरबिघा – मोकामा (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000518]	399.54	04 / 2019
147	दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पीकेजी–III 27.740 किमी से 49.346 किमी तक 6 लेनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000541]	1,081.57	06 / 2019
148	नागपुर–हैदराबाद खंड एनएस –62 के 153.000 किमी से 175.000 किमी तक 4–लेनिंग का संतुलन कार्य (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)– [एन24000542]	197.69	07 / 2018

149	विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम (0.000 किमी से 63.800 किमी) से एनएच–9 को चार लेन का बनाना (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन24000545]	1,134.97	11 / 2018
150	90.000 किमी (गुलाबपुरा के पास) से 214.870 किमी तक किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद खंड को छह लेन का बनाना। ((भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000621]	1,239.82	–
151	जींद – करनाल सेक्शन फ्रॉमेक्सिस्टी के लिए पक्के शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) – [एन 24000837]	307.79	–
152	रोहना / हास के फोर लेन कॉन्फिगरेशन को सुदृढ़ करने के लिए पुनः डिजाइन, पुनर्वास और उन्नयन (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)– [एन 24000850]	551.58	–
153	एनएच–52बी के चांगलांग तक चांगलांग / तिराप जिला सीमा का 40.00 किमी. से 58.27 किमी. तक से 2 लेन बनाना – (राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड) [एन24000978]	172.75	–
154	माओ–सेनापति से 212.325 किमी से 260 किमी तक मौजूदा दो लेन आई / सी पक्के शोल्डर का सुदृढ़ीकरण। (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राज्य लोक निर्माण विभाग) – [एन24001174]	235.31	11 / 2020
155	डिजाइन 21.0 किमी से 32.0 किमी तक कोहिमा–बाईपास सड़क के पक्के शोल्डर के साथ 2–लेन का निर्माण डिजाइन ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड) – [एन 24001257]	159.85	10 / 2022

	शहरी विकास		
156	पूर्वी किदवई नगर का पुनर्विकास (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड)– [एन 28000080]	4,264.00	11 / 2019
	जल संसाधन		
157	मौजूदा संपत्ति के साथ–साथ इलाहाबाद में एसटीपीएस के विकास के लिए एकीकृत परियोजना (उत्तर प्रदेश जल निगम)– [एन30000007]	904.00	09 / 2021
158	कानपुर के जिला स सीवरेज में सीवरेज कार्य (उत्तर प्रदेश जल निगम)– [एन30000009]	370.40	08 / 2020
159	रमना में अस्सी–बीएचयू सीवरेज जिले के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (उत्तर प्रदेश जल निगम)– [एन30000011]	161.31	11 / 2019
160	पहाड़ी क्षेत्र आईवीए एस पटना में सीवरेज योजना (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) – [एन30000041]	184.86	05 / 2021
	अक्टूबर, 2021		
	नागर विमानन		
161	चेन्नई हवाईअड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग का डी / ओ और फुटपाथ का कार्य (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड) – [एन 04000040]	535.00	06 / 2010
	कोयला		
162	सिंघोरी ओसी माइन (वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) – [एन06000130]	205.49	03 / 2020
163	समामेलित पौनी–II III ओसी खान (वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) – [एन060000131]	483.69	03 / 2021

164	समामेलित गोंडेगांव घाटरोहन ओसी (वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) – [एन06000149]	198.68	03 / 2019
	पेट्रोलियम		
165	गेल गैस लिमिटेड बेंगलुरू सीजीडी परियोजना केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं (भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड) – [एन16000210]	749.00	02 / 2020
166	कोच्चि रिफाइनरी में प्रोपलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल परियोजना (पीडीपीपी) (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) – [एन 16000227]	4,588.29	08 / 2018
167	बीएस–VI प्रोजेक्ट्स (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) – [एन16000295]	1,858.00	12 / 2019
	रेलवे		
168	गाजीपुर – औंरिहार (40 किमी) (उत्तर पूर्वी रेलवे) – [एन 22000321]	182.92	–
	शहरी विकास		
169	अफ्रीका एवेन्यू और केजी मार्ग पर पूर्व–इंजीनियर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सीध्ओ इस्पात संरचना भवन (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)– [एन28000143]	532.00	11 / 2020
	नवंबर, 2021		
	कोयला		
170	कोलार पिंपरी एक्सटेंशन ओसी (वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) – [एन06000160]	362.73	03 / 2020

अनुबंध-VI

मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा लाए गए प्रकाशनों की सूची

क. (i) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.	पीएलएफएस (जुलाई 2019– जून 2020) की वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2021 को जारी की गई।
2.	जुलाई–सितंबर 2020 तिमाही के लिए पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन अगस्त, 2021 को जारी की गई ।
	अक्टूबर–दिसम्बर 2020 तिमाही के लिए पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन सितंबर, 2021 को जारी की गई ।
	जनवरी – मार्च 2021 तिमाही के लिए पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन नवंबर, 2021 को जारी की गई ।
3.	जुलाई 2019–जून 2020 की अवधि के लिए पीएलएफएस के अतिरिक्त संकेतक पर वार्षिक बुलेटिन सितंबर 2021 में जारी की गई ।
4.	एनएसएस के 77वें दौर पर आधारित रिपोर्ट सं 587 (ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि तथा पशुधन की स्थिति का आकलन–2019) सितंबर 2021 में जारी की गई।
5.	एनएसएस के 77वें दौर पर आधारित रिपोर्ट संख्या 588 (अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण–2019) सितंबर 2021 में जारी की गई।
6.	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2018–19 के अंतिम परिणाम अगस्त 2021 में जारी किए गए ।

(ii) सर्वेक्षणाः एनएसओ का जर्नल सर्वेक्षणा का 110वां और 111वां अंक संयुक्त रूप से सितंबर 2021 को प्रकाशित किया गया। जर्नल में सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर तीन अनुसंधान पेपर निकाले गए।

ख. वर्ष 2021–22 के दौरान सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा निकले गए प्रकाशन

क्र. सं.	प्रकाशन का नाम	आवधिकता	जारी करने का महीना	विषय
1	एनवीस्टेट्स इंडिया; 2021; वॉल्यूम I : पर्यावरण सांख्यिकी	वार्षिक	मार्च 2021	पर्यावरण सांख्यिकी
2	एनवीस्टेट्स इंडिया; 2021; वॉल्यूम II: पर्यावरण लेखा	वार्षिक	सितंबर 2021	पर्यावरण लेखा

3	एनवीस्टेट्स भारत व्याख्याकर्ता श्रृंखला		अप्रैल, 2021	यह श्रृंखला पर्यावरण लेखाओं को संकलित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों, डेटा स्रोतों और तकनीकों के बारे में विस्तार से बताती है।
4	एनसीएवीईएस भारत परियोजना रिपोर्ट		जनवरी, 2021	रिपोर्ट एसईईए पारिस्थितिकी तंत्र लेखा ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र लेखाओं को संकलित करने के लिए भारत में किए गए कार्यों का एक अवलोकन प्रदान करती है। रिपोर्ट में प्रायोगिक पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा, स्थिति और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा लेखाओं, परिसंपत्ति लेखाओं के साथ–साथ जैव विविधता विषयगत लेखाओं और लेखाओं से प्राप्त संकेतकों का एक भाग का संकलन भी शामिल है।
5	सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, 2021 (संस्करण 3.0)	वार्षिक	मार्च, 2021	**"सतत विकास लक्ष्य –राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (संस्करण 3.0)",** समय श्रृंखला के साथ एसडीजी–एनआईएफ (सभी 17 एसडीजी को शामिल करते हुए) पर भारत की प्रगति रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में चार भाग हैं– अवलोकन और कार्यकारी सार, डेटा स्नैपशॉट, मेटाडेटा और डेटा टेबल्स।
6	सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, 2021 (संस्करण 3.1)	वार्षिक	जून, 2021	**"सतत विकास लक्ष्य– राष्टीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.1)",** एसडीजी–एनआईएफ (सभी 17 एसडीजी को शामिल करते हुए) पर भारत की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट 2015–16 (या बेसलाइन) से 2021–22 (या नवीनतम उपलब्ध) तक नवीनतम समय श्रृंखला डेटा के साथ 29 जून, 202 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में चार भाग हैं – अवलोकन और कार्यकारी सार, डेटा स्नैपशॉट, मेटाडेटा और डेटा टेबल्स।

7	राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एनआईएफ) (संस्करण 3.1)	वार्षिक	जून, 2021	राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एनआईएफ) (संस्करण 3.1) के इस प्रकाशन में 17 एसडीजी उद्देश्यों, संबद्ध 169 लक्ष्यों और 295 राष्ट्रीय संकेतक की सूची दी गई हैं ।
8	एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.1) पर डेटा स्नैपशॉट	वार्षिक	जून, 2021	यह स्नैपशॉट राष्ट्रीय संकेतक के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यों पर आधारित है, जिसमें डेटा स्रोतों का उचित उल्लेख है।
9	भारत में महिला एवं पुरुष	वार्षिक	मार्च, 2021	स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णय लेने, महिला सशक्तिकरण में सामाजिक बाधाओं आदि सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर जेंडर–वार डेटा।
10	जेंडेरिंग मानव विकास		मार्च, 2021	भारत के राज्यों के लिए एचडीआई, जीडीआई और जीआईआई की गणना के लिए एक वर्किंग पेपर है। यह पद्धति प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और अन्य मानकों पर उप–राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को मापने और निगरानी के लिए नोडल मंत्रालयों/विभागों/राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगी।
11	भारत में वृद्ध, 2021	तदर्थ	जुलाई, 2021	यह प्रकाशन वृद्ध आबादी के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या और महत्वपूर्ण आंकड़े, आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर डेटा प्रदान करता है
12	ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन (जेएसपी) 2021 और ब्रिक्स जेएसपी–स्नैपशॉट 2021	वार्षिक	अक्तूबर, 2021	ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन (जेएसपी) पांच देशों के मुख्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों का व्यापक सांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है और वर्ष 2010 से सालाना जारी किया जा रहा है।

13	भारत में दिव्यांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) – एक सांख्यिकीय रूपरेखाः 2021	तदर्थ	मार्च, 2021	इस प्रकाशन में मुख्य रूप से एनएसएस 76वें दौर के दिव्यागता सर्वेक्षण (जुलाई–दिसंबर 2018) और भारत की जनगणना 2011 की गणना के आधार पर भारत में दिव्यांग व्यक्तियों का स्थितिजन्य विश्लेषण किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, उनकी शैक्षिक स्थिति, रोजगार की स्थिति और वैवाहिक स्थिति आदि के आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दिव्यांगता सांख्यिकी से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रोफाइल को भी शामिल किया गया है ।

ग. राष्ट्रीय लेखा प्रभाग

क्र. सं.	प्रकाशन / डेटा रिलीज / रिपोर्ट का विवरण	जारी करने का तरीका
1.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी – 2021	ई–प्रकाशन
2.	वर्ष 2020–21 के वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान और वर्ष 2020–21 की चौथी तिमाही (क्यू 4) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान	प्रेस नोट
3.	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन (2011–12 से 2018–19) से उत्पादन का राज्यवार और मदवार मूल्य	ई–प्रकाशन
4.	2021–22 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान	प्रेस नोट
5.	वर्ष 2021–22 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान	प्रेस नोट
6.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंग एक रोजगार परिप्रेक्ष्य* (मासिक प्रेस नोट)	प्रेस नोट

***प्रत्येक माह की 25 तारीख को या यदि 25 तारीख को अवकाश होता है तो पिछले कार्य–दिवस जारी किया जाता है।**

अनुबंध-VII

वर्ष 2021–22 के लिए की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	पैरा / पीए रिपोर्टों की संख्या जिनके एटीएन, ऑडिट द्वारा पुनरीक्षित होने के बाद पीएसी को प्रस्तुत किये गए	पैरा/पीए रिपोर्टों का विवरण जिन पर एटीएन लंबित हैं		
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए एटीएन की संख्या लेकिन टिप्पणियों के साथ वापस लौटाई गई और मंत्रालय द्वारा उनके पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए लेखा परीक्षा इंतजार कर रहा है।	एटीएन की संख्या जो अंततः ऑडिट द्वारा पुनरीक्षित किए गए लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए।
1	एमपीलैडस पर पीएसी की रिपोर्ट सं. 31 (12 पैरा सहित)	सभी 12 पैरा की अंतिम कार्रवाई (एटीआर) एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।	शून्य	शून्य	शून्य
2	एसडीजी पर पीएसी की रिपोर्ट सं. 32 (12 पैरा सहित)	नीति आयोग इन 19 पैरा का समन्वयन कर रहा है। अतः इन 19 पैरा को मंत्रालय के विरूद्ध बकाया पैरा की सूची से हटा दिया गया है।	शून्य	शून्य	शून्य

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218

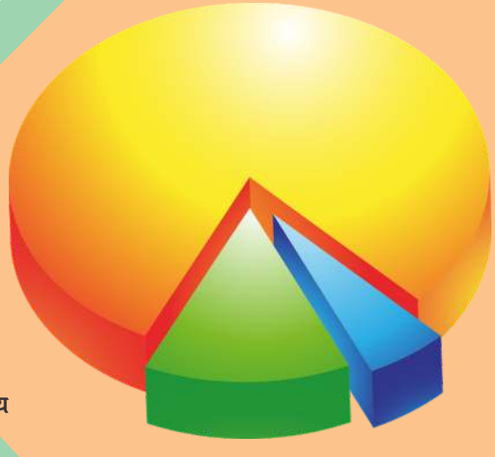

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ,
नई दिल्ली-११०००१

www.mospi.gov.in

www.mospi.gov.in GoIStats GoIStats GoIStats